

# Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

# **Published by Authority**

© Govt. of Haryana \*

CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 28, 2003 (CHAITRA 7, 1925 SAKA)

# Legislative Supplement

Contents

Pages

#### PART-I Acts

The Haryana Value Added Tax Act, 2003.
 (Haryana Act No. 6 of 2003)
 (Only in English)

69—133

# PART-II Ordinances

Nil

# **PART-III Delegated Legislation**

 Notification No. S. O. 37 /P.A.1/1914 /S. 56/2003, dated the 28th March, 2003, Exemption from Haryana Excise Duty to the Indian Made Foreign Liquor

209-210

 Notification No. S. O. 38/P. A. 1/1914/Ss. 20 and 26/2003, dated the 28th March, 2003, Notification under Sub-section (3) of Section 20 and Clause (5) of the Punjab Excise Act, 1914

211--214

**Price : Rs. 5.00** (xxix)

# (xxx) HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 28, 2003 (CHTR. 7, 1925 SAKA)

 Notification No. S. O. 39/P. A. 1/1914/S. 57-A/2003 dated the 28th March, 2003, Notification under Subsection (1) of Section 57-A of the Punjab Excise Act, 1914

215--216

(Authorised English Translation)

PART-IV Correction Slips, Republications and Substitution

Nil

# PART I

#### LEGISLATIVE DEPARTMENT

#### Notification

The 28th March, 2003

No. Leg. 7/2003.—The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 26th March, 2003, and is hereby published for general information:—

# HARYANA ACT NO. 6 OF 2003 THE HARYANA VALUE ADDED TAX ACT, 2003

As

Act

to provide for levy and collection of tax on the sale or purchase of goods in the State of Haryana and matters incidental thereto and connected therewith.

BE it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

# Chapter-I

# Preliminary

- 1. (1) This Act may be called the Haryana Value Added Tax Act, 2003. Short title,
  - (2) It extends to the whole of the State of Haryana.
  - (3) It shall come into force on the appointed day.

1973 (Act 20 of 1973);

- 2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires, --
  - (a) "Act of 1973" means the Haryana General Sales Tax Act,
  - (b) "appellate authority" means an officer referred to in, or appointed under, clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 33 to entertain and decide appeals made under this Act and includes the Tribunal;
  - (c) "appointed day" means the 1st day of April, 2003, unless declared, by notification in the Official Gazette, otherwise by the State Government;
  - (d) "assessee" means any person who is required to pay any tax, interest, penalty, fee or any other sum under this Act or the rules made thereunder;
  - (e) "assessing authority" means any person authorised by the State Government to make any assessment under this Act and to perform such other duties as may be required, by or under this Act:
  - (f) "business" includes--
    - (i) any trade, commerce or manufacture, or any adventure or concern in the nature of trade, commerce or

Short title, extent and commencement

Definitions.

manufacture, whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit and whether or not any gain or profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern; and

(ii) any transaction, casual or otherwise, in connection with, or incidental or ancillary to, such trade, commerce, manufacture or concern.

Explanation. - "Trade" includes trade of goods and services;

- (g) "capital goods" means plant, machinery, dies, tools and equipment purchased for use in the State in manufacture or processing of goods for sale or in the telecommunication network or in mining or in the generation or distribution of electricity or other form of power, provided such purchase is capitalised;
- (h) "casual trader" means a dealer who imports into and sells goods in the State for a period not exceeding thirty days at a time or such other period as may be prescribed;
- (i) "Central Act" means the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956);
- (j) "contractee" means any person for whom or for whose benefit a works contract is executed;
- (k) "contractor" means any person who executes either himself or through a sub-contractor a works contract;
- (1) "date of sale" means a date recorded on an invoice or a delivery note, as the case may be, issued in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (2) of section 28;
- (m) "dealer" means any person including a department of Government who carries on, whether regularly or otherwise, business, directly or otherwise, in the course of, or as a result of, which, or incidental, ancillary or causal thereto, whether regularly, casually, occasionally or otherwise, whether for cash, deferred payment, commission, remuneration or other valuable consideration, such person purchases, sells, supplies or distributes any goods in the State, or imports into, or exports out of, the State, any goods, irrespective of the fact that the main place of business of such person is outside the State and where the main place of business of such person is not in the State, includes the local manager or agent of such person in the State in respect of such business:

Provided that a person or a member of his family who sells within the State exclusively the agricultural produce grown by himself or grown on any land in which he has an interest whether as owner, usufructuary mortgagee, tenant or otherwise, shall not be deemed to be a dealer.

# Explanation. - For the purpose of this clause, -

- a co-operative society or a club or any association which carries on business for and on behalf of its members, is a dealer;
- (ii) a factor, a broker, a commission agent, a del credere agent, a dealer's agent, an auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on any trade as principal, agent or in any other capacity, is a dealer;
- (iii) any person or a body of persons including a department of Government who disposes of any goods in exercise of a statutory authority or a court order, or as unclaimed, confiscated or acquired property, or as unserviceable, scrap, surplus, old, obsolete or discarded material or waste products whether by auction or otherwise, directly or through an agent, for cash or for deferred payment or for any other valuable consideration shall, notwithstanding anything contained in clause (f) of this section or section 3 or any other provision of this Act, be deemed to be a dealer liable to pay tax, to the extent of such disposals, without prejudice to any liability which may accrue on account of the other provisions of this Act;
- (n) "declared goods" shall have the meaning assigned to that expression in clause (c) of section 2 of the Central Act;
- (o) "document" means title deeds, writing or inscription and includes electronic data, computer programs, computer tapes, computer discs or equipment and the like that furnishes evidence;
- (p) "exempted goods" means the goods specified in Schedule B;
- (q) "export out of State" means transfer of goods by a dealer to any other place of his business or to his agent or principal, as the case may be, outside the State otherwise than by reason of sale of such goods but shall, subject to such restrictions

and conditions as may be prescribed, not include transfer of goods for a job work where the goods are received back after the job work;

Explanation.— "Job work" includes assembling, altering, manufacturing, processing, fabrication, fitting out, improvement, rectification or repair of any goods.

- (r) "goods" means every kind of movable property, tangible or intangible, other than newspapers, actionable claims, money, stocks and shares or securities but includes growing crops, grass, trees and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale;
- (s) "goods carrier" includes motor vehicle, vessel, boat, cart, animal or any other means of conveyance but shall exclude railway wagon or coach;
- (t) "Government" means the Central or any State Government;
- (u) "gross turnover" when used in relation to any dealer means the aggregate of the sale prices received or receivable in respect of any goods sold, whether as principal, agent or in any other capacity, by such dealer and includes the value of goods exported out of State or disposed of otherwise than by sale;

Explanation.— (i) The aggregate of prices of goods in respect of transactions of forward contracts, in which goods are actually not delivered, shall not be included in the gross turnover.

- (ii) Any amount received or receivable or paid or payable on account of variation, escalation or de-escalation in the price of any goods sold previously to any person but not exactly determinable at that time, shall, subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed, be included in, or excluded from, the gross turnover, as the case may be, in the manner prescribed.
- (iii) Any amount collected by the dealer by way of tax shall not be included in the gross turnover and where no tax is shown to have been charged separately, it shall be excluded from the taxable turnover (denoted by 'TTO') taxable at a particular rate of tax in per cent (denoted by 'r') by applying the following formula –

 $tax = \frac{r \times TTO}{100 + r},$ 

Illustration – If TTO is 220 and r is 10 (per cent), tax will be 20.

- (v) "import into State" means bringing or receiving goods in the State from outside the State otherwise than by purchase of such goods in the course of inter-State trade or commerce or import of goods into the territory of India;
  - (w) "input tax" means the amount of tax paid to the State in respect of goods sold to a VAT dealer, which such dealer is allowed to take credit of as payment of tax by him, calculated in accordance with the provisions of section 8;
  - (x) "manufacture" means processing of goods resulting into production of different commercial goods including by-products and waste products;
    - Note Every processing of goods may not result into different commercial goods;
  - (y) "minerals" mean all substances which can be obtained from the earth by mining, digging, drilling, dredging, hydraulicing, quarrying or by any other operation and include these substances processed for marketing;
  - (z) "place of business" in relation to a dealer means any place where the dealer carries on his business and includes –
  - (i) a place where he sells or purchases any goods, or carries on any process of manufacture of goods;
    - (ii) a warehouse, godown or other place where he stores his goods;
    - (iii) a place where he keeps his books of account;
    - (iv) any of his office or branch office; and
    - (v) the place of business of his agent, by whatever name called;
  - (za) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
  - (zb) "quarter" means a period of three months ending on 30th June, 30th September, 31st December or 31st March;
  - (zc) "registered" means registered under this Act;
  - (zd) "revising authority" means a person who exercises power of revision under this Act;
  - (ze) "sale" means any transfer of property in goods for cash or deferred payment or other valuable consideration except a mortgage or hypothecation of or a charge or pledge on goods;

#### and includes--

- the transfer, otherwise than in pursuance of a contract, of property in any goods for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (ii) the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;
- (iii) the delivery of goods on hire-purchase or any system of payment by instalments;
- (iv) the transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (v) the supply of goods by any unincorporated association or body of persons to a member thereof for cash, deferred payment or other valuable consideration;
- (vi) the supply, by way of or as part of any service or in any other manner whatsoever, of goods, being food or any other article for human consumption or any drink (whether or not intoxicating), where such supply or service, is for cash, deferred payment or other valuable consideration,

and such transfer, delivery or supply of any goods shall be deemed to be a sale of those goods by the person making the transfer, delivery or supply and a purchase of those goods by the person to whom such transfer, delivery or supply is made;

- (zf) "sale in the State" in relation to a sale as defined in sub-clause (ii) of clause (ze) means transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract in the State:
- (zg) "sale price" means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed at the time of sale as cash or trade discount according to the practice, normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof and the expression "purchase price" shall be construed accordingly;
- Explanation.— (i) In relation to the transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in execution of a works contract, sale price shall mean such

amount as is arrived at by deducting from the amount of valuable consideration paid or payable to a person for the execution of such works contract, the amount representing labour and other service charges incurred for such execution, and where such labour and other service charges are not quantifiable, the sale price shall be the cost of acquisition of the goods and the margin of profit on them prevalent in the trade plus the cost of transferring the property in the goods and all other expenses in relation thereto till the property in them, whether as such or in any other form, passes to the contractee and where the property passes in a different form shall include the cost of conversion.

- (ii) In respect of transactions covered under sub-clause (iii) of clause (ze), the amount to be included in sale price shall be the total sum payable by the hirer under a hire purchase agreement in order to complete the purchase of, or the acquisition of property in, the goods to which the agreement relates and includes any sum so payable by the hirer under the hire purchase agreement by way of a deposit or other initial payment, or credited or to be credited to him under such agreement on account of any such deposit or payment, whether that sum is to be or has been paid to the owner or to any person or is to be or has been discharged by payment of money or by transfer or delivery of goods or by any other means; but does not include any sum payable as a penalty or as compensation or damages for breach of the agreement.
- (zh) "Schedule" means a Schedule appended to this Act and the description of any goods specified therein shall be subject to the exceptions, restrictions and conditions, if any, and the application of the provisions of this Act referring to the Schedule shall be subject to the circumstances, if any, mentioned therein generally or against such goods;
- (zi) "State" means the State of Haryana;
- (zj) "State Government" means the Government of Haryana;
- (zk) "tax" means the tax levied under this Act;
- (zl) "tax invoice" means an invoice required to be issued according to the provisions of sub-section (2) of section 28 by a VAT dealer for sale of taxable goods to another VAT dealer for resale by him or for use by him in manufacture or processing of goods for sale, and which entitles him to claim input tax in accordance with the provisions of section 8;

- (zm) "taxable goods" means the goods which are not exempted goods;
- (zn) "taxable turnover" means that part of the gross turnover which is left after making deductions therefrom in accordance with the provisions of section 6; plus purchase value of goods liable to tax under sub-section (3) of section 3;
- (20) "taxing authority" means an officer not below the rank of Assistant Excise and Taxation Officer appointed under sub-section (1) of section 55 to carry out the purposes of this Act and includes an assessing authority and a revising authority but does not include an appellate authority;
- (zp) "Tribunal" means the Tribunal constituted under section 57;
- (zq) "value of goods" means, if the goods has been sold or purchased, the true sale price or the true purchase price, as the case may be, of the goods, otherwise, the fair market value of like goods in like circumstances;
- (zr) "value added tax" means a tax on sale or purchase of goods payable under this Act:
- (zs) "VAT dealer" means a registered dealer who is not a casual trader and in whose case composition of tax under section 9 is not in force, whether by choice or exclusion by law;
- (zt) "works contract" includes any agreement for carrying out for cash, deferred payment or other valuable consideration, the assembling, construction, building, altering, manufacturing, processing, fabrication, installation, fitting out, improvement, repair or commissioning of any movable or immovable property;
- (zu) "year" means the financial year.
- (2) Words and expressions not defined under this Act or the rules made thereunder shall have the same meaning as assigned to them in section 2, section 3, section 4, section 5 or section 6A of the Central Act or the Punjab General Clauses Act, 1898 (Punjab Act 1 of 1898), as applicable to the State of Haryana, as the case may be.

# Chapter-II

# Incidence and levy of tax

Incidence of tax

3. (1) Every dealer who would have continued to be liable to pay tax under the Act of 1973 had this Act not come into force, and every other dealer whose gross turnover during the year immediately preceding the appointed day exceeded the taxable quantum as defined or specified in the Act of 1973, shall, subject to the provisions of sub-section (4), be liable to pay tax on and from the appointed day on the sale of goods effected by him in the State.

(2) Every dealer to whom sub-section (1) does not apply and who is of the class or classes mentioned in column 2 of the Table below and whose gross turnover in any year first exceeds the taxable quantum specified in column 3 thereagainst, shall, subject to the provisions of sub-section (4), be liable to pay tax on and from the day mentioned in column 4 thereagainst on the sale of goods effected by him in the State —

Table

Sr. No.	Description of class or classes of dealers	Taxable quantum	Day on and from which the dealer is liable to tax		
١	2	3	4		
1.	Dealer who sells or purchases any goods in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export of the goods out of, or the import of the goods into, the territory of India	Nil	On and from the day he makes such sale or purchase for the first time		
2.	Dealer who imports any goods into State	Nil	On and from the day be imports any goods into State for the first time		
3.	Dealer who purchases any goods in the Sate and exports out of State such goods or the goods manufactured therefrom	Nil	On and from the day he makes purchase of such goods in the State for the first time		
4.	Dealer who is a brick-kiln owner or a Halwaii or a liquor licensee under the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), or who deals in minerals, lottery tickets or such other goods as may be prescribed	Nil	On and from the day his gross turnover in any year first exceeds the taxable quantum		
5.	Any other class or classes of dealers .	One lakh rupees or such other sum as may be prescribed and different sums including nil may be prescribed for different classes of dealers	On and from the day following the day his gross turnover in arry year first exceeds the taxable quantum		

Provided that this sub-section shall not apply to a dealer who deals exclusively in exempted goods.

Note – Where a dealer is covered under more than one of the class or classe s mentioned in the Table above, the liability to pay tax shall commence from the earliest day he becomes liable to tax.

(3) If a dealer liable to pay tax under sub-section (1) or sub-section (2) purchases any taxable goods in the State from any source in the circumstances that no tax is levied or paid under this Act on their sale to him and he either exports them out of State or uses or disposes them of in the circumstances in which no tax is payable under this Act or the Central Act by him to the State on them or the goods manufactured therefrom, then, he shall, subject to the provisions of sub-section (4), be liable to pay tax on the purchase thereof:

Provided that where such goods (except those specified in Schedule F) or the goods manufactured therefrom are sold in the course of export of the goods out of the territory of India, no tax shall be levied on their purchase:

Provided further that where the goods purchased are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in the foregoing provisions of this sub-section and partly otherwise, the tax leviable on such goods shall be computed pro rata.

- (4) The tax levied under sub-sections (1), (2) and (3) shall be calculated on the taxable turnover, determined in accordance with the provisions of section 6, at the rates of tax applicable under section 7, and where the taxable turnover is taxable at different rates of tax, the rate of tax shall be applied separately in respect of each part of the taxable turnover hable to a different rate of tax.
- (5) If the tax calculated under sub-section (4) is more than the input tax, determined in accordance with the provisions of section 8, the difference of the two shall be the tax payable; and if the input tax is more than the tax calculated, the excess amount shall be either refundable or adjustable with future tax liability in accordance with the provisions of section 20; but if the input tax is a negative value on account of reversal of input tax under the second proviso to sub-section (1) of section 8, the absolute value thereof shall be added to the tax calculated under sub-section (4) and the resultant amount shall be the tax payable.

Illustration -

Serial No.	Tax calculated under sub-section (4)	Input tax	Tax payable	Refundable/ Adjustable
1.	Rs.100	Rs. 50	Rs. 50	Nil
2.	Rs.100	Rs.150	Nil	Rs.50
3.	Rs.100	(-) Rs.50	Rs.150	Nit

(6) Every dealer who has become liable to pay tax, shall continue to be so liable until after the expiry of three consecutive years during each of which his gross turnover has failed to exceed the taxable quantum and such further period after the date of such expiry, as may be prescribed, and on the expiry of this latter period his liability to pay tax shall cease.

- (7) Every dealer, whose liability to pay tax has ceased under the provisions of sub-section (6), shall again be hable to pay tax in accordance with the provisions of sub-section (2)
- 4. Notwithstanding anything contained in this Act, a tax on the sale or purchase of goods shall not be imposed under this Act, —

No tax payable in case of inter-State trade etc

- (a) where such sale or purchase takes place outside the State;
- (b) where such sale or purchase takes place in the course of import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India; or
- (c) where such sale or purchase takes place in the course of inter-State trade or commerce.

#### 5. Where any assessee claims –

Burden of proof.

- (a) that any receipt or dispatch of goods by him is otherwise than by way of purchase or sale of such goods by him;
- (b) that any sum of money received or receivable or paid or payable by him by any means including adjustment against a debt is not in the course of business, and where in the course of business such sum is not valuable consideration for any sale or purchase of goods effected by him in the year in which the said sum was received or receivable or paid or payable;
- (c) that any purchase or sale of goods by him is not liable to tax by reason of such purchase or sale being outside the State or in the course of inter-State trade and commerce or in the course of the import of the goods into, or the export of the goods out of, the territory of India;
- (d) that any purchase or sale of goods effected by him is exempt from tax or leviable to tax at a particular rate;
- (e) that any purchase or sale of goods effected by him is not taxable because of return of such goods;
- (f) that he is entitled to any deduction from gross turnover or any deduction of input tax from the tax calculated on the sale of goods;
- (g) that in case of a composite works contract, he is entitled to a deduction in respect of labour and service charges from the valuable consideration for the execution of the contract;
- (h) that any particular sum has been paid by him as tax, interest or penalty under this Act;
- (i) that any goods, book of account and document discovered at his business premises, or at any other place or in any goods carrier

- or other vehicle, over which he has control at the time of such discovery, do not relate to his business; or
- that any relief under to a Act or the rules made thereunder is admissible to him.

the burden of so proving shall be on him.

# Determination of taxable tumover

- 6. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), in determining the taxable turnover of a dealer for the purposes of this Act, the following deductions shall be made from his gross turnover, namely:
  - (a) turnover of sale of goods outside the State;
  - (b) turnover of sale of goods in the course of inter-State trade and commerce;
  - (c) turnover of sale of goods in the course of the import of the goods into the territory of India;
  - (d) turnover of sale of goods in the course of the export of the goods out of the territory of India;
  - (e) turnover of export of goods out of State;
  - (f) turnover of disposal of goods otherwise than by sale;
  - (g) turnover of sale of exempted goods in the State;
  - (h) turnover of sale of goods to such foreign diplomatic missions/ consulates and their diplomats, and agencies and organisations of the United Nations and their diplomats as may be prescribed; and
  - (i) turnover of sale of goods returned to him, subject to such restrictions and conditions as may be prescribed,

and to the remainder shall be added the purchases taxable under sub-section (3) of section 3, if any.

- Note.-1. In this sub-section "turnover" means,
  - (i) for the purpose of clauses (a), (b), (c), (d), (g) and (h), the aggregate of the sale prices of goods which is part of the gross turnover;
  - (ii) for the purpose of clauses (e) and (f), the aggregate of value of goods exported out of State or disposed of otherwise than by sale, as the case may be, which is part of the gross turnover; and
  - (iii) for the purpose of clause (i), the aggregate of the sale prices of goods which is or has been part of gross turnover (including under the Act of 1973).

- *Note.*–2. If the turnover in respect of any goods is included in a deduction under any clause of this sub-section, it shall not form part of deduction under any other clause of the sub-section.
- (2) The deductions mentioned in sub-section (1) shall be admissible on furnishing to the assessing authority in such circumstances, such documents or such proof, in such manner as may be prescribed.
- (3) Save as otherwise provided in sub-section (1), in determining the taxable turnover of a dealer for the purposes of this Act, no deduction shall be made from his gross turnover.
- 7. (1) The tax payable by a dealer on his taxable turnover in so far as such turnover or any part thereof relates to, -
  - (a) the sales of goods not falling within sub-section (2).
    - (i) in the case of goods specified in Schedule A, shall be calculated at the rates specified therein;
    - (ii) in the case of declared goods except those specified in Schedule B, shall be calculated at four per cent or such other rate not exceeding the ceiling specified in clause (a) of section 15 of the Central Act as the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct;
    - (iii) in the case of goods specified in Schedule C, shall be calculated at four per cent or such other rate not exceeding ten per cent as the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct;
    - (iv) in the case of other goods, shall be calculated at ten per cent or such other rate not exceeding fifteen per cent, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct:

Provided that where any goods are sold in containers or packed in any packing materials, the rate of tax applicable to such containers or packing materials shall, whether the price of the containers or packing materials is charged separately or not, be the same as those applicable to the goods contained or packed therein; and where such goods are exempt from tax, the sale of the containers or packing materials shall also be exempt from tax;

(b) the purchase of goods, shall be calculated at four per cent or such lower rate applicable on sale of such goods had it been a sale falling under clause (a):

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that the tax shall be calculated at a lower rate.

Rates of tax on sale or purchase of goods in the State.

(2)-

- (2) The tax payable by a dealer on his taxable turnover in so far as such turnover or any part thereof relates to goods sold to the Government or to goods of the description referred to in sub-section (4) sold to a VAT dealer or such other registered dealer as may be prescribed (hereinafter both referred to in this section as 'authorised dealer'), shall be calculated
  - (a) if the goods are of the description contained in Schedule D, at the rate mentioned against such goods, otherwise;
  - (b) at four per cent or such lower rate applicable on sale of such goods had it been a sale falling under clause (a) of sub-section (1):

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that tax under clause (b) shall be calculated at a lower rate:

Provided further that the State Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of promotion of exports out of the country may, by notification in the Official Gazette, direct that tax under clause (b) on the taxable turnover which relates to the sale of goods of such class or classes to such class or classes of authorised dealers for such use by them, as may be specified in the notification, shall be calculated at zero rate.

- (3) The provisions of sub-section (2) so far as the rate of tax applicable thereunder on a sale of goods in the State is lower than the rate of tax applicable under clause (a) of sub-section (1) if such sale had been a sale falling within that clause, shall not apply unless the dealer selling the goods furnishes to the assessing authority in the prescribed circumstances and in the prescribed manner
  - (a) if the goods are sold to an authorised dealer, a declaration duly filled in and signed by him containing the prescribed particulars in the prescribed form obtained from the prescribed authority and in case such form is not available with such authority, a self printed and serially numbered form authenticated by such authority in the prescribed manner; or
  - (b) if the goods are sold to the Government, not being a registered dealer, a certificate in the prescribed form duly filled in and signed by a duly authorised officer of the Government.
  - (4) The goods sold to an authorised dealer referred to in sub-section
    - (a) are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the authorised dealer purchasing the goods as being intended, subject to any rules made by the State Government in this behalf, for use by him
      - (i) in the manufacture of goods for sale;
      - (ii) in the telecommunications network;

- (i) in mining; or
- (iv) to the generation or distribution of electricity or any other form of power;
- (b) are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the authorised dealer who is covered under the notification issued under the second proviso to clause (b) of sub-section (2), purchasing the goods as being intended for use by him for the purposes specified in the said notification;
- (c) are containers or other materials used for the packing of any goods or classes of goods specified in the certificate of registration referred to in clause (a) or clause (b).
- (5) If an authorised dealer after purchasing any goods for any of the purposes specified in clause (a), clause (b) or clause (c) of sub-section (4) fails, without reasonable excuse, to make use of the goods for any such purpose, the assessing authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, impose upon him by way of penalty a sum not exceeding one-and-a-half times the tax which would have been levied additionally under clause (a) of sub-section (4), if the sale made to him had been a sale falling within that clause:

Provided that no penalty shall be imposed where an authorised dealer voluntarily pays the tax which would have been levied additionally, as referred to in the foregoing provision, with the return for the period when he failed to make use of the goods purchased for the specified purposes.

8. (1) Input tax in respect of any goods purchased by a VAT dealer shall be the amount of tax paid to the State on the sale of such goods to him and shall, in case of a dealer who is liable to pay tax under sub-section (1) of section 3 or, as the case may be, makes an application for registration in time under sub-section (2) of section 11, include the tax paid under this Act and the Act of 1973 in respect of goods (except capital goods) held in stock by him on the day he becomes liable to pay tax but shall not include tax paid in respect of goods specified in Schedule E used or disposed of in the circumstances mentioned against such goods:

Provided that where the goods purchased in the State are used or disposed of partly in the circumstances mentioned in Schedule E and partly otherwise, the input tax in respect of such goods shall be computed pro rata:

Provided further that if input tax in respect of any goods purchased in the State has been availed of but such goods are subsequently used or disposed of in the circumstances mentioned in Schedule E, the input tax in respect of such goods shall be reversed.

(2) A tax invoice issued to a VAT dealer showing the tax charged to him on the sale of invoiced goods shall, subject to the provisions of sub-section (3), be sufficient proof of the tax paid on such goods for the purpose of sub-section (1).

Determination of input tax.

- (3) Where any claim of input tax in respect of any goods sold to a dealer is called into question in any proceeding under this Act, the authority conducting such proceeding may require such dealer to produce before it in addition to the tax invoice issued to him by the selling dealer in respect of the sale of the goods, a certificate furnished to him in the prescribed form and manner by the selling dealer; and such authority shall allow the claim only if it is satisfied after making such inquiry as it may deem necessary that the particulars contained in the certificate produced before it are true and correct.
- (4) The State Government may, from time to time, frame rules consistent with the provisions of this Act for computation of input tax and when such rules are framed, no input tax shall be computed except in accordance with such rules.

Payment of lump sum in lieu of tax

- 9. (1) The State Government may, in the public interest and subject to such conditions as it may deem fit, accept from any class of dealers, in lieu of tax payable under this Act, for any period, by way of composition, a lump sum linked with production capacity or some other suitable measure of extent of business, or calculated at a flat rate of gross receipts of business or gross turnover of purchase or of sale or similar other measure, with or without any deduction therefrom, to be determined by the State Government, and such lump sum shall be paid at such intervals and in such manner, as may be prescribed, and the State Government may, for the purpose of this Act in respect of such class of dealers, prescribe simplified system of registration, maintenance of accounts and filing of returns which shall remain in force during the period of such composition.
- (2) No dealer in whose case composition under sub-section (1) is in force, shall issue a tax invoice for sale of goods by him and no dealer to whom goods are sold by such dealer shall be entitled to any claim of input tax in respect of the sale of the goods to him.
- (3) A dealer in whose case composition under sub-section (1) is made and is in force may, subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed, opt out of such composition by making an application containing the prescribed particulars in the prescribed manner to the assessing authority, and in case the application is in order, such composition shall cease to have effect on the expiry of such period after making the application as may be prescribed.

Rounding off tax.

- 10. (1) The amount of tax, penalty or interest payable and the amount of refund due, under the provisions of this Act, shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose fifty paise or more shall be increased to one rupee and less than fifty paise shall be ignored.
- (2) If after rounding off, as provided in sub-section (1), the sum payable by an assessee or refundable to him, as the case may be, is less than ten rupees, the same shall be ignored.
- (3) Nothing in this section shall apply for the purpose of collection by a dealer of any amount by way of tax in respect of any purchase or sale of goods by him.

# Chapter-III

# Registration of dealers

11. (1) Every dealer liable to pay tax under sub-section (1) of section 3, who either held registration certificate under the Act of 1973 or whose application for registration under the said Act was pending till the appointed day, shall inform the assessing authority of such particulars of his business in such form and manner within such period as may be prescribed and such authority after receipt of such information, if it is satisfied about the correctness of the same by making such inquiry as it may consider necessary, shall issue to him a registration certificate under this Act which shall be valid from the appointed day, otherwise, it shall, after giving the affected person a reasonable opportunity of being heard, pass an order declining registration:

Provided that during the period prescribed for furnishing the information and till such time final decision is taken on the same, the registration certificate issued under the Act of 1973 shall be deemed to have been issued under this Act except when registration is declined.

- (2) Every dealer liable to pay tax, on whom sub-section (1) does not apply, shall, and any dealer, who does not deal exclusively in exempted goods, may, notwithstanding that he is not liable to pay tax under section 3, make an application for registration to the assessing authority within such time, in such form and manner, on payment of such fees not more than five hundred rupees, as may be prescribed.
- (3) If the prescribed authority is satisfied that the applicant is a bonafide dealer and the application for registration made by him is in order, he shall, subject to the provisions of section 12, grant him a certificate of registration in the prescribed form and such certificate of registration shall be valid from such date, as may be prescribed.
- (4) Any dealer to whom a registration certificate has been granted shall, from the date specified in the registration certificate which shall not be later than the date of grant of the registration certificate to him, be liable to tax and shall continue to be liable to tax so long as the registration certificate held by him is not cancelled notwithstanding that his liability to pay has ceased under sub-section (6) of section 3.
- (5) The assessing authority may, on information furnished to him under section 13 from time to time, by order, amend any certificate of registration and may cancel the same if the business is closed and such amendment in, or cancellation of, the certificate shall take effect from such date as may be prescribed.
  - (6) When -
    - (a) any business, in respect of which certificate has been granted, has been discontinued; or

Registration.

(b) the hability to pay tax or any dealer ceases in terms of sub-section (o) of section 3.

the assessing authority shall, after giving a reasonable opportunity of being heard to the affected person, cancel the certhicate of registration and the cancellation shall come into force after the expiry of such period, as may be prescribed.

- (7) A taxing authority not below the rank of Deputy Excise and Taxation Commissioner incharge of a district may in the prescribed manner, cancel, subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed, the certificate of registration issued to a dealer -
  - (a) for being held guilty of avoidance of tax under this Act or the Central Act;
  - (b) for misusing the certificate of registration; or
  - (c) for any other sufficient cause:

Provided that no order affecting any dealer adversely shall be made under this sub-section without affording him a reasonable opportunity of being heard.

Security from certain class of dealers.

- 12. (1) Where it appears to the authority to whom an application is made under section 11 to be necessary so to do for the proper realisation of the tax payable or for the proper custody and use of any forms referred to in this Act or the rules made thereunder which are printed under the authority of the State Government or are required to be authenticated by any authority under this Act before use, he may, by an order in writing and for reasons to be recorded therein, impose as a condition for the issue of a certificate of registration, a requirement that the dealer shall furnish in the prescribed manner and within such time as may be specified in the order such security as may be so specified, for all or any of the purposes of this Act.
- (2) Where it appears to the assessing authority to be necessary so to do for the proper realisation of tax payable under this Act or for the proper custody and use of the forms referred to in sub-section (1), he may, at any time while such certificate is in force, by an order in writing and for reasons to be recorded therein, require the dealer, to whom the certificate has been granted, to furnish within such time as may be specified in the order and in the prescribed manner such security or, if the dealer has already furnished any security in pursuance of an order under this sub-section or sub-section (1), such additional security as may be specified in the order, for all or any of the aforesaid purposes.
- (3) No dealer shall be required to furnish a security under sub-section (1) or sub-section (2) by the authority referred to therein, unless he has been given a reasonable opportunity of being heard and the amount of security that may be required to be furnished by any dealer under either of the aforesaid sub-sections of the aggregate of the amount of such security and the amount of additional security that may be required to be furnished by any dealer under sub-section (2), shall in no case exceed the tax payable, in accordance with the

(b) the liability to pay tax of any dealer ceases in terms of sub-section (6) of section 3,

the assessing authority shall, after giving a reasonable opportunity of being heard to the affected person, cancel the certificate of registration and the cancellation shall come into force after the expiry of such period, as may be prescribed.

- (7) A taxing authority not below the rank of Deputy Excise and Taxation Commissioner incharge of a district may, in the prescribed manner, cancel, subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed, the certificate of registration issued to a dealer -
  - (a) for being held guilty of avoidance of tax under this Act or the Central Act;
  - (b) for misusing the certificate of registration; or
  - (c) for any other sufficient cause:

Provided that no order affecting any dealer adversely shall be made under this sub-section without affording him a reasonable opportunity of being heard.

Security from certain class of dealers.

- 12. (1) Where it appears to the authority to whom an application is made under section 11 to be necessary so to do for the proper realisation of the tax payable or for the proper custody and use of any forms referred to in this Act or the rules made thereunder which are printed under the authority of the State Government or are required to be authenticated by any authority under this Act before use, he may, by an order in writing and for reasons to be recorded therein, impose as a condition for the issue of a certificate of registration, a requirement that the dealer shall furnish in the prescribed manner and within such time as may be specified in the order such security as may be so specified, for all or any of the purposes of this Act.
- (2) Where it appears to the assessing authority to be necessary so to do for the proper realisation of tax payable under this Act or for the proper custody and use of the forms referred to in sub-section (1), he may, at any time while such certificate is in force, by an order in writing and for reasons to be recorded therein, require the dealer, to whom the certificate has been granted, to furnish within such time as may be specified in the order and in the prescribed manner such security or, if the dealer has already furnished any security in pursuance of an order under this sub-section or sub-section (1), such additional security, as may be specified in the order, for all or any of the aforesaid purposes.
- (3) No dealer shall be required to furnish a security under sub-section (1) or sub-section (2) by the authority referred to therein, unless he has been given a reasonable opportunity of being heard and the amount of security that may be required to be furnished by any dealer under either of the aforesaid sub-sections or the aggregate of the amount of such security and the amount of additional security that may be required to be furnished by any dealer under sub-section (2), shall in no case exceed the tax payable, in accordance with the

estimate of such authority, by the dealer for the year in which such security or, as the case may be, additional security is required to be furnished.

- (4) Where the security furnished by a dealer under sub-section (1) or sub-section (2) is in the form of a surety bond and the surety becomes insolvent or is otherwise incapacitated or dies or withdraws, the dealer shall, within thirty days of the occurrence of any of the aforesaid events, inform the authority granting the certificate of registration and shall within ninety days of such occurrence furnish a fresh surety bond or furnish in the prescribed manner other security for the amount of the bond.
- (5) The assessing authority may, by order and for good and sufficient cause, forfeit the whole or any part of the security furnished by a dealer
  - (a) for realising any amount payable by the dealer under this Act; or
  - (b) if the dealer is found to have misused any of the forms referred to in sub-section (1) or to have failed to keep them in proper custody or to have failed to furnish information in respect of their use or surrender them as prescribed:

Provided that no order shall be passed under this sub-section without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard.

- (6) Where by reason of an order under sub-section (5), the security furnished by any dealer is rendered insufficient, he shall make up the deficiency in such manner and within such time, as may be prescribed.
- (7) If a dealer fails to comply, with an order under sub-section (1) or sub-section (2), or with the provisions of sub-section (4) or sub-section (6), the prescribed authority, may; after affording the dealer a reasonable opportunity of being heard, order
  - (a) that no form referred to in sub-section (1) shall be issued to him or authenticated until the dealer has complied with such orders or such provisions, as the case may be; or
  - (b) the rejection of the application for registration, or if the dealer is already registered under this Act, cancellation of his registration certificate, as the case may be, and in the event of rejection of application for registration, the dealer shall be deemed to have failed to apply for registration for the purposes of section 16.
- 13. If any dealer to whom the provisions of sub-section (2) of section 14 apply, —

Information to be furnished regarding change of business etc.

- (a) sells, transfers or otherwise disposes of or discontinues his business:
- (b) sells, transfers or otherwise disposes of or discontinues his place(s) of business or opens new place(s) of business;

- (c) changes the name, constitution or nature of his business including change in the goods traded or manufactured or used in business or manufacture; or
- (d) appoints an authorised agent,

he shall within the prescribed time, inform the assessing authority accordingly, and if any dealer dies, his legal representative shall in like manner inform the said authority:

Provided that if a dealer or his legal representative, as the case may be, fails to inform of the change as required under the foregoing provision having the effect of transferring the liability to pay tax on another person, then, notwithstanding the change, any tax which such person has become liable to pay after the change has taken place, may be recovered as if no change has taken place:

Provided further that nothing in the foregoing proviso shall discharge the transferee or the succeeding dealer as a result of change, of his liability to tax.

# Chapter-IV

# Filing of returns, assessment and collection of tax, refund

Submission of returns and payment of tax.

- 14. (1) Tax payable under this Act shall be paid in the manner and at such intervals as hereinafter provided.
- (2) The following dealers or class or classes of dealers, whether or not liable to pay tax, namely:—
  - (a) such class or classes of dealers as may be prescribed;
  - (b) such dealer as may be required so to do by the assessing authority by notice in the prescribed form served in the prescribed manner;
  - (c) a dealer who has applied for the grant of registration certificate but no final decision on his application has been taken; and
  - (d) every registered dealer,

shall furnish such returns including for statistical purposes at such intervals, verified by such persons, by such dates and to such authority, as may be prescribed and different returns may be prescribed for different class or classes of dealers, and if the tax due according to such returns is more than the tax paid under sub-section (3) or sub-section (4), as the case may be, he shall, in the manner prescribed, pay the balance with interest at the rate specified in sub-section (6) before furnishing the returns and attach therewith the proof thereof.

(3) Every dealer whose aggregate liability to pay tax under this Act, Act of 1973 and the Central Act for the last year or part thereof according to the returns

filed by him is equal to or more than one lakh rupees or such other sum, as may be prescribed, shall, in the manner prescribed, pay on or before the fifteenth day of each month the full amount of tax payable by him for the previous month, computed by him in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder:

Provided that if he is not able to quantify his tax liability accurately by that time, he shall pay an amount equal to monthly average of his tax liability in the last year (or such shorter period for which he has been liable to pay tax in that year) as tax provisionally, and he shall pay the balance, if any, on or before the twenty-fifth day of the month, and the excess, if any, he may adjust with his future tax liability.

- (4) Every dealer on whom sub-section (3) does not apply, shall, in the prescribed manner, pay in the month immediately following each quarter, the full amount of tax payable by him for the quarter, computed by him in accordance with the provisions of this Act and the rules made thereunder.
- (5) If a dealer discovers in any return furnished by him, any omission or other error, which he could not have rectified after the exercise of due diligence before furnishing the return, he may at any time before the date prescribed for furnishing of return for the next period by him, furnish a revised return, and if the revised return shows a greater amount of tax to be due than was shown in the original return, it shall be accompanied by a receipt showing payment of the extra amount along with simple interest thereon calculated at the rate of one-and-a-half per cent per month for the period the amount remained unpaid due to the omission or error, in the State Government treasury in the manner prescribed.
- (6) If any dealer fails to make payment of tax as required by sub-sections (3), (4) and (5), he shall be liable to pay in addition to the tax payable by him, simple interest at one-and-a-half per cent per month if the payment is made within ninety days from the last date specified for the payment of tax, but if the default continues thereafter, he shall be liable to pay simple interest at three per cent per month for the whole of the period from the last date specified for the payment of tax to the date he makes the payment.
- 15. (1) The returns furnished by a dealer shall be duly acknowledged in the manner prescribed, and where all the returns relating to an assessment year have been filed and are complete in material particulars, the dealer shall, subject to the provisions of sub-section (2), be deemed to have been assessed for that year:

Assessment of registered dealer.

Provided that where the returns are not complete in material particulars, the dealer shall be given an opportunity to complete them.

Explanation.— A return is complete in material particulars if it contains the information required to be furnished therein, is correct arithmetically, accompanied with the statutory lists, documents and proof of payment of tax due according to the return in full and is duly signed by the dealer.

(2) Subject to the rules which the State Government may frame for selection of cases for scrutiny in respect of dealers required to file returns under sub-section (2) of section 14, the assessing authority shall, in respect of each selected case, serve on the dealer concerned the prescribed notice in the prescribed manner requiring him, on a date and at a place specified therein, either to attend in person or to produce or to cause to be produced any evidence on which such dealer may rely in support of the returns filed by him relating to the period under assessment (hereinafter referred to in this section as 'assessment period'):

> Provided that the assessment period covered by a notice referred to in the foregoing provision shall not exceed one year and such notice shall be served on the dealer before the expiry of one year from, the last date prescribed for filing the last return relating to the assessment period or, the actual date when any return relating to the assessment period has been filed last, whichever is later.

(3) On the day specified in the notice or as soon afterwards as may be, the assessing authority shall, after hearing such evidence as the dealer may produce and such other evidence as it may require on specified points, assess the amount of tax due from him:

> Provided that no order under this sub-section shall be passed after the expiry of three years from the close of the year to which the assessment relates.

- (4) If a dealer, having furnished returns in respect of a period, fails to comply with the terms of a notice issued under sub-section (2) or sub-section (3), the assessing authority shall, before the expiry of three years from the close of the year to which such returns relate, assess to the best of its judgement the amount of tax due from him.
- (5) If a dealer fails to furnish return(s) in respect of any period by the prescribed date, the assessing authority may, at any time before the expiry of three years from the close of the year to which such return(s) relate, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, assess, to the best of its judgement, the amount of tax, if any, due from him and for this purpose he may presume that his taxable turnover for the assessment period is the same as for the corresponding period of the last year and input tax is nil:

Provided that if the return(s) is(are) filed in the mean time the assessing authority may consider the same.

(6) The assessing authority may, for the purpose of complying with the requirements of this section, visit after prior notice any or all place(s) of business of a dealer of such class or classes as may be prescribed, and may inspect and examine with the assistance of such persons as it considers necessary all business activities, processes, accounts, records, documents and other things relevant to the proceedings, and the dealer shall render all the necessary assistance in carrying out such inspection and examination for as long a period as such authority considers necessary.

- (7) Any assessment made under this section shall be without prejudice to any penalty imposed under this Act.
  - Note An assessment relating to a part of a year shall, for the purpose of computing time limitation under this section, be deemed to relate to the year.
- 16. If upon information which has come into his possession, the assessing authority is satisfied that any dealer has been liable to pay tax in respect of any period but has failed to apply for registration, it shall, before the expiry of three years following the end of such period, after giving him a reasonable opportunity of being heard, assess, to the best of its judgement, the amount of tax due from him in respect of such period and all subsequent periods and shall direct him further to pay by way of penalty a sum equal to the amount of tax found due as a result of such assessment.

Assessment of unregistered dealer liable to tax.

Explanation.— For the purposes of this section, a dealer shall be deemed to have failed to apply for registration, if he makes an incomplete application for registration or, having made an application for registration, fails to comply with any direction given to him by the assessing authority within the time specified by it as a result of which his application is filed.

Reassessment of

- 17. If in consequence of definite information which has come into its possession, the assessing authority discovers that the turnover of the business of a dealer has been under assessed or has escaped assessment or input tax or refund has been allowed in excess in any year, it may, at any time before the expiry of five years following the close of that year or before the expiry of two years following the date when the assessment for that year becomes final, whichever is later, after giving the dealer a reasonable opportunity, in the prescribed manner, of being heard, reassess the tax liability of the dealer for the year for which the reassessment is proposed to be made; and for the purpose of reassessment the assessing authority shall, in case the dealer fails to comply with the terms of the notice issued to him for the purpose of reassessment, have power to reassess to the best of its judgement.
- 18. (1) Notwithstanding the provisions relating to the period of limitation contained in sections 15, 16 and 17, assessment or reassessment, as the case may be, may be made—
  - (i) in consequence of, or to give effect to, any order made by any court, or any authority under this Act within a period of two years of receipt of copy of such order by the assessing authority;
  - (ii) before the expiry of five years following the close of the year, which any book, account, register or document seized under section 29 relates to, provided the proceedings do not extend after

Period of limitation for completion of assessment or reassessment not to apply in certain cases.

the expiry of the period specified in third proviso to sub-section (4) of section 29.

(2) Where the assessment or reassessment proceedings relating to any dealer remained stayed including stay of passing the final order for any period, by order of any court, or any authority under this Act, such period shall be excluded in computing the period of limitation for assessment or reassessment specified in section 15, section 16 or section 17, as the case may be.

Rectification of clenical mistakes. 19. Any taxing authority or appellate authority, may, at any time, within a period of two years from the date of supply of copy of the order passed by it in any case, rectify any clerical or arithmetical mistake apparent from the record of the case:

Provided that no order shall be passed under this section without giving the person adversely affected thereby a reasonable opportunity of being heard.

Refund.

- 20. (1) If any person has charged any amount purported to be tax in excess of the tax leviable, no order allowing refund of the excess amount shall be passed in his favour by any authority under this Act or by any court unless he refunds such amount to those from whom it was charged, and where charged from a VAT dealer, the input tax shall be duly adjusted.
  - (2) No refund of input tax shall be admissible to a VAT dealer except -
    - (a) in respect of input tax relating to the goods which have been sold in the course of export of goods out of the territory of India or have been used in manufacture and the manufactured goods have been sold in the course of export of goods out of the territory of India, in full; and
    - (b) in respect of input tax relating to the goods which have been sold in the State or in the course of inter-State trade or commerce or have been used in manufacture and the manufactured goods have been sold in the State or in the course of inter-State trade or commerce, only to the extent of such input tax exceeding the tax including the central sales tax calculated on sale of goods on account of difference in rate of tax between the input tax and the tax calculated on sales.

and the balance input tax after reducing therefrom the tax including the central sale tax levied on the sale or purchase of goods, as the case may be, shall be carried over for adjustment with future tax liability.

(3) A VAT dealer may seek refund by making an application containing the prescribed particulars accompanied with the prescribed documents in the prescribed manner to the assessing authority who shall, after examination of the application, allow provisionally refund to the dealer.

- (4) Where the assessing authority finds on assessment of a dealer that he has paid any amount in excess of tax, interest or penalty assessed or imposed on him under this Act, it shall allow refund of the excess amount or allow the same to be carried forward for adjustment with future tax liability, as the case may be.
- (5) Any amount refundable to any person as a result of an order passed by any court, appellate authority or revising authority, shall be refunded to him on an application containing the prescribed particulars accompanied with the prescribed documents made in the prescribed manner to the prescribed authority.
- (6) The amount refundable under the foregoing provisions of this section to any person shall be subject to the approval in the prescribed manner of the prescribed authority who may, by order in writing passed after providing opportunity of being heard to the affected person, change the amount of refund or order that no refund is due.
- (7) Before any refund is given to any person under this Act it shall be first adjusted with any amount due from him under this Act or the Central Act for any period and the balance, if any, only shall be refunded to him.
- (8) Any amount ultimately found due to any person, which he paid as a result of an order passed under this Act, shall be refunded to him with simple interest at the rate of one per cent per month for the period from the date of payment to the date when refund is given to him.
- (9) Any amount, not falling within sub-section (8), refunded after a period of sixty days from the date of making an application under sub-section (5) shall carry with it simple interest at the rate of one per cent per month for the period from the date of making the application to the date when the refund is made.
- (10) Any amount due to a dealer under sub-section (4) but not refunded to him within sixty days from the date of passing the order allowing the refund, shall carry with it simple interest at the rate of one per cent per month for the period from the date of passing the order allowing the refund to the date when the refund is made.
- (11) Where any question arises as to any period to be excluded for the purposes of calculation of interest payable under sub-section (9) or sub-section (10) because the delay for the period in question has been due to the fault of the assessee entitled to the refund, such question shall, after giving the assessee a reasonable opportunity of being heard, be determined by the Commissioner by an order in writing.
- 21. (1) Where an order giving rise to a refund is the subject matter of further proceedings and the taxing authority interested in the success of such proceedings is of the opinion that the grant of the refund is likely to adversely affect the recovery in the event of success of such proceedings, he may, for reasons to be recorded in writing, withhold the refund and shall, if such authority is below the rank of Commissioner, refer the case, within thirty days of the application for the refund, to the Commissioner for order.

Power to withhold refund.

(2) If a reference has been made to the Commissioner under sub-section (1) in time, he may either pass an order withholding refund or direct that refund be made on furnishing of security except cash security of the like amount or decline to withhold the refund:

Provided that if no order withholding the refund is received within ninety days of making the reference to the Commissioner, the refund shall be given forthwith.

# Chapter-V

# Recovery of tax

Demand notice and payment of tax etc

- 22. (1) The amount of any tax assessed and the penalty imposed under this Act shall be paid by the dealer in the manner prescribed within a period of thirty days from the date of service of notice of demand in the prescribed form issued by the assessing authority for this purpose.
- (2) A taxing authority who is required to recover any dues under this Act from an assessee, if satisfied that the assessee is unable to pay the whole of the amount due against him within the time allowed to him for payment, it may, with the prior approval of the officer incharge of the district by order in writing, extend the date of payment of such dues or allow him to pay the same by instalments against an adequate security or bank guarantee subject to payment of interest under the provisions of section 23.
- (3) The Commissioner or an officer authorised by him in writing in this behalf, may, on an application made to him, modify an order passed under sub-section (2) or an order passed by him under this sub-section.
- (4) Notwithstanding anything contained in section 33, any order passed under sub-section (2) or sub-section (3) shall not be appealable.

Interest on failure to pay tax or penalty 23. (1) If any amount, specified in a notice of demand issued under section 22, or directed to be deposited by an order passed under this Act, whether as tax or penalty or both, is not paid within a period of thirty days from the date of service of the notice or the supply of the copy of the order to the assessee, as the case may be, then, he shall be liable to pay in addition to the amount due from him simple interest on such amount at one-and-a-half per cent per month if the payment is made within ninety days but if the default continues thereafter, at three per cent per month for the period from the last date for the payment of the amount in time to the date he makes the payment:

Provided that where the recovery of any tax or penalty is stayed by the High Court or the Supreme Court, the amount of such tax or penalty shall be recoverable with simple interest at one-and-a-half per cent per month on the amount ultimately found due for the period the stay of recovery of the amount continued.

- (2) The interest leviable under this Act shall not exceed the amount of tax or penalty on the non-payment or late payment of which such interest is charged.
- (3) For the purpose of computation of interest payable under any provisions of this Act, rate of interest per month shall mean the rate per thirty-day period and interest for any shorter period shall be calculated proportionately and where the amount due on which interest is payable is paid in parts, the interest shall be computed separately for each part.

Illustration:— Rs.15,000 payable as tax upto 1st June, 2003, are paid as follows: Rs.5,000 on 28th May, 2003, Rs.3,646 on 10th August, 2003, Rs.2,348 on 15th October, 2003 and Rs.4,006 on 20th December, 2003, the interest payable on late payment shall be Rs.1,256 (rounded off), as shown below:—

Amount paid	Last date for payment without interest	Actual date of payment	Delay in number of days	Interest payable on late payment
5,000	01-06-03	28-05-03	Nil	Nil
3,646	01-06-03	10-08-03	70	127.61
2,348	01-06-03	15-10-03	136	319.33
4,006	01-06-03	20-12-03	202	809.21
<del>- ,</del>	<del></del>		Total:	1,256.15

- 24. (1) The State Government may, having regard to the effective recovery of tax, require in respect of contractors or any other class or classes of dealers that any person making payment of any valuable consideration to them for the execution of a works contract in the State involving transfer of property in goods, whether as goods or in some other form or for sale of goods in the State, as the case may be, shall, at the time of making payment, whether by cash, adjustment, credit to the account, recovery of dues or in any other manner, deduct tax in advance therefrom which shall be calculated by multiplying the amount paid in any manner with such rate not exceeding ten per cent, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and different rates may be specified for different works contracts or class or classes of dealers, and that such person shall keep record, of the payments made and, of the tax deducted in advance therefrom, for a period of five years from the close of the year when the payments were made and shall produce such record before the prescribed authority when so required for carrying out the purposes of this Act.
- (2) The provisions of sub-section (1) shall not apply where the amount or the aggregate of the amounts paid or likely to be paid during a year by any person to a dealer does not or is not likely to exceed one lakh rupees or such other amount as may be prescribed.

Special provisions relating to deduction of tax at source in certain cases.

- (3) Every person who is required to deduct tax in advance under sub-section (1) shall furnish such returns at such intervals by such dates in such manner to such authority as may be prescribed and shall pay the tax deducted according to such returns to the State Government in such manner as may be prescribed.
- (4) Every person referred to in sub-section (3) shall issue to the payee a certificate of tax deduction and payment in such form in such manner as may be prescribed.
- (5) Any tax paid to the State Government in accordance with sub-section (3) shall be adjustable by the payee, on the authority of the certificate issued to him under sub-section (4), with the tax payable by him under this Act and the assessing authority shall, on furnishing of such certificate to it, allow the benefit of such adjustment after due verification of the payment.
- (6) If any person fails to deduct the whole or any part of the tax as required by or under the provisions of sub-section (1), or fails to pay the whole or any part of the tax as required by or under sub-section (3), then, the authority referred to in sub-section (3) may, at any time within five years of the close of the year when he failed to do so, by order in writing, direct him, after giving him a reasonable opportunity of being heard, to pay, by way of penalty, a sum equal to the amount of tax which he failed to deduct or pay as aforesaid.

Special provisions relating to casual traders

- 25. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in section 11, section 15 and section 28, a casual trader shall,—
  - (a) at least three days before commencing business in the State, inform the assessing authority of such particulars of his business in such form and manner as may be prescribed;
  - (b) deposit security in cash as may be fixed by the assessing authority which shall not exceed estimated liability to pay tax for seven days or such lesser period for which the casual trader is conducting the business:
  - (c) pay tax daily on the sales made during the previous day;
  - (d) furnish to the assessing authority immediately after conclusion of his business in the State a return of the business in the prescribed form and manner; and
  - (e) not issue any tax invoice for sale of goods by him and no dealer to whom any goods are sold by such dealer shall be entitled to any claim of input tax in respect of the sale of such goods to him.
- (2) The assessing authority shall, after verification of information furnished to it under clause (a) of sub-section (1) and after getting security under clause (b) of that sub-section, allot a temporary registration number to the casual trader.

- (3) The assessing authority may, after allotting temporary registration number to a casual trader, issue to him in limited number as per his genuine requirement, forms for use as the declaration referred to in sub-section (2) of section 31 for bringing goods for sale in the State and for taking the goods left unsold. The casual trader shall render complete account of the used forms and surrender the unused forms with the return referred to in clause (d) of sub-section (1).
- (4) The assessing authority shall, after examination of, the return furnished to it by the casual trader under clause (d) of sub-section (1), the forms referred to in sub-section (3) and the accounts maintained by him including the sale invoices issued, assess him to tax on the day when the return is received or as soon afterwards as possible and after adjusting any tax due from him refund the balance amount of security to him.
- 26. Any amount due under this Act including the tax admitted to be due according to the returns filed, which remains unpaid after the last date specified for payment, shall be the first charge on the property of the defaulter and shall be recoverable from him as if the same were arrears of land revenue.
- 27. Where any person liable to pay any tax or other dues under this Act creates during the period any proceedings under this Act are pending against him, a charge on, or transfers, any immovable property belonging to him in favour of any other person, such charge or transfer shall be void as against any claim in respect of any tax or other dues payable by such person as a result of the completion of the said proceedings unless he proves that such charge or transfer was not with the intention of defrauding any such tax or other dues.

Amount due under this Act recoverable as arrears of land revenue.

Transfer to defraud revenue void.

#### Chapter-VI

Maintenance of accounts, Inspection of business premises, Survey, Checking of goods in transit, Furnishing of information by clearing and forwarding agents.

28. (1) Every dealer liable to furnish returns under sub-section (2) of section 14 shall keep a true and proper account of his business, and if the assessing authority considers that such account is not sufficiently clear and intelligible to enable him to make a proper check of the returns referred to in that sub-section, he may require such dealer by notice in writing to keep such accounts, as he may, inwriting, direct subject to anything that may, with a view to making proper assessment of tax, be prescribed.

Maintenance of accounts.

- (2) Every dealer required to furnish returns under sub-section (2) of section 14 shall,—
  - (a) in respect of every sale of goods, effected by him-
    - (i) to any dealer;
    - (ii) to any other person on credit;

(iii) to any other person on cash, where the sale price of the goods exceed one hundred rupees or such other amount not exceeding five hundred rupees, as may be prescribed, compulsorily, otherwise, on demand by such person,

issue to the purchaser, where he is a VAT dealer to whom the goods are sold for resale by him or for use by him in manufacture or processing of goods for sale, a tax invoice, otherwise a retail/other sale invoice,—

- (A) in the case of specific or ascertained goods, at the time the contract of sale is made; and
- (B) in the case of unascertained or future goods, at the time of their appropriation to the contract of sale;

# showing the prescribed particulars:

Provided that if the contract of sale requires that the goods be delivered over a period of time, he may issue a delivery note showing the prescribed particulars at the time of dispatch of the goods, every time such dispatch is made, and when the delivery of the goods is complete or a month closes in between, he shall issue a consolidated tax invoice or retail/other sale invoice, as the case may be, showing the prescribed particulars, in respect of the goods sold during the month or part thereof, as the case may be;

- (b) maintain, in the prescribed manner, account of all sales not falling within clause (a);
- (c) in respect of every dispatch of goods otherwise than by sale, issue a delivery note at the time of the dispatch showing the prescribed particulars; and
- (d) preserve a carbon copy of every invoice or delivery note issued under clause (a) or clause (c) for a period of eight years following the close of the year when the sale was made and where some proceedings under this Act are pending, till the completion of such proceedings.
- (3) A VAT dealer who returns any goods sold to him by another VAT dealer on a tax invoice, shall issue to the selling VAT dealer at the time of return of the goods, a delivery-cum-debit note showing the prescribed particulars and shall reverse the input tax availed of by him relating to the goods.
- 29. (1) A taxing authority may, for the purposes of this Act, require any dealer to produce before him any book, document or account relating to his business and may inspect, examine and copy the same and make such enquiries from such dealer relating to his business, as may be necessary.

Production and inspection of books, documents and accounts.

- (2) Every registered dealer shall --
- (a) maintain day to day accounts of his business;
- (b) maintain a list of his account books, display it along with his registration certificate and furnish a copy of such list to the assessing authority;
- (c) produce, if so required, account books of his business before the assessing authority for authentication in the prescribed manner;
- (d) retain his account books at the place of his business, unless removed therefrom by an official for inspection, by any official agency or by auditor, or for any other reason which may be considered to be satisfactory by the assessing authority;
- (e) preserve his account books for a period of eight years after the close of the year to which such books relate and where some proceedings under this Act are pending, till the completion of such proceedings.
- (3) The provisions of sub-section (2) shall apply mutatis mutandis to every such dealer who is liable to furnish returns under sub-section (2) of section 14.
- (4) If any officer referred to in sub-section (1) has reasonable grounds for believing that any dealer is trying to evade liability to tax or other dues under this Act, and that anything necessary for the purpose of an investigation into his liability may be found in any book, account, register or document, the officer may seize such book, account, register or document as may be necessary. The officer seizing the book, account, register or document shall forthwith grant a receipt for the same and shall,—
  - (a) in the case of a book, account, register or document which was being used at the time of seizing, within a period of thirty days from the date of seizure; and
  - (b) in any other case, within a period of one-hundred-eighty days from the date of seizure.

return it to the dealer or the person from whose custody it was seized, after examination or after having such copies or extracts taken therefrom as may be considered necessary; provided the dealer or the aforesaid person gives a receipt in writing for the book, account, register or document returned to him. The officer may, before returning the book, account, register or document, affix its signatures and its official seal at one or more places thereon, and in such case the dealer or the aforesaid person will be required to mention in the receipt given by him the number of places where the signatures and seal of such officer have been affixed on each book, account, register or document:

Provided that the seized book, account, register or document may be retained for a longer period if so required:

Provided further that if the seized book, account, register or document is retained by any taxing authority other than the Commissioner for more than the period specified in clause (a) or clause (b), as the case may be, the reasons for doing so shall be recorded in writing and the approval of the Commissioner shall be obtained by the said authority before the specified period or the extended period, as the case may be, expires:

Provided further that any proceedings taken up as a result of examination of seized material shall be concluded before the expiry of one year from the date of the seizure except that the proceedings may, with written permission of the Commissioner, continue for one more year.

(5) For the purposes of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the officer, referred to in sub-section (1), assisted by such persons as he may consider necessary, may enter and search any office, shop, godown or any other place of business of the dealer or any building, dwelling house or place, or means of transport, goods carrier or vehicle where such officer, has reasons to believe that the dealer keeps, or is for the time being keeping, any book, account, register, document, goods or anything relating to his business:

Provided that before entering and searching any premises the aforesaid officer shall record in writing the reasons for making such entry and search and shall obtain the sanction of the Commissioner or of such other officer not below the rank of Deputy Excise and Taxation Commissioner as the Commissioner may, for this purpose, authorise in writing:

Provided further that no entry for search in a dwelling house shall be made —

- (i) after sunset and before sunrise;
- (ii) by an officer below the rank of an Excise and Taxation Officer:
- (iii) without obtaining the sanction of the Deputy Commissioner or Sub-Divisional Officer (Civil) within whose jurisdiction such house is situated.
- (6) The power conferred by sub-section (5), shall include the power,-
  - (i) where any person in or about such premises is reasonably suspected of concealing about his person anything for which search should be made, to search such person, and, if such person is a woman, the search shall be made by another woman, with strict regard to decency;
  - (ii) to open and search any box, till or receptacle in which any book, account, register, document, sale proceeds, goods or anything

which is relevant to any proceeding under this Act may be contained:

- (iii) to make a note or inventory of anything including cash and goods found as a result of such search;
- (iv) to record the statement of a dealer or any person connected with his business including a bailee or a transporter, and such statement may, after giving the affected person a reasonable opportunity of being heard, be used for the purpose of determining his liability to tax;
- (v) to take into possession and handover to other person for safe custody or to remove to safe custody any unclaimed goods after posting a notice, containing a brief narration of events resulting into such action with description, quantity and estimated value of the goods, requiring the owner of the goods to appear before it on a date and at a place specified therein with the proof of ownership of the goods and their entry in the books of account maintained in the normal course of business, at a conspicuous part of the place or building from where the goods are taken into possession, and a copy of such notice shall also be served upon on the occupier of the place or building?

Provided that if no claim to the ownership of such goods is made before such officer within twenty days of such notice, the officer may sell the goods by public auction or otherwise dispose them of in the manner prescribed and deposit the sale proceeds, or the amount obtained by the disposal of the goods, in the State Government treasury:

Provided further that if the goods are of perishable nature or subject to speedy and natural decay or are such as may, if held, lose their value or when the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the officer may immediately sell such goods or otherwise dispose them of in the manner prescribed.

Explanation.—For the purpose of this clause "occupier" includes an owner, manager or any other person in occupation or having control of the place or building.

(7) Where any officer referred to in sub-section (1) finds any taxable goods in any office, shop, godown or any other place of business or any building or place, or goods carrier or vehicle of, or which for the time being is under the control of, a dealer on whom the provisions of sub-section (2) of section 14 apply but not accounted for by him or the person incharge of the goods carrier or vehicle in his books, accounts, registers and other documents, the officer may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, impose on him a penalty computed

by multiplying the value of the goods with three times the rate of tax applicable on sale of goods subject to a maximum of thirty per cent of the value of the goods, and direct him to account for the goods in his books of account:

Provided that where the goods accounted for are underpriced, the penalty shall be computed by multiplying the difference between the market price and the price at which the goods have been accounted for with three times the rate of tax applicable on sale of goods.

Survey of place of business.

- 30. (1) A taxing authority may, for the purpose of identifying an unregistered dealer liable to tax or estimating extent of business of any dealer or making verification of documents furnished to or produced before it or any other authority under this Act, or for the purpose of collecting any data or conducting a market survey which may be useful for tax administration under this Act, or for carrying out other purposes of this Act, visit—
  - (a) any place of business within the area of its jurisdiction; or
  - (b) any place of business of a dealer to whom such authority, granted or, as the case may be, is competent to grant, a certificate of registration under this Act,

whether such place be the principal place or not of such business, and require any proprietor, employee or any other person who may at that time and place be attending in any manner to, or helping in, the carrying on of such business –

- to afford it the necessary facility to inspect such books of account or other documents as he may require and which may be available at such place;
- (ii) to afford it the necessary facility to check or verify the stock of goods, sale proceeds of goods, cash or thing which may be found therein; and
- (iii) to furnish such information as it may require as to any matter which may be relevant to any proceeding, data collection or market survey under this Act.
- Explanation.— For the purposes of this sub-section, a place where a business is carried on, shall also include any other place, whether any business is carried on therein or not, in which the person carrying on the business states that any of his books of account or other documents or any part of his stock of goods or anything relating to his business are kept.
- (2) A taxing authority visiting any place of business under sub-section (1) may do so only during the hours at which such place is open for the conduct of business and, in the case of any other place, only after sunrise and before sunset.
  - (3) A taxing authority acting under this section may,—

- (i) if it so deems necessary, place marks of identification on the books of account or other documents inspected by it and make or cause to be made extracts or copies therefrom;
- (ii) make an inventory of any stock of goods, sale proceeds of goods, cash or thing checked or verified by it; and
- (iii) record the statement of any person which may be relevant to any proceeding under this Act.
- (4) A taxing authority acting under this section shall, on no account, remove or cause to be removed from the place wherein it has entered, any books of account or other documents or any cash, stock of goods or other thing except for the purpose of making extracts or copies from the books of account or other documents.
- (5) Where, having regard to the nature and scale of expenditure incurred by a dealer for establishing or running his business which may be relevant for assessing the extent of the business, the taxing authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may require the dealer to furnish such information as he may require as to any matter which may be relevant to any proceeding under this Act and may have the statements of the assessee or any other person recorded and any such statement may be used in evidence in any proceeding under this Act.
- 31. (1) If with a view to preventing or checking evasion of tax in any place or places in the State, the State Government, considers it necessary so to do, it may, by notification in the Official Gazette direct the establishment of a check-post or the erection of a barrier or both, at such place or places as may be notified.

Establishment of check-post, barriers and inspection of goods in transit.

- (2) The owner or person incharge of the goods and, when the goods are carried by a goods carrier, the driver or any other person incharge of the goods carrier, shall carry with him a goods carrier record, a trip sheet or log book, along with a sale invoice or tax invoice or delivery note, as the case may be, and a declaration containing the prescribed particulars in the prescribed form obtained from the prescribed authority, duly filled in and signed by the prescribed persons, in respect of the goods meant for the purpose of business and are carried by him or in the goods carrier and produce the same before an officer incharge of a check-post or barrier or any person appointed under sub-section (1) of section 55 not below the rank of an Assistant Excise and Taxation Officer or such other officer, as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint, checking the goods carrier at any other place.
- (3) At every check-post or barrier or at any other place, when so required by any officer referred to in sub-section (2) in this behalf, the owner or person incharge of the goods shall stop and the driver or any other person incharge of the goods carrier, entering or leaving the limits of the State, shall stop the goods carrier, and keep it stationary, as long as may reasonably be necessary, and allow the officer

104

incharge of the check-post or barrier, or the officer as aforesaid to examine the goods-carried by him or in the goods carrier, by breaking open the package or packages, if necessary, and inspect all records relating to the goods carried which are in the possession of such owner or person incharge of the goods or the driver or other person incharge of the goods carrier, who shall also furnish such other information, as may be required by the aforesaid officer, who, if considered necessary may also search the goods carrier and the driver or other person incharge of the goods carrier or of the goods.

(4) The owner or person incharge of the goods or goods carrier, entering or leaving the limits of the State, shall furnish a copy of goods receipt, documents as referred to in sub-section (2) or a declaration containing such particulars in such form obtained from such authority, in the manner as may be prescribed, of the goods carried by him or in such carrier, as the case may be, to the officer incharge of the check-post or barrier and shall produce the copy of the said goods receipt, documents or declaration duly verified and returned to him by the officer incharge of the check-post or barrier before any other officer as mentioned in sub-section (2):

Provided that where the owner or person incharge of the goods or the driver or other person incharge of the goods carrier bound for any place outside the State passes through the State, he shall in the prescribed manner furnish, in duplicate, to the officer incharge of the check-post or the barrier of his entry into the State a declaration in the prescribed form. and obtain from such officer a copy thereof duly verified; and shall deliver within twenty-four hours or such other time as may be prescribed and different lengths of time may be prescribed for different sets of entry and exit check-posts or barriers, the said copy to the officer incharge of the check-post or barrier at the point of his exit from the State, failing which he shall be liable to pay a penalty, to be imposed, if he fails to deliver the copy of the said declaration, by the officer incharge of the check-post or barrier of the entry, of an amount computed as provided in sub-section (8), and if he fails to deliver the said copy in time, by the officer incharge of the check-post or barrier of the exit, of two thousand rupees:

Provided further that no penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that where the owner or person incharge of the goods or the driver or other person incharge of the goods carrier bound for any place in the State from any other place in the State has to pass through another State, he shall furnish, in duplicate, to the officer incharge of the check-post or barrier of his exit from the State, a declaration in the prescribed form and obtain from him a copy thereof duly verified and shall deliver the same to the officer incharge of the check-post or barrier of his entry into the State, within four hours or such other time as may

be prescribed and different lengths of time may be prescribed for different sets of exit and entry check-posts or barriers, of his exit from the State through the check-post or barrier, tailing which he shall be liable to pay a penalty, to be imposed, if he fails to deliver the copy of the said declaration, by the officer incharge of the check-post or barrier of the exit, of an amount computed as provided in sub-section (8), and if he fails to deliver the said copy in time, by the officer incharge of the check-post or barrier of the entry, of two thousand rupees:

Provided further that no penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

- (5) The Commissioner may issue directions to any dealer or class or classes of dealers individually that the documents referred to in sub-section (2) shall, in the absence of establishment of a check-post or the erection of a barrier under sub-section (1), be furnished to such officer not below the rank of an Assistant Excise and Taxation Officer at such office in respect of such class or classes of goods as mentioned in the directions, consigned to, or consigned by, such dealer(s) and when such directions are issued, the person carrying the goods shall produce the said documents duly verified and returned to him by the said officer, before any other officer as mentioned in sub-section (2). The directions issued under this sub-section shall remain in force so long as these are not modified or withdrawn and when modified shall remain in force as these are modified.
- (6) If the officer incharge of the check-post or barrier or other officer as mentioned in sub-section (2) has reasons to suspect that the goods under transport are not covered by proper and genuine documents as mentioned in sub-section (2) or sub-section (4), as the case may be, or that the person transporting the goods is attempting to evade payment of tax, he may for reasons to be recorded in writing, and after hearing the said person, order the unloading and detention of the goods and shall allow the same to be transported only on the owner of the goods, or his representative or the driver or other person incharge of the goods carrier on behalf of the owner of the goods, furnishing to his satisfaction, a security, or if the owner of the goods is a dealer registered under this Act, having regard to his financial position a personal bond, in the prescribed form and manner for the maximum amount which may be chargeable from him under sub-section (8):

Provided that the officer detaining the goods may, if he deems fit, having regard to the nature of the goods and the goods carrier, and other relevant matters, hand over the goods for safe custody to any person, who shall, subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, be paid the expenses thereof by such officer. The person to whom the goods are handed over for safe custody shall not hand over them to anyone except with the written permission of the officer detaining the goods otherwise the value of the goods shall be recoverable from him as arrears of land revenue:

Provided further that where any goods are detained, a report shall be made immediately and in any case within twenty-four hours of the detention of the goods by the officer detaining the goods to the officer incharge of the district where the goods have been detained seeking the latter's permission for the detention of the goods for a period exceeding twenty-four hours as and when so required and if no intimation to the contrary is received from the latter, the former may assume that his proposal has been accepted.

- Note Where a duly filled and signed declaration referred to in sub-section (2) or sub-section (4) or duly verified documents referred to in sub-section (5), as the case may be, is (are) not produced before the officer referred to in sub-section (6), such officer shall have sufficient reason to suspect that the person transporting the goods is attempting to evade payment of tax.
- (7) When any goods are detained under sub-section (6), the officer detaining the goods shall issue to the owner of the goods, if present, or, if the owner of the goods is not present, to his representative or the driver or other person incharge of the goods carrier a receipt specifying the description and quantity of the goods so detained and obtain an acknowledgement, from such person or if such person refuses to give an acknowledgement, record the fact of refusal and make immediately a report to the officer incharge of the district where the goods are detained.
- (8) The officer detaining the goods shall record the statement, if any, given by the owner of the goods or his representative or the driver or other person incharge of the goods carrier. If, after the inquiry including an inquiry into the nature of the transaction which occasioned the movement of goods, such officer finds that there has been an attempt to evade the tax, he shall, by order, impose on the owner of the goods and in case the owner is not forthcoming or his identity is not disclosed by the person incharge of the goods or the driver or person incharge of the goods carrier, in which the goods are being carried, on the person incharge of the goods or the goods carrier or the driver, deeming such person to be the owner of the goods, a penalty computed by multiplying the value of the goods with three times the rate of tax applicable on their sale subject to a maximum of thirty per cent of the value of the goods, and direct him to deposit, in addition to the penalty, advance tax computed by multiplying the value of the goods with the rate of tax applicable on their sale which shall be adjustable with the liability to tax incurred on the purchase or sale of such goods or the sale of goods manufactured therefrom, as the case may be, and in case it finds otherwise, it shall order the release of the goods:

Provided that where the offence relates to only an attempt to evade tax by underpricing the goods, the penalty shall be computed by multiplying the difference between their market price and the value shown in the documents accompanying their movement with three times the rate of tax applicable on their sale:

Provided further that no penalty shall be imposed and no advance tax shall be required to be deposited unless the owner of the goods or his representative or person incharge of the goods or the goods carrier or the driver, as the case may be, has been given a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that if the penalty imposed under this sub-section is set aside in any proceeding under this Act or by the court, the amount of advance tax and penalty both shall be refunded to the person who paid the same.

(9) In the event of the owner of the goods not paying the penalty imposed and the advance tax payable under sub-section (8) within thirty days from the date of the supply of the copy of the order passed under that sub-section to him, the goods detained shall be liable to be sold by public auction, or disposed of otherwise, in the prescribed manner, for realisation of the penalty and advance tax:

Provided that if the order of imposition of penalty under sub-section (8) is in the meantime set aside or modified in appeal or other proceeding, the officer detaining the goods and imposing the penalty shall also pass consequential order for giving effect to the order in such appeal or other proceedings, as the case may be.

- (10) If the goods detained are of a perishable nature or subject to speedy and natural decay or are such as may, if held, lose their value or when the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the officer incharge of the check-post or barrier or any other officer empowered under sub-section (2), as the case may be, shall immediately sell such goods or otherwise dispose them of and deposit the sale proceeds of such goods, or the amount obtained by the disposal of such goods otherwise than by way of sale, in the State Government treasury.
- (11) Where the detained goods are sold or otherwise disposed of under this section, the owner thereof shall be liable to pay the expenses and other incidental charges incurred in detaining and disposing of the same.
- (12) If the sale proceeds of any goods sold or the amount obtained on the disposal of any goods otherwise than by way of sale under the provisions hereinbefore contained exceeds the penalty imposed and advance tax payable in respect of such goods, such excess amount after deducting the expenses, and incidental charges referred to in sub-section (11) shall be returned by the officer who conducted the sale or otherwise disposed of the goods, to the owner of the goods.
- (13) At every station of transport of goods, bus-stand or any other station or place of loading or unloading of goods including any place or godown where goods are stored, other than a post office, when so required by a taxing authority, the person incharge of such place or owner or person incharge of the goods including where the goods are loaded or are being loaded in or unloaded from a goods carrier at such place, the driver or other person incharge of the goods

carrier shall produce for examination transport receipts and all other documents and account books concerning the goods carried, transported, loaded, unloaded, consigned, delivered or received for transport to be maintained by him in the prescribed manner and a taxing authority shall have, for the purpose of examining that such transport receipt and other documents and account books are in respect of the goods carried, transported, loaded, unloaded or consigned, delivered or received for transport, the power to break open any packages of such goods or enter or search the premises. If the taxing authority is satisfied that it is necessary for the purpose of investigation or verification, such authority may seize the transport receipts, documents or account books produced before it for examination or found by it at such premises, and it shall forthwith grant a receipt for them and shall return them to the person from whose custody those were seized after examination or completion of investigation or verification within a period of sixty days, and where those are required to be retained beyond the aforesaid period of sixty days. the authority other than the Commissioner so retaining them shall record the reasons in writing and shall obtain the approval of the Commissioner for so doing.

- (14) Except in accordance with such conditions, as may be prescribed, with a view to ensuring that there is no evasion of tax imposed by or under this Act—
  - (a) no driver or person incharge of a goods carrier or any person incharge of a place of loading or unloading of goods shall accept any consignment of goods for transport or give delivery of any consignment of such goods, other than personal luggage or goods for personal consumption;
  - (b) no dealer or any person including a carrier of goods acting on behalf of a dealer, shall take delivery of, or transport from any station of transport of goods, bus stand or any other station or place, of loading or unloading of goods, airport or any other place, whether of similar nature or otherwise, any consignment of goods referred to above.

Explanation. - For the purpose of this section -

- (1) where any goods are delivered to person incharge of a goods carrier or any person incharge of a place of loading or unloading of goods for transmission, the movement of the goods shall, for the purposes of this section, be deemed to commence at the time of such delivery and terminate at the time when delivery is taken from such person; and
- (2) the officer detaining the goods includes the officer who is competent to detain the goods.
- 32. (1) Every clearing, forwarding or booking agent or dalal, who in the course of his business handles documents of title to goods on behalf of a dealer and having his place of business in the State shall, furnish information about his place of business to such authority, within such time, in such form as may be prescribed.

Furnishing of information by clearing and forwarding agents.

- (2) Every such agent or person shall maintain regular account of handling of documents of title to the goods by him. He shall furnish particulars and information relating to such documents to, and produce such accounts and documents before, a taxing authority as and when required by such authority.
- (3) Every such agent or person shall, if so required by or under the rules which the State Government may frame in this behalf, furnish in respect of his business such returns in such form at such intervals by such dates in such manner to such authority, as may be prescribed.

Explanation.—"Clearing, forwarding, booking agent or dalal" shall include a person who renders his services for clearing, forwarding or booking of or taking delivery of consignment of goods at railway station, booking agency, goods transport company office or any place of loading or unloading of goods or contrives, makes and concludes bargains and contracts for or on behalf of any dealer for a fee, reward, commission, remuneration or other valuable consideration or otherwise.

## Chapter-VII

## Appeal, Revision, Review and Reference

- 33. (1) Any assessee considering himself aggrieved by an original order Appeal may prefer an appeal and the said appeal shall lie, -
  - (a) if the order is made by any authority or officer who is lower in rank to Joint Excise and Taxation Commissioner, to the Joint Excise and Taxation Commissioner or such other officer as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;
  - (b) if the order is made by any authority or officer who is not lower in rank to Joint Excise and Taxation Commissioner, to the Commissioner or such other officer as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;
  - (c) if the order is made by the Commissioner to the Tribunal.

Note -An original order means an order passed under this Act except an order passed on appeal or on revision.

- (2) Any order passed by a revising authority or an appellate authority other than the Tribunal shall be further appealable to the Tribunal by either side.
- (3) The appellate authority shall not, for the first time, receive in evidence on behalf of either side in any appeal, any account, register, record or document, unless for reasons to be recorded in writing, it considers, that such account, register, record or document is genuine and that the failure to produce the

same before the authority below or bring the same on record was for reasons beyond the control of the party which is producing the same.

- (4) Every order passed by the Tribunal on appeal shall, subject to the provisions of section 35 and section 36, be final.
- (5) No appeal preferred by an assessee to an appellate authority shall be entertained unless it is filed within sixty days from the date of the order appealed against and the amount of tax and interest admitted by the appellant to be due as a result of the said order has been paid by him.
- (6) No appeal preferred to the Tribunal by any authority under the Act shall be entertained unless filed under sub-section (2) within a period of one hundred eighty days from the date of the order appealed against.
- (7) The period specified in sub-section (5) or (6) for filing an appeal shall, in the case of an appeal from any order copy of which has to be supplied by the appropriate authority to the appellant, commence from the date of the supply of the copy of the order to the appellant or his authorised agent, and in the case of an appeal from any other order passed under this Act or the rules made thereunder, the time spent in obtaining the certified copy of the order shall be excluded in computing the said period.
- (8) Subject to regulations made by the Tribunal under sub-section (15) of section 57 and subject to such rules of procedure as may be prescribed in relation to an appellate authority other than the Tribunal, an appellate authority may pass such order on appeal as it deems to be just and proper including an order enhancing the amount of tax or penalty or interest or all under this Act but in no case it shall stay recovery of the amount due against the appellant as a result of the order appealed against.

34. (1) The Commissioner may, on his own motion, call for the record of any case pending before, or disposed of by, any taxing authority for the purposes of satisfying himself as to the legality or to the propriety of any proceeding or of any order made therein which is prejudicial to the interests of the State and may, after giving the persons concerned a reasonable opportunity of being heard, pass

such order in relation thereto as he may think fit:

Provided that no order passed by a taxing authority shall be revised on an issue which on appeal or in any other proceeding from such order is pending before, or has been settled by, an appellate authority or the High Court or the Supreme Court, as the case may be:

Provided further that no order shall be revised after the expiry of a period of three years from the date of the supply of the copy of such order to the assessee except where the order is revised as a result of retrospective change in law or on the basis of a decision of the Tribunal in a similar case or on the basis of law declared by the High Court or the Supreme Court.

Revision

- (2) The State Government may, by notification in the Official Gazette, confer on any officer not below the rank of Deputy Excise and Taxation Commissioner, the powers of the Commissioner under sub-section (1) to be exercised subject to such exceptions, conditions and restrictions as may be specified in the notification and where an officer on whom such powers have been conferred passes an order under this section, such order shall be deemed to have been passed by the Commissioner under sub-section (1).
- 35. (1) Any person including an authority under this Act considering Review. himself aggrieved by an order of the Tribunal and who, from the discovery of any new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when such order was made, or on account of some mistake or error of law or facts, desires to obtain a review of the order made against the State or him, may apply for a review of such order to the Tribunal.
- (2) The application for review shall be preferred within one year from the date of the order sought to be reviewed in the manner prescribed and where the application is preferred by an assessee it shall be accompanied by such fee not exceeding five hundred rupees, as may be prescribed.
- (3) The Tribunal of its own accord after giving notice to the parties concerned, review on account of some mistake or error of law or facts, any order made by it before the expiry of eight years from the date of the order.
- 36. (1) Within sixty days from the passing of an order under section 33 or section 35 by the Tribunal affecting any liability of any dealer to pay tax under this Act, such dealer or the Commissioner may, by an application in writing, accompanied by a fee of five hundred rupees in case the application is made by a dealer, require the Tribunal to refer to the High Court any question of law arising out of such order:

Statement of case to High Court.

Provided that for the purposes of calculating the period of sixty days the period spent in obtaining the copy of the order shall be excluded.

- (2) If for the reasons to be recorded in writing, the Tribunal refuses to make such reference, the applicant may within ninety days of such refusal either -
  - (a) withdraw his application (and if he does so, the fee paid shall be refunded); or
  - (b) apply to the High Court against such refusal.
- (3) If upon the receipt of an application under clause (b) of sub-section (2), the High Court is not satisfied of the correctness of the decision of the Tribunal, it may require the Tribunal, to state the case and refer it, and on the receipt of such requisition, the Tribunal shall state and refer the case accordingly.
- (4) If the High Court is not satisfied that the statements in a case referred to under this section are sufficient to enable it to determine the question raised

thereby, it may refer the case back to the Tribunal to make such additions thereto or alterations therein as the Court may direct in that behalf.

- (5) The High Court upon the hearing of any such case shall decide the question of law raised thereby, and shall deliver its judgement thereon containing the grounds on which such decision is founded and shall send to the Tribunal copy of such judgement under the seal of the Court and the signature of the Registrar, and the Tribunal shall dispose of the case accordingly.
- (6) Where a reference is made to the High Court under this section the cost shall be in the discretion of the Court.
- (7) The payment of the amount, if any, of the tax due in accordance with the order of the Tribunal, in respect of which an application has been made under sub-section (1), shall not be stayed pending the disposal of such application or any reference made in consequence thereof, but if such amount is reduced as a result of such reference, the excess tax paid shall be refunded in accordance with the provisions of section 20.

## Chapter-VIII

#### Offences and Penalties

Investigation of offences.

37. An officer appointed to assist the Commissioner under sub-section (1) of section 55 shall, for the purpose of investigation of all or any of the offences punishable under this Act, have the powers conferred by the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), upon an officer incharge of a police station for the investigation of a cognizable offence.

Failure to maintain correct accounts and to furnish correct returns. 38. If a dealer has maintained false or incorrect accounts or documents with a view to suppressing his sales, purchases, imports into State, exports out of State, or stocks, of goods, or has concealed any particulars in respect thereof or has furnished to or produced before any authority under this Act or the rules made thereunder any account, return, document or information which is false or incorrect in any material particular, such authority may, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addition to the tax to which he is assessed or is liable to be assessed, a sum thrice the amount of tax which would have been avoided had such account, return, document or information, as the case may be, been accepted as true and correct.

Prohibition against collection of tax in certain cases.

- 39. (1) No person, who is not a registered dealer or not otherwise authorised to collect tax, shall collect in respect of any sale of goods effected by him in the State any amount by way of tax, and no registered dealer shall make any such collection except in accordance with this Act and the rules made thereunder.
- (2) If any person wilfully collects any amount by way of tax in contravention of the provisions contained in sub-section (1), the assessing authority may, after affording such person a reasonable opportunity of being heard, direct

him to pay by way of penalty, in addition to the tax for which he may be liable, a sum equal to the amount of tax so collected.

40. (1) Whosoever contravenes, or fails to comply with, any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or any order or direction made or given thereunder, shall, if no other penalty or levy of interest is provided under this Act for such contravention or failure, be liable to imposition of a penalty of an amount which is not more than two thousand rupees and not less than one thousand rupees and where such contravention or failure continues after an order or direction to comply with the law has been issued to the offender, he shall be further liable to a daily penalty of one hundred rupees till the contravention or failure continues.

Other offences.

- (2) A taxing authority may, after affording to the person concerned a reasonable opportunity of being heard, impose the penalty mentioned in sub-section (1).
- 41. No penalty under sub-section (5) of section 7, section 16, section 38 and section 39 shall be imposed on a dealer by any taxing authority after the expiry of two years following the date when the assessment of tax becomes final for the period during which the offence was committed.

Limitation for imposition of penalty

## Chapter-IX

# Special liability in certain cases

42. (1) Where a works contractor appoints a sub-contractor, who executes the works contract, whether in whole or in part, the contractor and the sub-contractor shall both be jointly and severally liable to pay tax in respect of transfer of property in goods whether as goods or in some other form involved in the execution of the works contract by the sub-contractor.

Joint and serveral liability of certain class of dealers

- (2) If the contractor proves to the satisfaction of the assessing authority that the tax has been paid by the sub-contractor on the sale of the goods involved in the execution of the works contract by the sub-contractor and the assessment of such tax has become final, the contractor shall not be liable to pay tax on the sale of such goods but he shall be entitled to claim input tax, if any, in respect of them if the same has not been availed of by the sub-contractor.
- (3) Where an agent purchases or sells any goods on behalf of a principal, such agent and the principal shall both be jointly and severally liable to pay tax in respect of the purchase or sale of goods by the agent.
- (4) If the principal on whose behalf the agent has purchased or sold the goods proves to the satisfaction of the assessing authority that the tax on such goods has been paid by the agent and the assessment of such tax has become final, then, the principal shall not be liable to pay tax on such goods but he shall be entitled to claim input tax, if any, in respect of them if the same has not been availed of by the agent.

Liability of partitioned Hindu family, dissolved firm etc to tax

- 43. (1) Where a dealer is an undivided Hindu family, firm, or other association of persons, and such family, firm or association is partitioned, dissolved or disrupted, as the case may be,
  - (a) the tax payable under this Act by such family, firm or association of persons for the period upto the date of such partition, dissolution or disruption may be assessed as if no such partition, dissolution or disruption had taken place and all the provisions of this Act shall apply accordingly; and
  - (b) every person who was at the time of such partition, dissolution or disruption, a member of an undivided Hindu family or association of persons or partner of a firm shall, notwithstanding such partition, dissolution or disruption, be liable severally and jointly for the payment of the tax including interest and penalty, if any, payable under this Act by such family, firm or association of persons, whether assessment is made prior to or after such partition, dissolution or disruption.
- (2) Where the registration certificate of a dealer is cancelled under this Act for reasons other than that of a partition of undivided Hindu family or dissolution or disruption of a firm or association of persons, the tax payable under this Act by such dealer for the period upto the date of cancellation of the registration certificate may be assessed on such dealer as if no such cancellation had taken place and all the provisions of this Act shall apply accordingly.
- (3) If the business carried on by the dealer is discontinued after his death, his legal heirs or representatives shall be liable to pay out of the estate of the deceased, to the extent the estate is capable of meeting the liability on account of tax, interest or penalty due from the dealer under this Act, whether such tax, interest or penalty has been assessed before his death but has remained unpaid, or is assessed after his death.

Transfer of business.

- 44. Where a dealer registered or liable to pay tax, -
  - (a) dies; or
  - (b) transfers or otherwise disposes of his business in whole or in part; or
  - (c) effects any change in the ownership of his business,

in consequence of which he is succeeded in the business or part thereof by any other person and such successor in business carries on such business either in its old name or in some other name, such successor shall for all the purposes of this Act be deemed to be and to have always been registered as if the certificate of registration of such dealer had initially been granted to the successor; and he shall be liable to discharge the liabilities of such dealer. The successor shall, on application to the assessing authority, be entitled to have the registration certificate amended accordingly.

45. (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in other provisions of this Act, tax on sale or purchase of goods specified in Schedule G, shall be levied and collected on the sale or purchase price, maximum retail price, face value or the quantity of such goods at the rates and at the stage of sale or purchase and under the circumstances mentioned against such goods in the said Schedule.

Liability to pay tax in respect of goods specified in Schedule G.

(2) Save as otherwise provided in sub-section (1), no tax under this Act shall be levied and collected on sale or purchase of goods specified in Schedule G.

## Chapter-X

## Proceedings and powers

46. A taxing authority and an appellate authority shall for the purposes of this Act, have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Act 5 of 1908), when trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

Power to take evidence on oath.

- (a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation;
- (b) compelling the production of documents and impounding or detaining them;
- (c) issuing commissions for the examination of witnesses;
- (d) requiring or accepting proof of facts by affidavits;
- (e) such other powers as may be prescribed,

and any proceeding under this Act before a taxing authority or appellate authority shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 and for the purposes of section 199 of the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860).

47. A taxing authority shall for the purposes of this Act, have the power to determine as to who is the dealer:

Power to determine as to who is a dealer.

Provided that before passing any order under this section, the person concerned shall be given a reasonable opportunity of being heard.

48. A taxing authority may, for carrying out the purposes of this Act, require any dealer or person including a banking company, insurance company, electricity supply and distribution company, courier-service company, post office, railway, a Government corporation, or a Government agency or body regulating any trade, manufacture or commerce, or any officer thereof, to furnish any information, data or statistics which may be relevant to any proceedings or useful for tax administration under this Act.

Power to call for information from any person or company.

Power to purchase underpriced goods.

- 49. (1) Where a taxing authority has, for the purpose of any proceeding under this Act, reasons to believe that any goods whether in stock or in transit, are underpriced in a document or book of account produced before it, it may, with prior approval of the Commissioner or such officer as the Commissioner may, in writing, authorise for the purpose, make an offer to purchase such goods at the price shown in the document or book of account increased by ten per cent plus freight and other expenses, if any, incurred by the owner in relation to the goods.
- (2) If the owner of the goods accepts the offer, he shall make delivery of the goods on a date and time and at a place specified by the officer making the offer and shall be paid the offered price with other expenses within ten days of the delivery of the goods but if he rejects the offer, or after accepting the offer fails to deliver the goods on the specified date and time and at the specified place, it shall be conclusive proof that the owner has underpriced the goods.
- (3) The goods purchased under sub-section (2) shall be sold by public auction in the manner prescribed as early as possible but if the goods are of a perishable nature or subject to speedy and natural decay or are such as may, if held, lose their value or when the expenses of keeping them are likely to exceed their value, then, such goods shall be immediately sold or otherwise disposed of in the manner prescribed and the sale proceeds of the goods or the amount obtained by disposal of the goods shall be deposited in the State Government treasury.

Power to transfer proceedings.

- **50.** (1) A taxing authority not below the rank of Deputy Excise and Taxation Commissioner, or such other rank, as may be prescribed, may, in such manner and subject to such restrictions and conditions, as may be prescribed, suo motu or on an application made to him in this behalf by order in writing transfer any case or proceedings or class of proceedings from him to any other officer working under him and he may likewise transfer any such case (including a case already transferred under this section) from one such officer to another or to himself.
- (2) Where any proceedings or class of proceedings or case is transferred under sub-section (1), the officer to whom such proceedings or class of proceedings or case is transferred, shall proceed to dispose it of as if it had been initiated by the said officer irrespective of the local limits of the jurisdiction of such officer, and such transfer shall not render necessary the re-issue of any notice already issued before the transfer and the officer to whom the proceeding or class of proceedings or case is transferred may, in his discretion, continue it from the stage at which it was left by the officer from whom it was transferred.

Delegation of powers.

- **51.** (1) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of its powers under this Act, except those of revision, to any taxing authority.
- (2) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, any taxing authority may, by order in writing, delegate any of its powers conferred on it to other taxing authority subordinate in rank to it.

**52.** (1) Any assessee or dealer, who is entitled or required to attend before any authority in connection with any proceedings under this Act, may attend by a person authorised by him in writing in this behalf, being a relative or a whole time employee of the assessee or an advocate or a tax consultant; not being disqualified by or under sub-section (3) or sub-section (4).

Assessee permitted to attend through authorised agent.

- (2) In this section a "tax consultant" means -
  - (i) any person, who before the 10<sup>th</sup> day of May, 1953, appeared before any assessing or other sales tax authorities in connection with any proceedings under the Punjab General Sales Tax Act, 1941 or the Punjab General Sales Tax Act, 1948, on behalf of any assessee otherwise than in the capacity of an employee or relative of that assessee; or
  - (ii) a retired Gazetted Officer of the Haryana Excise and Taxation Department who has worked as an taxing authority or an appellate authority under the Act of 1973 or this Act, for a minimum period of five years in one or more than one of the aforesaid capacities after a period of not less than two years has passed since the date of his retirement; or
  - (iii) any person who has passed any accountancy examination recognised by the Central Board of Direct Taxes or holds a degree in Commerce, Law, Economics or Banking including auditing conferred by any Indian University, incorporated by any law for the time being in force.
- (3) No person, who has been dismissed from Government service, shall be qualified to represent any dealer under sub-section (1).
- (4) If any practitioner or other person who represents an assessee, is found guilty of misconduct in any proceedings before any authority under this Act by the Commissioner, the Commissioner may direct that he shall be disqualified, to represent a dealer under sub-section (1):

Provided that no such direction shall be made in respect of any person unless he is given a reasonable opportunity of being heard.

- (5) Any person against whom any direction is made under this section may appeal to the Tribunal against such direction within sixty days of its communication to him.
- 53. (1) All particulars contained in any statement made, return furnished or accounts or documents produced in accordance with this Act, or in any record of evidence given in the course of any proceedings under this Act, other than proceedings before a Criminal Court, shall, save as provided in sub-section (3), be treated as confidential, and notwithstanding anything contained in the Indian

Returns etc. to be confidential.

Evidence Act, 1872 (Act 1 of 1872), no court shall save as aforesaid, be entitled to require any officer of the State Government to produce before it any such statement, return, account, document or record or any part thereof or to give evidence before it in respect thereof.

- (2) Save as provided in sub-section (3), if any officer of the State Government discloses any of the particulars referred to in sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment, which may extend to six months, or with fine or with both.
- (3) Nothing in this section shall apply to the disclosure of any of the particulars referred to in sub-section (1), for the purpose of any investigation or prosecution under this Act or the Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860), in respect of such statement, return, accounts, documents or evidence, or for the purpose of audit or for departmental use of the officials of the Government of India or of any State Government, or for the purpose of an inquiry in relation to a business transaction by a person who is a party to such transaction.

Bar of certain proceedings.

- **54.** (1) No assessment made and no order passed under this Act or the rules made thereunder, by an appellate authority or a taxing authority shall be called in question in any civil court and, save as is provided in sections 33, 34, 35, 36, sub-section (5) of section 52 and sub-section (5) of section 56, no appeal or application shall lie against any such assessment or order.
- (2) No injunction shall be granted by any court other than the High Court of any State or the Supreme Court of India in respect of any assessment made or any proceedings initiated, or in respect of any action taken, or to be taken, in pursuance of any provisions of this Act or the rules made thereunder.

#### Chapter-XI

## Taxing authorities and Tribunal

Appointment of Commissioner and other officers.

- 55. (1) The State Government may appoint a Commissioner for carrying out the purposes of this Act, and as many Additional Excise and Taxation Commissioners, Joint Excise and Taxation Commissioners, Deputy Excise and Taxation Commissioners, Assistant Excise and Taxation Commissioners, Excise and Taxation Officers, Assistant Excise and Taxation Officers and such other officers to assist him as it thinks fit and may authorise the Commissioner to appoint as many Taxation Inspectors and other officials to assist him as it thinks fit.
- (2) The Commissioner shall have jurisdiction over the whole of the State and shall exercise all the powers conferred and perform all the duties imposed on the Commissioner, by or under this Act; and other officers appointed under sub-section (1) shall exercise such powers as may be conferred, and perform such duties as may be required, by or under this Act in the area of jurisdiction as may, from time to time, be assigned to them.

**56.** (1) The State for the purpose of administration and collection of tax may be divided into such ranges comprising of such districts as may be prescribed. Each district may further be divided into circles. A range, district or circle shall be headed by such officers as may be prescribed.

Tax administration.

(2) The State Government or the Commissioner may, from time to time, issue such orders, instructions and directions to all such persons who are employed in the administration of this Act as the State Government or the Commissioner may deem fit for such administration and all such persons shall observe and follow such orders, instructions and directions of the State Government and the Commissioner:

Provided that no such orders, instructions or directions shall be issued so as to interfere with the discretion of any appellate authority in the exercise of its appellate functions.

- (3) The Sate Government may, if it considers it necessary or expedient so to do, for the purpose of maintaining uniformity in the levy, assessment and collection of tax or for the removal of any doubt, suo motu or on an application made to it in the prescribed form and manner on payment of the prescribed fee by a dealer or a body of dealers, issue an order clarifying any point relating to levy, assessment and collection of tax and all persons employed in the administration of this Act except an appellate authority, and all dealers affected thereby shall observe and follow such order.
- (4) Every order issued under sub-section (3) shall be publicised simultaneously by uploading on the website www.haryanatax.com under the head "VAT orders".
- (5) If any person feels aggrieved by an order publicized under sub-section (4), he may at any time prefer an appeal against such order to the Tribunal and for this purpose the order shall be deemed to be an order passed under this Act:

Provided that where an appeal is preferred against such order to the Tribunal, it shall be heard and decided by the full-member Tribunal.

- (6) The Tribunal may, after giving notice to the State Government, stay the operation of the order appealed before it under sub-section (5) and where a stay is granted, the appeal shall be heard and decided within a period of sixty days from the date of the stay order.
- (7) Any tax leviable under this Act which is proved to have not been collected in whole or in part because of, any order issued by the State Government under sub-section (3) and publicised under sub-section (4) or, any order passed on appeal by the Tribunal or, any law declared by the High Court or the Supreme Court, which order or law is later reversed, shall not be payable.
- (8) Interest leviable under this Act on any amount which has been refunded to an assessee as a result of, an order of the Tribunal or, an order passed

by or the law declared by the High Court or the Supreme Court, shall not be payable if such order or law is later reversed.

Tribunal.

- 57. (1) The State Government may constitute a Tribunal to be called the Haryana Tax Tribunal consisting of three or more odd number of members including the Chairman as the State Government may appoint for the purpose of performing such functions and exercising such powers as may be assigned to, or conferred on, the Tribunal by or under this Act.
- (2) The functions of the Tribunal may be discharged by the members sitting in Benches of two or more members, as may be determined by the Chairman.
- (3) If the members of a Bench are divided over some matter, the decision shall be the decision of the majority, if there be a majority, but if the members are equally divided they shall state the point or points on which they differ, and the case shall be heard by the full-member Tribunal and such point or points shall be decided according to the decision of majority of the members of the Tribunal.
- (4) The decision of the Tribunal shall be binding on all taxing and appellate authorities under this Act in a similar case. The decision of a higher Bench (constituted of more number of members) of the Tribunal shall be binding on a lower Bench but a Bench constituted of all members can by majority overrule any previous decision of the Tribunal on a point of law.
- (5) The Headquarters of the Tribunal shall be at such place as the State Government may, by notification, specify.
- (6) A person shall not be qualified for appointment as member of the Tribunal in the capacity of the Chairman unless he is or has been a judge of a High Court or an officer of the Indian Administrative Service in the rank of Financial Commissioner or has for at least three years been a member of the Tribunal.
- (7) A person shall not be qualified for appointment as a member (other than the Chairman) of the Tribunal unless he is or has been
  - (a) a District Judge; or
  - (b) an Additional Excise and Taxation Commissioner having worked in that capacity or as an appellate authority or revising authority under this Act or the Act of 1973 for at least seven years; or
  - (c) an advocate, a chartered accountant or a State representative representing cases before a High Court or the Tribunal constituted under this Act or the Act of 1973 for at least ten years:

Provided that all members of the Tribunal shall not be appointed from single category.

(8) A member of the Tribunal other than the Chairman shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he

attains the age of 65 years, whichever is later, and the Chairman shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 68 years, whichever is earlier, but no member shall continue in office after he attains the age of 68 years.

- (9) A member of the Tribunal shall not be removed from his office except on the ground of proved misbehaviour or incapacity after an inquiry made in which such member had been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of the charges.
  - (10) A member of the Tribunal shall be ineligible
    - (a) for further employment under the State Government, or under any local authority or under any corporation owned or controlled by the State Government; and
    - (b) to appear, act or plead before the Tribunal for at least five years after he demits office or completes his term.
- (11) Subject to the provisions of the rules relating to re-employment of retired persons for the time being in force in the State, a retired person who is appointed as member of the Tribunal, shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such other conditions of service, as may be prescribed.
- (12) A member of the Tribunal may, at any time, by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office, but his resignation shall take effect from the date on which it is accepted.
- (13) A vacancy in the membership of the Tribunal shall be filled up by the State Government as soon as practicable.
- (14) Subject to such conditions and limitations, as may be prescribed, the Tribunal shall have power to award costs, and the amount of such costs shall be recoverable from the person ordered to pay the same as arrears of land revenue.
- (15) The Tribunal shall with the previous sanction of the State Government make regulations, consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, for the purpose of regulating its procedure and the disposal of its business.
- (16) All regulations made under sub-section (15) shall be published by the State Government in Official Gazette.
- 58. (1) All persons appointed under sub-section (1) of section 55 or sub-section (1) of section 57 shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Indemnity.

(2) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or servant of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

### Chapter-XII

## Power to make rules, amend Schedules, and Repeal and saving

Power to amend Schedules

- 59. (1) Subject to the provisions of sub-section (2), the State Government may, after giving a reasonable notice of not less than ten days of its intention to do so by uploading the said notices on the website www.haryanatax.com under the head "Legal notices", add to, or omit, or otherwise amend, by notification in the Official Gazette, any or all the Schedules and the Schedules shall be deemed to be amended accordingly.
- (2) An amendment to a Schedule shall take effect from the first day of the month following the publication of the notification in the Official Gazette, unless otherwise specified in the notification.

Power to make rules.

**60.** (1) The State Government may, subject to the provisions of sub-section (3) and subject to the condition of previous publication by uploading on the website www.haryanatax.com under the head "Legal notices", make rules by notification in the Official Gazette for carrying out the purposes of this Act and may give them prospective or retrospective effect:

Provided that the condition of previous publication shall not be applicable when the rules are made for the first time under this Act.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the matters which under any provision of this Act are required to be prescribed or to be provided for by the rules.
- (3) After the rules have, for the first time, been made under this Act, an amendment in the rules shall take effect from the first day of the month following the publication of the notification in the Official Gazette, unless otherwise specified in the notification.
- (4) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the Legislative Assembly while it is in session and if before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative Assembly agrees that the rules should be either modified or annulled, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Repeal and saving.

- **61.** (1) The Haryana General Sales Tax Act. 1973 (20 of 1973), is hereby repealed:
  - (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),
    - (a) any application, appeal, revision or other proceedings made or preferred to any authority under the said Act, and pending at the commencement of this Act, shall, after such commencement, be

transferred to and disposed of by the officer or authority who would have had jurisdiction to entertain such application, appeal, revision or other proceedings under this Act as if it had been in force on the date on which such application, appeal, revision or other proceedings was made or preferred;

- (b) any security in the form of cash deposit, bank guarantee, personal bond, surety bond or in any other form furnished on any day before the commencement of this Act for the payment of any tax or other dues under the said Act, shall remain in force and may be enforced after the commencement of this Act for the payment of any tax or other dues under this Act and for this purpose this Act shall be deemed to have come into force on the day such security was furnished;
- (c) declaration in form S.T.38 in force under the said Act and the rules made thereunder shall remain in force after the appointed day and shall be used mutatis mutandis for the purpose for which it was being used before the appointed day until the State Government directs, by notification, the discontinuance of its use after such date as may be specified in the notification;
- (d) the provisions of section 13B and section 25A of the said Act and the rules (hereinafter referred to as the 'existing rules'), framed thereunder relating to tax concessions to industrial units shall remain in force subject to the following exceptions, restrictions and conditions, namely:-
  - (i) an industrial unit availing the benefit of exemption from payment of tax may, in the prescribed manner, change over to deferment of payment of tax for the remaining period and the remaining extent of benefit or for such period and such extent of benefit as may be prescribed but where an industrial unit does not choose to do so, exemption to it from payment of tax shall cease to take effect on and from the appointed day and further,-
    - it shall be liable to maintain production at a level so that its annual turnover does not fall short of the average annual turnover during the period of exemption; and
    - it shall not export out of State any goods produced by it.

for a period of next five years or such shorter period for which it has availed of exemption from payment of tax and if it fails to do so, it shall be liable to pay to the State Government, in the prescribed manner the amount of tax in respect of which it has availed of exemption from payment after reducing therefrom the tax paid by it before such failure;

- (ii) an industrial unit availing the benefit of capital subsidy may, in the prescribed manner, change over to deferment of payment of tax for the remaining period and the remaining extent of benefit but where an industrial unit does not choose to do so, the benefit of capital subsidy to it shall cease to take effect on and from the appointed day;
- (iii) an industrial unit availing the benefit of deferment of payment of tax, whether by change over under the foregoing provisions or otherwise, may, in lieu of making payment of the deferred tax after five years, pay half of the amount of the deferred tax upfront along with the returns and on making payment in this manner, the tax due according to the returns shall be deemed to have been paid in full; and
- (iv) the tax deferred in every other case shall be converted into interest free loan in the manner prescribed.

Explanation. - For the purpose of this clause, "tax" includes the tax under the Act of 1973 and the Central Act.

Construction of references in the repealed Act to officers and authorities.

62. Any reference in any provision of the law contained in the repealed Act to an officer, authority or Tribunal, shall for the purpose of carrying into effect the provisions contained in section 61, be construed as a reference to the corresponding officer, authority or Tribunal and if any question arises as to who such corresponding officer, authority or Tribunal is, the decision of the State Government thereon shall be final.

Removal of difficulties.

63. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of section 61 of this Act, the State Government may by order, published in the Official Gazette, make such provision or give such direction as appears it to be necessary for removing the difficulty.

# Schedule A

[See sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (1) of section 7].

Serial No.	Description of goods	Rate of tax
1	2	3
1	Gold, silver, other precious metals, precious stones	1%
2.	Articles including jewellery made of gold, silver, other precious metals, precious stones	1%
3.	Aviation Turbine Fuel, Petrol, Gasohol	20%
4.	High Speed Diesel, Super Light Diesel Oil, Light Diesel Oil	12%
5.	Liquor as defined in Punjab Excise Act, 1914 (61 of 1914)	20%

#### Schedule B

# [See clause (p) of sub-section (1) of section 2].

- 1. Fresh fruits and vegetables.
- 2. Betel leaves.
- 3. Sugarcane.
- 4. Fresh milk, pasteurised milk, curd and buttermilk.
- 5. Fresh meat, fish, meat on hoof, poultry and eggs.
- 6. Livestock.
- 7. Plants and saplings.
- 8. Water except when sold in sealed containers.
- 9. Common salt except when sold in retail packs under brand name.
- 10. Cereals other than wheat, paddy, rice and barley.
- 11. Flours of exempted cereals.
- 12. Natural flowers.
- 13. Manually operated or animal drawn agricultural implements.
- 14. Hand carts and animal drawn vehicles.
- 15. Organic manure.
- 16. Fodder, that is to say, grass, straw (except paddy straw) and hay.
- 17. Aids for handicapped persons.
- 18. Books and periodicals.
- 19. Writing slate (made of stone) and slate pencils.
- 20. Earthen pots but not including crockery.
- 21. Beehives, honey supers, hive tool, smoker, veil and helmet, feeder.
- 22. Spinning wheel.
- 23. Hand spun yarn and handloom fabrics.
- 24. National flag and Gandhi topi.
- 25. Handmade musical instruments.
- 26. Electric energy or other form of power.
- 27. Human blood including human blood plasma.
- 28. Semen.
- 29. Contraceptives.
- 30. Glass bangles, bindi and sindur.
- 31. Liquor except when sold by an L-4/L-5 or L-12C licensee.

## Schedule C

[See sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (1) of section 7].

- 1. Agricultural implements except manually operated or animal drawn.
- 2. Agricultural tractors and trailers, harvester combines.
- 3. Sprinkler irrigation and drip irrigation systems and components, parts and accessories thereof.
- 4. Mono-block or submersible pump sets of the type generally used for agricultural purposes of five horse power and above.
- 5. Seeds.
- 6. Fertilisers except organic manure.
- 7. Pesticides and weedicides for plants protection.
- 8. Bone meal, crushed bones, bone sinews and burnt bones.
- 9. Cattle feed, poultry feed and aquatic feed and feed supplements, concentrates, and additives.
- 10. Oil cakes and de-oiled cakes including de-oiled rice bran.
- 11. Husk and bran of all cereals and pulses, paddy husk and straw.
- 12. Ice.
- 13. Bread.
- 14. Common salt when sold in retail packs under a brand name.
- 15. Gur and shakkar.
- Reori, gajjak, patasha, misri (candy or cooza), goli, makhana, marunda, murmura.
- 17. Wheat atta including maida and sooji, rice flour, gram flour, besan, barley ghat, barley flour and sattu, dalia of wheat or barley, guar, guar flour, guar giri, rajmah, lobia, rongi, sago (sabudana).
- 18. Parched, roasted or puffed grain, parched gram and roasted groundnut except when these goods sold in sealed containers.
- 19. Soya meal.
- 20. Vegetables sold in sealed containers and dried vegetables of the type required to be cooked before use.
- 21. Meat including flesh of poultry and aquatic food, sold in a sealed containers, of the type required to be cooked before use.
- 22. Milk powder, ultra high temperature (UHT) milk.
- 23. Vegetable oils, whether edible or non-edible.
- 24. Vanaspati ghee.
- 25. Spices and condiments, whether whole, powdered or mixed.
- 26. Betel nut.

# 128 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 28, 2003 (CHTR. 7, 1925 SAKA)

- 27. Household aluminium utensils.
- 28. Firewood, saw dust, charcoal and fuel briquettes and cakes made from biomass.
- 29. Safety matches.
- 30. Biddi leaves.
- 31. Cotton waste.
- 32. Raw silk.
- 33. Raw wool and wool tops.
- 34. Fibres and fibre waste.
- 35. All types of yarn (except cotton yarn), knitting wool, yarn waste and threads.
- 36. Readymade garments and hosiery.
- 37. Sports goods excluding apparels and footwear.
- 38. Plastic footwear.
- 39. Umbrella except garden umbrella.
- 40. Computer software, hardware and computer peripherals.
- 41. IT products as notified by Government of India.
- 42. Telecommunication equipment including telecom cables.
- 43. Ferro alloys.
- 44. Non-ferrous metals, alloys and extrusions thereof.
- 45. Incorporeal or intangible goods.
- 46. Herb, bark, dry plant, dry root and dry flowers, commonly known as jari-buti but not including ayurvedic preparations sold in sealed containers.
- 47. Aggarbatti and dhoopbatti.
- 48. Newar.
- 49. Hand pumps and their parts.
- 50. Pipes and tubes made of any material other than iron and steel.
- 51. Bricks of the type used in construction of buildings.
- 52. Bamboo.
- 53. Renewable energy devices and non-conventional energy devices.
- 54. Bicycles, cycle-rickshaw and their parts including their tyres and tubes.
- 55. Sewing machines.
- 56. Ship and vessels plying on water.
- 57. Paper and newsprint.
- 58. Exercise books.
- 59. Writing instruments.
- 60. Printed material except books and periodicals.
- 61. Printing ink.

*Note* – Entries in this Schedule are subject to the general exception of exclusion of declared goods.

# Schedule D

[See clause (a) of sub-section (2) of section 7].

Serial No.	Description of goods	Rate of tax		
1	2	3		
l.	Aviation Turbine Fuel	20%		
2.	Petrol, Gasohol	12%		
3.	. High Speed Diesel, Super Light Diesel Oil, Light Diesel Oil 12%			
4.	Paddy	4%		

Schedule F: [See sub-section (1) of section 8].

		,	•	
Serial Description of goods No.		Circumstances in which input tax shall be nil		
l	2		3	
1.	Petroleum based fuels and natural gas	Except	t when resold.	
2.	Capital goods	(i)	When intended to be used mainly in the manufacture of exempted goods or in the telecommunications network or mining or the generation and distribution of electric energy or other form of power; or	
		(ii)	When forming part of gross block on the date of cancellation of the registration certificate.	
3.	Paddy	(i)	When sold in the course of the export of the goods out of the territory of India; or	
		(ii)	When used in the manufacture of rice which is sold in the course of the export of the goods out of the territory of India.	
4.	Rice		When sold in the course of the export of the goods out of the territory of India.	
5.	All goods except those mentioned at Serial Nos. 1 and 2	(i)	When used in the telecommunications network, in mining, or in the generation and distribution of electricity or other form of power;	
		(ii)	When exported out of State or disposed of otherwise than by sale;	
		(iii)	When used in the manufacture or packing of exempted goods except when such goods are sold in the course of export of goods out of the territory of India;	

3

- 2
  - (iv) When used in the manufacture or packing of taxable goods which are exported out of State or disposed of otherwise than by sale;
  - (v) When left in stock, whether in the form purchased or in manufactured or processed form, on the date of cancellation of the registration certificate.
- Note 1 In this Schedule the expression "on the date of cancellation of the registration certificate" means on the date of effect of the cancellation of the registration certificate.
- Note 2 In respect of entries against Serial Nos.3 and 4, paddy and the rice manufactured therefrom shall be treated as a single commodity for the purposes of sub-section (3) of section 5 of the Central Act.

# 132 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MARCH 28, 2003 (CHTR. 7, 1925 SAKA)

# Schedule F

[See first proviso to sub-section (3) of section 3].

1. Paddy

# Schedule G

[See sub-section (1) of section 45].

Serial No.	Description of goods	Rate of tax and the base of levy	Stage of levy and the circumstances under which tax levied
1	2	3	4
1.	Lottery ticket of face value more than seven rupees	Twenty percent of the face value of the lottery ticket	First sale by a dealer liable to pay tax under this Act.

R. S. MADAN,
Secretary to Government, Haryana,
Legislative Department.



# Haryana Covernment Gazette EXTRAORDINARY

# **Published by Authority**

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई, 2003 (13 आषाढ, 1925 शक)

# विद्यायी परिशिष्ट

क्रमांक

विषय वस्तु

पुष्ठ

भाग-]

अधिनियम

हरियाणा मृत्य वर्धित कर अधिनियम, 2003

215-285

(2003 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6)

(केवल हिन्दी में)

भाग-॥

अध्यादेश

कुछ नही

भाग-।।।

प्रत्यायोजित विधान

कुछ नहीं

भाग-IV

शुद्धि पर्वियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन

कुछ नहीं

Price: Rs. 5.00

(lxxviii)

#### माग I

#### हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

# अधिसूचना

दिनांक ४ जुलाई, 2003

संख्या लैज॰ 7/2003.—दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स ऐक्ट, 2003, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 27 जून, 2003, की स्वीकृति के अधीन एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजमाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

# हरियाणा मृत्य वर्धित कर विधेयक, 2003

हरियाणा राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण तथा उससे आनुषंगिक तथा उससे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौयनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

# अध्याय I

## प्रारम्भिक

- 1. (1) यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, कहा जा सकता है।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण हरियाणा राज्य में है।
  - (3) यह नियत दिन से लागू होगा।
- 2. (i) इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
  - (क) "1973 का अधिनियम" से अमिप्राय है, हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम,1973 (1973 का अधिनियम 20);
  - (ख) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन की गई अपीलों को ग्रहण तथा विनिश्चय करने के लिए धारा 33 की उपधारा (1) के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट अथवा के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी तथा इसमें अधिकरण भी शामिल है;
  - (ग) "नियत दिन" से अभिप्राय है, अप्रैल, 2003, का प्रथम दिन, जब तक अन्यथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित न किया जाए ;
  - (घ) "निर्धारिती" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि का भुगतान करने के लिए अपेक्षित हो;
  - (ङ) "निर्घारण प्राधिकारी" से अमिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण करने के लिए तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिये, जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित हों, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्म।

परिभाषाएं !

# (च) "कारबार" में शामिल है---

- (i) कोई व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण, अथवा कोई प्रोद्यम या समुत्थान जो व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण के स्वरूप का हो, चाहे ऐसा व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, उद्यम या समुत्थान फायदा या लाभ कमा के उद्देश्य से चलाया जाता हो या नहीं और वाहे ऐसे व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, उद्यम या समुत्थान से कोई फायदा या लाभ होता है या नहीं : और
- (ii) ऐसे व्यापार, वाणिज्य या विनिर्माण या समुत्थान के सम्बन्ध में या उससे आनुषंगिक या सहायक आकस्मिक या अन्यथा कोई संव्यवहार ;

व्याख्याः -- व्यापार में शामिल हैं, माल का व्यापार तथा सेवाएं ;

- (छ) "पूंजीमाल" से अभिप्राय है, विक्रय के लिए माल का विनिर्माण या प्रसंस्करण या दूरसंचार नेटवर्क या खनन में विद्युत के उत्पादन या वितरण में या शक्ति के अन्य रूप में राज्य में उपयोग के लिए क्रय किए गए संयंत्र, मशीनरी, डाइयां, औजार तथा उपस्कर, परन्तु ऐसा क्रय पूंजीकृत है:
- (ज) "आकस्मिक व्यापारी" से अभिप्राय है, कोई व्यवहारी, जो एक ही समय में तीस दिन से अनिधक अवधि या ऐसी अन्य अवधि जो विहित की जाए के लिए राज्य में भाल आयात करता है और विक्रय करता है:
- (झ) "केन्द्रीय अधिनियम" से अभिप्राय है, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 74);
- (ञ) "संविदी" से अभिप्राय है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए अथवा जिसके लाम के लिए संकर्म संविदा निष्पादित की जाती है :
- (ट) "संविदाकार" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो या तो स्वय या किसी उप संविदाकार के माध्यम से संकर्म संविदा निष्पदित करता है ;
- (व) "विक्रय तिथि" से अभिप्राय है, धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के उपबच्चों के अनुसार जारी बीजक या परिदान-नोट, जैसी भी स्थिति हो, पर अभिलिखित तिथि;
- (ड) "व्यवहारी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत सरकार का कोई विभाग भी है, जो चाहे नियमित रूप से या अन्यथा, प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा कारबार करता है, जिसके अनुक्रम में, या जिसके परिणामस्वरूप, या उससे आनुषिगक, प्रासंगिक, या आकस्मिक, वाहे नियमित रूप से, आकस्मिक रूप से, समय-समय पर या अन्यथा, वाहे नकद, आस्थिगित संदाय, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, ऐसा व्यक्ति, राज्य में किसी माल का क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण करता है, या किसी माल का राज्य में आयात या राज्य के बाहर निर्यात करता है इस तथ्य को विचार में लाएं बिना

ही, कि ऐसे व्यक्ति के कारबार का मुख्य स्थान राज्य के बाहर है और जहां ऐसे व्यक्ति के कारबार का मुख्य स्थान राज्य में नहीं है तथा वहां व्यवहारी के अन्तर्गत है, ऐसे कारबार के बारे में राज्य में ऐसे व्यक्ति का स्थानीय प्रबन्धक या अमिकर्ता:

परन्तु ऐसा व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य जो राज्य के मीतर केवल अपने द्वारा उगाई गई कृषि उपज बेचता है या किसी भूमि पर पैदा करता है चाहे स्वामी, मोग-बन्धकदार, मुजारे के रूप में या अन्यथा कोई हित रखता है, व्यवहारी नहीं समझा जायेगा।

व्याख्या. — इस खण्ड के प्रयोजन के लिए,--

- (i) कोई सहकारी सोसाइटी या कोई क्लब या कोई संगम, जो अपने सदस्यों के लिए और उनकी ओर से कारधार करता है. व्यवहारी है;
- (ii) कोई मध्यविणक्, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, प्रत्यक्ष अभिकर्ता, किसी व्यवहारी का अभिकर्ता, कोई नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता वाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए और चाहे वह उसी प्रकार का है जैसा इसमें इससे पूर्व उल्लिखित है अथवा नहीं, जो मालिक, अभिकर्ता के रूप में या अन्य किसी हैसियत में कोई कारबार करता है, व्यवहारी है:
- (iii) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसके अन्तर्गत सरकार का कोई विमाग है जो किसी कानूनी प्राधिकार या न्यायालय आदेश का प्रयोग करते हुए अवावाकृत जब्दी अथवा अर्जित सम्पत्ति के रूप में या अनुपयोगी. रद्दी माल. अधिशेष, पुराने, अप्रचलित अथवा छांटी गई सामग्री या अपशिष्ट जत्यादों के रूप में चाहे नीलामी द्वारा या अन्यथा। प्रत्यक्ष रूप में या किसी अमिकर्ता के माध्यम से चाहे नकदी के लिए या किसी अस्थिगित मुगतान के लिए या किसी अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का निपटान करता है, इस घारा के खण्ड (च) या धारा 3 अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के मध्य प्रोद्भूत किसी दायित्व पर प्रतिकृल प्रमाव डाले बिना ऐसे निपटानों की सीमा तक कर देने के दायी व्यवहारी के रूप में समझा जाएगा:
- (द) "घोषित माल" का वही अर्थ होगा, जो इस पद को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में दिया गया है :
- (ण) "दस्तावेज" से अमिप्राय है, हक विलेख, लेख या उत्कीर्ण लेख तथा इसमें शामिल हैं इलैक्ट्रानिक डाटा, कम्प्यूटर प्रोग्राम, कम्प्यूटर टेपस, कम्प्यूटर डिस्कस या उपकरण तथा ऐसे ही जो साक्ष्य देते हैं;
- (त) "छूट-प्राप्त माल" से अमिपाय है, अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट माल ;
- (थ) "राज्य से बाहर निर्यात" से अमिप्राय है, व्यवहारी द्वारा विक्रय से अन्यथा किसी

कारण से राज्य से बाहर उसके कारबार के किसी अन्य स्थान पर या उसके अभिकर्ता या मालिक को, जैसी भी स्थिति हो, सामान का अन्तरण, िन्तु ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इसमें फुटकर काम के लिए सामान का अंतरण जिसमें फुटकर काम के पश्चात् माल वापिस किया जाता हो, शामिल नहीं होगा;

- ध्याख्याः "फुटकर काम" में समंजन, परिवर्तन, निर्माण संसाधन, संरचना, सज्जित करना, सुधार, परिशुद्धि या किसी माल की मरम्मत करना शामिल है:
- (द) "माल" से अभिप्राय है, समाचार-पत्रों, अनुयोज्य दावों, धन, स्टाकों तथा शेयरों, अथवा प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की चल सम्पत्ति,मूर्त या अमूर्त किन्तु उसमें उगती फसलें, घास, वृक्ष तथा भूमि से संलग्न या उसका माग बनने वाली वस्तुएं सम्मिलित हैं, जो विक्रय से पहले या विक्रय संविदा के अधीन पृथक किये जाने के लिए सहमत हैं;
- (घ) "माल बाहन" मे शामिल है, मोटरयान, जलयान, नौका, ठेला पशु था परिवहन का कोई अन्य साधन किन्तु इसके अन्तर्गत रेल वैगन या कोच नहीं होगा;
- (न) "सरकार" से अमिप्राय है, केन्द्रीय या कोई राज्य सरकार ;
- (प) "सकल आवर्त" जब किसी व्यवहारी के सम्बन्ध में उपयोग किया जाता है, से अभिप्राय है, किसी विक्रीत माल के सम्बन्ध में प्राप्त और प्राप्त करने योग्य विक्रय कीमत का पूर्णयोग, वाहे मालिक, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में, ऐसे व्यवहारी द्वारा और इसमें शामिल है राज्य से बाहर निर्यात या विक्रय से अन्यथा निपटाए गए माल का मूल्य;
  - व्याख्या. (i) अग्रिम संविदा के संव्यवहार के सम्बन्ध में माल की कीमतों का पूर्णयोग, जिसमें वास्तविक रूप से माल परिवत्त नहीं किए गए हैं, सकल आवर्त में शामिल नहीं होगा।
    - (ii) किसी व्यक्ति को पहले बेचे गए किसी माल की कीमत में परिवर्तन, वृद्धि या अवृद्धि के मद्दे प्राप्त की गई या प्राप्य या भुगतान की गई या पुगतान योग्य कोई राशि, किन्तु उस समय पर ठीक रूप से निश्चय नहीं थी. ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, सकल आवर्त में, जैसी भी स्थिति हो, विहित रीति में, शामिल होगी या वर्जित होगी।
    - (iii) व्यवहारी द्वारा कर के रूप में संगृहित कोई राशि सकल आवर्त में शामिल नहीं की जाएगी तथा जहां कोई कर पृथक रूप से प्रभारित किया गया दिखाया नहीं गया है, वह, निम्नलिखित फार्मूला लागू करते हुए प्रतिशत में विशिष्ट कर की दर (दर द्वारा निर्दिष्ट)

पर कराधेय, कराधेय आदर्त (टी टी ओ द्वारा निर्दिष्ट) से निकाल दी जाएगी।

उदाहरण :-- यदि कुल कराघेण आवर्त 220 है तथा दर 10 (प्रतिशत) है, तो कर 20 होगा !

- (क) "राज्य में आयात" से अमिप्राय है, भारत के राज्यक्षेत्र में, माल के अन्तर्राज्य व्यापार या वाणिज्य या आयात के सिलिसिले में ऐसे माल के क्रय से अन्यथा राज्य से बाहर माल लाना या प्राप्त करना :
- (ब) "निवेश कर" से अभिप्राय है, मूल्य वर्धित कर व्यवहारी को बेचे गए माल के सम्बन्ध में राज्य को भुगतान की गई कर की राशि, जिसका ऐसे व्यवहारी को उस द्वारा धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार परिकलित कर के भुगतान के ऋप में क्रेडिट दिया जाता है;
- (भ) "विनिर्माण" से अभिप्राय है, विभिन्न वाणिज्यिक माल के उत्पादन में विरणाणिक माल का प्रसंस्करण, जिसमें उपोत्पाद तथा अपशिष्ट उत्पाद शामिल हैं ; टिय्यण—माल के प्रत्येक प्रसंस्करण से विभिन्न वाणिज्यिक माल के परिणाम में न हो ;
- (म) "खनिज" से अमिप्राय है, समी पदार्थ जो खनन, खुदाई, द्भिल करने, झमाई, जलीय, उत्खनन द्वारा या किसी अन्य क्रिया द्वारा भूमि से प्राप्त हो सकते हैं तथा इन पदार्थों में विपणन के लिए प्रसंस्कृत शामिल है;
- (य) व्यवहारी के सम्बन्ध में "कारबार के स्थान" से अभिप्राय है, कोई स्थान जहां व्यवहारी अपना कारबार चलाता है तथा इसमें शामिल है --
  - (i) कोई स्थान जहां वह किसी माल का विक्रय या क्रय करना है, या माल के विनिर्माण की कोई प्रक्रिया करता है :
  - (ii) कोई माण्डागार, गोदाम या अन्य स्थान जहां व्यवहारी अपने माल का भण्डार करता है:
  - (iii) कोई स्थान जहां व्यवहारी अपनी लेखा बहियां रखता है ;
  - (iv) उसका कोई कार्यालय या शाखा कार्यालय : और
  - (v) किसी अभिकर्ता या व्यवहारी के कारबार का स्थान, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;
- (यक) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों द्वारा विहित ;
- (यख) "तिमाही" से अभिप्राय है, 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर या 31 मार्च को समाप्त होगे थाजी तीन मास की अवधि :
- (यग) ''पंजीकृत'' से अमिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत;

- (यद्य) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करता है:
- (यड) "विक्रय" से अभिप्राय है, माल का कोई बंघक या भाराक्रांति या कोई प्रमार या रहन के सिवाय नकदी या आस्थिगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल में सम्पत्ति का कोई अन्तरण ; तथा इसमे निम्नलिखित शामिल है :-
  - (i) किसी संविदा के अनुसरण से अन्यथा नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मृल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में सम्पत्ति का अन्तरण ;
  - (ii) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन के अन्तर्गत आने वाले माल में, (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में हो ) सम्पत्ति का अन्तरण ;
  - (iii) भाड़ा-क्रय या किस्तों द्वारा मुगतान की किसी प्रणाली पर माल की सुपुर्दगी :
  - (iv) नकदी, आस्थिगित मुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रयोजन के लिए (चाहे विनिर्दिष्ट अविध के लिए है या नहीं ) किसी माल के उपयोग के लिए अधिकार का अन्तरण :
  - (v) नकदी, आस्थिगित मुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए कोई अनिगमित संगम या उनके किसी सदस्य के लिए व्यक्तियों के निकाय द्वारा माल की आपूर्ति;
  - (vi) ऐसे माल का, जो मानव उपयोग के लिए खाद्य या कोई अन्य वस्तु हो, या कोई पेय (बाहे मादक हो या नहीं) हो, किसी सेवा के रूप में या उसके किसी भाग के रूप में या किसी अन्य रीति में, जो भी हो, आपूर्ति, जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा, नकदी, आस्थगित भुगतान या अन्य मुल्यवान प्रतिफल के लिए हो.
  - और ऐसा अन्तरण, सुपुर्दगी या आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माल के विक्रय तथा व्यक्ति जिसको ऐसा अन्तरण, सुपुर्दगी या आपूर्ति की जाती है, द्वारा उस माल का क्रय, किसी माल का ऐसा अन्तरण, सुपुर्दगी या आपूर्ति समझा जाएगा :
- (यव) खण्ड (यड) के उप-खण्ड (ii) में यथा परिमापित किसी विक्रय के संबंध में "राज्य में विक्रय" से अभिप्राय है, राज्य में संकर्म संविदा के निष्पादन में सम्मिलित माल में (चाहे वह माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति का अन्तरण;
- (यछ) "विक्रय कीमत" से अभिप्राय है, व्यापार में सामान्य रूप में व्यवहार के अनुसार नकदी या व्यापार के रूप में विक्रय के समय पर स्वीकृत किसी राशि को घटाकर, किन्तु उनके परिदान के समय पर या पहले माल के सम्बन्ध में व्यवहारी द्वारा की गई किसी बात के लिए प्रभारित कोई राशि शामिल कर के

किसी माल के विक्रय के लिए प्रतिफल के रूप में किसी व्यवहारी को भुगतान योग्य राशि, तथा "क्रय कीमत" अभिव्यक्ति का अर्थ तदानुसार लगाया जाएगा:

- व्याख्या.— (i) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में सम्मिलित माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में हो) में सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्तरण, विक्रय मूल्य से अमिप्राय है, ऐसी राशि, ऐसे संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए किसी व्यक्ति को मूल्यवान प्रतिफल की राशि का मुगतान किया गया था या मुगतान योग्य है, ऐसे निष्पादन के लिए उपगत श्रम तथा अन्य सेवा प्रमारों की निरुपण राशि, में घटाने के बाद बची है, तथा जहां ऐसे श्रम तथा अन्य सेवा प्रमार परिमाण योग्य नहीं हैं, वहां विक्रय मूल्य, माल के अर्जन की लागत तथा व्यापार में प्रधतित लाभ की गुंजाईश जमा ऐसे माल में सम्पत्ति को अन्तरित करने की लागत तथा जब तक उसमें सम्पत्ति है उसके सम्बन्ध में सभी अन्य खर्चे, होगा जब तक माल चाहे इसी रूप में या अन्य किसी रूप में संविदी के पास चला जाता है जहां सम्पत्ति किसी विभिन्न रूप में हस्तान्तरित की जाती है तो इसमें संपरिवर्तन की लागत शामिल होगी;
  - (ii) खण्ड (यड) के उप खण्ड (iii) के अन्तर्गत आने वाले संव्यवहारों के बारे में, विक्रय मूल्य में सम्मिलित की जाने वाली राशि भाईदार द्वारा भाड़ा क्रय करार के अधीन कुल भुगतान योग्य राशि होगी तािक वह उस भाल के क्षय या उसमें सम्मित का अर्जन पूरा कर सके जिससे करार संबंधित है, और इसमें भाड़ेदार द्वारा भाड़ा क्रय करार के अधीन निक्षेप या अन्य प्रशम्मिक भुगतान के रूप में इस प्रकार भुगतान योग्य राशि या निक्षेप अथवा मुगतान के मद्दे ऐसे करार के अधीन उसके नाम की जमा की गई राशि या जमा की जाने वाली कोई राशि शामिल है, चाहे वह राशि स्वामी या किसी व्यक्ति को भुगतान की जानी है या भुगतान कर दी गई है अथवा घन के भुगतान द्वारा या माल के अन्तरण या परिदान द्वारा या किसी अन्य साघन से उन्मोचित की जानी है या की गई है, किन्तु इसमें करार के भंग के लिए शास्ति के रूप में अथवा प्रतिकर के रूप में या नुकसान के रूप में भुगतान योग्य कोई राशि शामिल नहीं है।
  - (यज) "अनुसूची" से अभिपाय है, इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची तथा उसमें विनिर्दिष्ट किसी माल की किस्म, अपवादों, निर्दन्धनों तथा शर्ते, यि कोई हों, के अधीन होगी तथा अनुसूची से निर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना सामान्य रूप में ऐसे माल में या उसके सामने वर्णित परिस्थितियां, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए होगा;
  - (यझ) "राज्य" से अमिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
  - (यञ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार ;
  - (यट) "कर" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर ;

- (यद) "कर बीजक" से अभिप्राय है, घारा 28 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, किसी मूल्य वर्धित कर व्यवहारी द्वारा, कराधेय माल के विक्रय के लिए, किसी अन्य मूल्य वृद्धि कर व्यवहारों को उस द्वारा पुनः विक्रय के लिए या विक्रय के लिए माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उसके उपयोग के लिए जारी किये जाने के लिए अपेक्षित कोई बीजक तथा जो उसे घारा 8 के उपबन्धों के अनुसार निवेश कर के दावे का हकदार बनाता है;
- (यड) "कराघेय माल" से अभिप्राय है, माल जो छूट प्राप्त माल नहीं है :
- (यढं) "कराधेय आवर्त" से अमिप्राय है, सकल आवृत का वह माग जो धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार उनसे कटौतियां करने के बाद, बचा है; जमा धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कर के लिए दायी माल का क्रय मूल्य:
- (यण) "कराबायक प्राधिकारी" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी जो सहायक आबकारी तथा कराबान अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो तथा इसमें शामिल है कोई निर्धारण प्राधिकारी तथा कोई पुनरीक्षण प्राधिकारी किन्तु इसमें अपील प्राधिकारी शामिल नहीं है;
- (यत) "अधिकरण" से अभिप्राय है, घारा 57 के जबीन गठित किया जबा आधिकरण ;
- (यथ) "माल के मूल्य" से अभिप्राय है, यदि माल विक्रय या क्रय किया गया हो तो माल का सही विक्रय मूल्य या सही क्रय मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, अन्यथा इस प्रकार की परिस्थितियों में इस प्रकार के माल का उचित बाजार सूल्य,
- (यद) "मूल्य वर्धित कर" से अमिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन मुगतान योग्य गाल के विक्रय या क्रय पर कोई कर ;
- (यद्य) "वैट व्यवहारी" से अभिप्राय है, कोई पंजीकृत व्यवहारी जो आकस्मिक व्यापारी नहीं है तथा जिसके मामले में चाहे दिकल्प द्वारा या विधि के अपवर्जन द्वारा धारा 9 के अधीन कर का प्रशमन लागू नहीं है;
- (यन) "संकर्म संविदा" में शामिल है, किसी चल या अचल सम्पत्ति के नकदी, आस्थिगित भुगतान या अन्य मुल्यवान प्रतिफल, संयोजन, सिन्नमाण, निर्माण, परिवर्तन, विनिर्माण, प्रसंस्करण, संरचना, प्रतिष्ठापन, फिटिंग, सुधार मरम्मत या कमीशर्निंग को कार्यान्वित करने के लिए कार्ड करार:
- (थप) "वर्ष" से अभिप्राय है, वित्तीय वर्ष!
- (2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपरिमाधित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें हरियाणा राज्य में यथा लागू केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2 घारा 3, घारा 4 तथा धारा 5 अथवा घारा 6 क अथवा पंजाब सामान्य खण्ड अधिनियम, 1898 (1898 का पंजाब अधिनियम 1), जैसी भी स्थिति हो, में दिए गए हैं।

#### अध्याय II

### कर का भार तथा उदग्रहण

- 3. (1) प्रत्येक व्यवहारी, यदि यह अधिनियम लागू नहीं होता, तो 1973 के अधीन कर कर का मार। भुगतान के लिए दायी रहता तथा प्रत्येक अन्य व्यवहारी जिसका सकल आवर्त. नियत दिन के तुरंत पूर्वगामी वर्ष के दौरान, 1973 के अधिनियम में यथा परिमाधित अथवा विनिर्दिष्ट कराधेय मात्रा से अधिक हो जाता है, उपघारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन नियत तिथि को तथा से, राज्य में उस द्वारा प्रभावित माल के विक्रय पर कर भुगतान के लिए दायी होगा।
- (2) प्रत्येक व्यवहारी जिसे उपघारा (1) लागू नहीं होती है तथा वह जो नीचे सारणी के खाना 2 में वर्णित वर्ग या वर्गों का है तथा जिसका सकल आवर्त किसी वर्ष में, उसके सामने खाना 3 में विनिर्दिष्ट कराधेय मात्रा से प्रथमत: अधिक हो जाता है, उपघारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन, उसके सामने खाना 4 में वर्णित दिन को तथा से राज्य में उस द्वारा प्रभावित माल के विक्रय पर कर मुगतान का दायी होगा-

#### सारणी

क्रम संख्या	व्यवहारियों के वर्ग या वर्गों के प्रकार	कराधेय मात्रा	दिन को या जिससे व्यवहारी कर का दायी है
1	2	3	4
य भ के रि	देवहारी. जो अन्तर्राज्यिक व्यापार म वाणिज्य के रिलिसले में या जो, मरत के राज्य क्षेत्र से बाहर माल ज निर्यात में या माल के आयात के सेलिसले में किसी माल का विक्रय म क्रय करता है।	शून्य	दिन को तथा से वह प्रथम बार के लिए ऐसा माल विक्रय या क्रय करता है।
	यवहारी जो राज्य में कोई माल गयात करता है	शून्य	दिन को तथा से वह प्रथम बार के तिए राज्य में कोई माल आयात करता है।
व वि	यवहारी जो राज्य में कोई माल क्रय हरता है तथा ऐसा माल या उससे वैनिर्गित भाल राज्य से बाहर निर्यात हरता है।	श्चि	दिन को तथा से वह प्रथम बार के लिए वह राज्य में ऐसे माल का क्रय करता है!
1	यवहारी जो पंजाब आबकारी अधिनियम, 914 (1914 का 1) के अधीन ईंट गट्ठे का स्वामी, हलवाई या मंहिरा भनुक्षप्तिधारी है अथना जो खनिजों,	श्रुन्य	दिन को या से उसका सकल आवर्त किसी वर्ष में कराधेय मात्रा प्रथमत: अधिक हो जाती है।

1	2	3	4
	लाटरी टिकटों या अन्य ऐसे माल में जो विहित किया जाए, संव्यवहार करता है		
5.	किसी अन्य श्रेणी या श्रेणियों के व्यवहारी	एक लाख रुपये या ऐसी अन्य राशि जो विहित की जाए तथा शून्य राहित विभिन्न राशियां जो विभिन्न तर्गों के व्यवहारियों के लिए विहित की जाएं।	दिन को या आगामी दिन से उसका सकल आवर्त किसी वर्ष में कराधेय मात्रा से प्रथमत: अधिक हो जाता है :

परन्तु यह उपघारा उस व्यवहारी को लागू नहीं होगी, जो केवल छूट प्राप्त माल में ही संव्यवहार करता है।

टिप्पण-- जहां कोई व्यवहारी ऊपर सारणी में वर्णित एक से अधिक वर्ग या दर्गों के अधीन शाता है, कर मुगतान का दारित्व, सर्वप्रथम दिन से, जिससे वह कर मुगतान का दारी होता है, प्रारंभ होगा।

(3) यदि उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अधीन कर भुगतान का दायी कोई व्यवहारी, ऐसी परिस्थितियों में किसी स्रोत से राज्य में कोई कराधेय माल क्रय करता है कि इस अधिनियम के अधीन उससे उनके विक्रय पर कोई कर उद्गृहीत अथवा भुगतान नहीं किया जाता है तथा ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें इस अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उसके द्वारा राज्य को उन पर अथवा उससे विनिर्मित माल पर कोई कर भुगतान योग्य नहीं है चाहे वह राज्य से बाहर उनका निर्यात करता है या उपयोग करता है, या व्ययन करता है तब भी वह उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसके क्रय पर, कर भुगतान के लिए दायी होगा:

परन्तु जहां ऐसा माल (उनके सिवाए जो अनुसूची व में विनिर्दिष्ट हैं) या उससे विनिर्मित माल जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के सिलसिले में विक्रय किया जाता है, वहां उनके क्रय पर कोई भी कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां क्रय किया गया माल आंशिक रूप में इस उपधारा के पूर्वगामी उपबन्धों में वर्णित परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है या व्ययन किया जाता है तथा आंशिक रूप में अन्यथा तो वहां ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय कर अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा।

(4) उपघारा (1), (2) तथा (3) के अधीन उद्गृहीत कर, धारा 7 के अधीन लागू कर की दरों पर, धारा 6 के उपबन्धों के अनुसरण में अवधारित, कराधेय आवर्त पर संगणित किया जाएगा तथा जहां कराधेय आवर्त कर की विभिन्न दरों पर कराधेय है, कर की दर कर की विभिन्न दरों के लिए दायी कराधेय आवर्त के प्रत्येक माग के सम्बन्ध में अलग से लागू होगी।

(5) यदि उपधारा (4) के अधीन संगणित कर, धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में अवधारित निवेश कर से अधिक है तो दोनों का अन्तर, भुगतानयोग्य कर होगा; तथा यदि निवेश कर, संगणित किए गए कर से अधिक है, तो अधिक राशि, धारा 20 के उपबन्धों के अनुसरण में भावी कर दायित्व के लिए या तो वापसीयोग्य या समायोजन-योग्य होगी; किन्तु धारा 8 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन निवेश कर के निराकरण के मददे यदि निवेश कर नकारात्मक मृत्य है तो उसका पूर्ण मृत्य उपधारा (4) के अधीन संगणित कर में जोड़ दिया जाएगा तथा परिमाणिक राशि कर भुगतान-योग्य होगी।

#### उदाहरण—

क्रम संख्या	उपघारा (4) के अधीन संगणित कर	नियेश कर	भुगतान योग्य कर	वापसीयोग्य/ समायोजन योग्य
1.	100 रुपये	50 रुपये	50 रुपये	शून्य
2.	100 रुपये	150 रुपये	शून्य	50 रुपये
3.	100 रुपये	() 50 रुपये	150 रुपये	शून्य

- (6) प्रत्येक व्यवहारी जो कर भुगतान का दायी हो जाता है वह तब तक दायी बना रहेगा जब तक कि तीन क्रमवर्ती वर्षों की समाप्ती के बाद, जिसमें प्रत्येक के दौरान उसका सकल आवर्त, कराधेय मात्रा से अधिक होने में असफल हो जाता है तथा ऐसी समाप्ति की तिथि के बाद ऐसी और अविध, जो विहित की जाए तथा बाद की अविध की समाप्ति पर कर भुगतान का उसका दायित्व समाप्त होगा।
- (7) प्रत्येक व्यवहारी, जिसका कर भुगतान का दायित्व, उपघारा (6) के उपबंधों के अधीन समाप्त हो गया है, वह उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसरण में कर भुगतान का पुनः दायी होगा।
- 4. इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. गाल के विक्रय अथवा क्रय पर कर, इस अधिनियम के अधीन, अधिरोपित नहीं किया जाएगा.—

अन्तर्राज्य व्यापार इत्यादि के मामले में कोई कर भुगतान योग्य नहीं है।

- (क) जहां ऐसा विक्रय या क्रय राज्य से बाहर किया जाता है ;
- (ख) जहां ऐसा विक्रय या क्रय, भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात के या भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के सिलसिले में किया जाता है; अथवा
- (ग) जहां ऐसा विक्रय या क्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में किया जाता है।
- 5. जहां कोई निर्घारिती दावा करता है —

सबूत का भार।

 (क) कि उसके द्वारा माल की कोई प्राप्ति या प्रेषण, उसके द्वारा ऐसे माल के क्रय या विक्रय से मिल्न है;

- (ख) किसी भी स्रोत द्वारा जिसमें किसी ऋण के विरुद्ध समायोजन भी शामिल है. उस द्वारा प्राप्त की गई या प्राप्य या मुगतान की गई या मुगतान योग्य कोई राशि, कारबार के सिटासिले में नहीं है, तथा जहां कारबार के सिटासिले में ऐसी राशि, उस वर्ष जिसमें उक्त राशि प्राप्त की गई थी या प्राप्य थी या मुगतान की गई थी या भुगतान योग्य थी, उस द्वारा प्रभावित माल के किसी विक्रय या क्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल नहीं है;
- (ग) कि उस द्वारा माल का कोई क्रय या विक्रय, राज्य के बाहर, ऐसा क्रय या विक्रय होने के कारण या अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य के सिलसिले में या भारत के राज्य क्षेत्र में माल के आयात या से बाहर माल के निर्यात के सिलसिले में. कर भुगतान का दायी नहीं है;
- (घ) कि उस द्वारा प्रभावित माल का कोई क्रय या विक्रय, किसी विशेष दर पर कर से या उद्ग्रहणीय कर से छूट प्राप्त है;
- (ङ) कि उस द्वारा प्रभावित माल का कोई क्रय या विक्रय ऐसे माल की वापसी के कारण कराधेय नहीं है :
- (भ) कि वह सकल आवर्त से किसी कटौती या माल के विक्रय पर संगणित कर से निवेश कर की कटौती के लिए हकदार है :
- (छ) कि समिश्र संकर्म संविदा की दशा में, वह संविदा के निष्पादन के लिए मूल्यवान प्रतिफल से श्रम तथा सेवा प्रभारों के संबंध में कटौती करने का हकदार है :
- (ज) कि उसके द्वारा किसी विशेष राशि का, इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति के रूप में भूगतान किया गया है;
- (झ) कि उसके कारबार परिसरों पर या किसी अन्य स्थान पर या किसी माल वाहक या अन्य वाहन, जिस पर उसका ऐसे प्रकटीकरण के समय नियन्त्रण हो गया है, में प्रकटीत कोई माल, लेखा बही तथा दस्तावेज जो उसके कारबार से सम्बन्धित नहीं है : या
- (ञ) कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई राहत उसे अनुझेय है,

उसे ऐसा साबित करने का भार उसी पर होगा।

त्रसम्बद्धाः **आवर्तः का** सम्बद्धाः

- 8. (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फिसी व्यवहारी को कराधेय आवर्त के अवधारण में निम्नलिखित कटौतियां उसके सकल आवर्त से की जाएंगी, अर्थात्:—
  - (क) राज्य से बाहर माल के विक्रय के आवर्द की ;
  - (ख) अन्तर्राज्य व्यापार तथा वाणिज्य के सिलसिले में माल के विक्रय के आवर्त की ;

- (ग) भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर माल के आयात के सिलसिले में माल के विक्रय के आवर्त की:
- (घ) भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के सिलसिले में माल के विक्रय के आवर्त की :
- (ड) राज्य के बाहर माल के निर्यात के आवर्त की ;
- (य) विक्रय से भिन्न माल के निपटान के आवर्त की ;
- (छ) राज्य में छूट-प्राप्त माल के विक्रय के आवर्त की ;
- (ज) ऐसे विदेशी राजनयिक मिशन/सलाहकारों तथा उनके राजनयिक तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों तथा संगठनो तथा उनके राजनयिक, जो विहित किए जाएं, के माल के विक्रय के आवर्त की ;
- (झ) ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्ते, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए उसका वापस किए गए माल के विक्रय के आवर्त की :

तथा शेष को धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन कराधेय क्रय, यदि कोई हो, में जोड़ दिया जाएगा।

टिप्पण. -1. इस उपघारा में "आवर्त" से अमिप्राय है,-

- (i) खण्ड (क), (ख), (ग), (ध), (छ) तथा (ज) के प्रयोजन के लिए, माल की विक्रय कीमतों का योग जो सकल आवर्त का भाग रूप है:
- (ii) खण्ड (ङ) तथा (च) के प्रयोजन के लिए, राज्य के बाहर निर्वातित माल के मूल्य का योग या विक्रय से मित्र व्ययन, जैसी भी स्थिति हो, जो सकल आवर्त का माग रूप है : तथा
- (iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए माल की विक्रय कीमतों का योग (1973 के अधिनियम के अधीन सम्मिलित करते हुए) जो सकल आवर्त का माग रूप है या हो गया है।

टिप्पण. — 2. यदि किसी माल के संबंध में आवर्त इस उपधारा के किसी खण्ड के अधीन किसी कटौती में शामिल किया जाता है. तो यह उपधारा के किसी अन्य खण्ड के अधीन कटौती का भाग रूप नहीं होगा।

- (2) उपघारा (1) मे वर्णित कटौतियां, ऐसी परिस्थितियों में यथाविहित ऐसी रीति में, निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे दस्तावेजों या ऐसे सबूत में प्रस्तुत करने पर अनुझेय होंगी।
- (3) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यवहारी के कराधेय आवर्त के अवधारण में उसके सकल आवर्त से कोई भी कटौती नहीं की जाएगी।

राज्य में माल के विक्रय या क्रय पर कर की दरें।

- 7. (1) किसी व्यवहारी द्वारा अपने कराघेय आवर्त पर मुगतान योग्य कर में जहां तक ऐसा आवर्त या उसका कोई भाग निम्नलिखित से सम्बन्धित है——
  - (क) उपधारा (2) के भीतर न आने वाला माल का विक्रय,---
    - (i) अनुसूची क में विनिर्दिष्ट माल के मामले में, उसमें विनिर्दिष्ट दरों पर संयणित किया जाएगा ;
    - (ii) अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट माल के सिवाए घोषित माल के मामले में, धार प्रतिशत या केन्द्रीय अधिनियम की घारा 15 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट उच्यतम से अनिधक ऐसी अन्य दर पर संगणित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निदेश करे;
    - (iii) अनुसूची ग में, विनिर्दिष्ट माल के मामले में, चार प्रतिशत या दस प्रतिशत से अनिधिक ऐसी अन्य दर पर संगणित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निदेश करे;
    - (iv) अन्य माल के मामले में, दस प्रतिशत या पन्द्रह प्रतिशत से अनिधक ऐसी अन्य दर पर संगणित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निदेश करे:

परन्तु जहां कोई माल डिब्बों में या किन्हीं पैकिंग सामग्री में पैक करके बेचा जाता है, वहां ऐसे डिब्बे या पैकिंग सामग्री पर लागू कर की दर चाहे डिब्बे या पैकिंग सामग्री पर लागू कर की दर चाहे डिब्बे या पैकिंग सामग्री की कीमत अलग से प्रमारित की जाती है या नहीं, डिब्बे या इसमें पैकिंग माल पर उसी प्रकार लागू होगी; जैसे कि उनमें बन्द या पैकिंग माल पर लागू है तथा जहां ऐसे माल पर कर से छूट है, वहां डिब्बे या पैकिंग सामग्री के विक्रय पर कर से भी छूट दी जाएगी।

(ख) माल के क्रथ पर चार प्रतिशत या यदि यह खण्ड (क) के अधीन आने वाला कोई विक्रय होता तो ऐसे माल के विक्रय पर लागू ऐसी निम्न दर पर संगणित किया जाएगा:

परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निदेश कर सकती है कि कर किसी निम्नतर दर पर संगणित किया जाएगा।

- (2) किसी व्यवहारी द्वारा उसके कराधेय आवर्त पर जहां तक, ऐसे आवर्त या उसका कोई माग सरकार को बेचे गए माल या किसी वैट व्यवहारी या यथाविहित ऐसे अन्य पंजीकृत व्यवहारी जिसे, इसमें, इसके बाद, दोनों को इस धारा मे प्राधिकृत व्यवहारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है. को उपधारा (4) में निर्दिष्ट किस्म के बेचे गए माल के सम्बन्ध में मुगतान योग्य कर निम्नानुसार संगणित किया जाएगा—
  - (क) यदि माल अनुसूची घ में अन्तर्विष्ट किस्म का है, तो ऐसे माल के विरुद्ध वर्णित दर पर, अन्यथा ;

(ख) यदि यह उपचारा (1) के खण्ड (क) के अधीन आने वाले किसी विक्रय पर होता तो चार प्रतिशत पर या ऐसे माल के विक्रय पर लागू ऐसी निम्न दर पर :

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निदेश कर सकती है कि खण्ड (ख) के अधीन कर किसी निम्नतर दर पर संगणित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि राज्य सरकार, की संतुष्टि हो जाती है कि देश के बाहर निर्यात को बढ़ावा देने के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीयीन है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश कर सकती है कि कराघेय आवर्त पर खण्ड (ख) के अधीन कर, जो प्राधिकृत व्यवहारियों के ऐसे वर्ग या वर्गों के माल के विक्रय से संबंधित है, शून्य दर पर संगणित किया जाएगा!

- (3) राज्य में माल के विक्रय पर उपधारा (2) के उपबंध, जहां तक उसके नीये लागू कर की दर उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन लागू कर की दर से कम है यदि ऐसा विक्रय उस खण्ड के अन्तर्गत आने वाला विक्रय होता, तब तक लागू नहीं होंगे जब तक माल विक्रय करने वाला व्यवहारी निर्धारण प्राधिकारी को विहित परिस्थितियों में तथा विहित रीति में निम्नलिखित प्रस्तुत नहीं कर देता—
  - (क) यदि माल किसी प्राधिकृत व्यवहारी को बेचा जाता है, तो विहित प्राधिकारी से प्राप्त किया गया विहित प्ररूप तथा यदि ऐसा प्ररूप ऐसे प्राधिकारी से उपलब्ध नहीं है तो स्वतः मुद्रित तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अधिप्रमाणित क्रमानुसार संख्यांकित प्ररूप में विहित ब्यौरे अन्तर्विष्ट करते हुए उसके द्वारा सम्यक् रूप से भरी हुई तथा हस्ताक्षरित की हुई कोई घोषणा: या
  - (ख) कोई पंजीकृत व्यवहारी न होते हुए यदि माल सरकार को बेचता है, तो सरकार के किसी सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित किया हुआ विहित प्ररूप में एक प्रमाण-पत्र।
  - (4) उपघारा (2) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकृत व्यवहारी को बेचा गया निम्नलिखित माल
    - (क) प्राधिकृत व्यवहारी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के माल जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन, उस द्वारा उपयोग के लिए माल क्रय करने के लिए आशयित है—
      - (i) विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में ;
      - (ii) दूरसंचार नेटवर्क में ;
      - (iii) खनन में ;या
      - (iv) विद्युत के उत्पादन या वितरण में या शक्ति का कोई अन्य रूप ;

- (ख) प्राधिकृत व्यवहारी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों का माल, जो उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के दूसरे परन्तुक के अधीन जारी अधिसूचना के अन्तर्गत आता है. उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस द्वारा उपयोग के लिए माल क्रय करने के लिए आश्यित है;
- (ग) क्या खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट किसी माल की या माल के वर्गों की पैकिंग के लिए प्रयुक्त डिब्बे या अन्य सामग्री।
- (5) यदि कोई प्राधिकृत व्यवहारी उपघारा (4) के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट किन्हीं प्रयोजनों के लिए किसी माल को खरीदने के पश्चात् किसी ऐसे प्रयोजन के लिए माल के उपयोग के लिए युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहता है, निर्धारण प्राधिकारी उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद लिखित में आदेश द्वारा, कर से डेढ़ गुणा अनधिक की राशि जो उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन अतिरिक्त उद्गृहीत होगी, शास्ति के रूप में उस पर अधिरोपित कर सकता है, यदि उसको किया गया विक्रय उस खण्ड के भीतर आने वाला विक्रय होता:

परन्तु कोई शास्ति जहां प्राधिकृत व्यवहारी, जब वह विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए क्रय किए गए माल का उपयोग करने में असफल हो जाता है पूर्वगामी उपबंधों में यथा निर्दिष्ट कर, अवधि के लिए विवरणी के साथ जो अतिरिक्त उद्गृहीत होता, का स्वैच्छिक रूप से भुगतान करता है, अधिरोपित नहीं की जाएगी।

निवेश कर का अवध्यरण। 8. (1) किसी वैट व्यवहारी द्वारा खरीदे गए किसी माल के संबंध में निवेश कर, उसको बेचे गए ऐसे माल पर राज्य को मुगतान किए गए कर की राशि होगी तथा जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान के लिए दायी किसी व्यवहारी की दशा में, जैसी मी स्थिति हो. धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन समय पर पंजीकरण के लिए आवेदन देता है, उस दिन को जिस दिन वह कर भुगतान के लिए दायी हो जाता है उस द्वारा स्टाक में रखे गए माल (पूंजीमाल के सिवाय) के सम्बन्ध में इस अधिनियम तथा 1973 के अधिनियम के अधीन भुगतान किया गया कर शामिल है, किन्तु अनुसूची ड में विनिर्दिष्ट माल ऐसे माल के विरुद्ध वर्णित परिस्थितियों में प्रयुक्त या व्ययन के सम्बन्ध में भुगतान किया गया कर शामिल नहीं होगा:

गरन्तु जहां राज्य में खरीदा गया माल अनुसूबी ङ में वर्णित परिस्थितियों में तथा अन्यथा माग रूप में उपयोग किया जाता है या माग रूप में व्ययन किया जाता है, ऐसे माल के सम्बन्ध में निवेश कर अनुपात में संगणित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि राज्य में खरीदे गए किसी माल के संबंध में यदि निवेश कर प्राप्त कर लिया गया है किन्तु ऐसा माल अनुसूची ड में यणित परिस्थितियों में पश्चात्वर्ती उपयोग के लिए है या व्ययन के लिए है तो ऐसे माल के संबंध में निवेश कर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

- (2) किसी वैट व्यवहारी को जारी किया गया कर बीजक. जो बीजक माल के विक्रय पर उससे प्रभारित कर दर्शा रहा है, उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए ऐसे माल पर भुगतान किए गए कर का पर्याप्त सबूत होगा।
- (3) जहां किसी व्यवहारी को बेचे गए किसी माल के सम्बन्ध में निवेश कर का कोई दावा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में प्रश्नगत किया जाता है, तो ऐसी कार्यवाहियों को संचालित कर रहा प्राधिकारी, ऐसे व्यवहारी से, माल के विक्रय के सम्बन्ध में विक्रेता व्यवहारी द्वारा ऐसे जारी किया गया बीजक कर के अतिरिक्त, विक्रेता व्यवहारी द्वारा विहित प्ररूप तथा रीति में उसे दिया गया एक प्रमाण-पत्र अपने सम्मुख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है तथा ऐसा प्राधिकारी दावों को केवल तमी स्वीकार करेगा यदि ऐसी जांच के बाद जो वह आवश्यक समझे, उसकी संतुष्टि हो गई है कि इसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र में अन्तर्विष्ट ब्यौरे सत्य तथा सही हैं।
- (4) राज्य सरकार समय-समय पर निवेश कर की संगणना के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत नियम बना सकती है, तथा जब ऐसे नियम बनाए जाते हैं, कोई निवेश कर ऐसे नियमों के अनुसरण के बिना संगणित नहीं किया जाएगा।
- 9. (1) राज्य सरकार, लोकहित में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह उचित समझे, व्यवहारी के किसी श्रेणी से इस अधिनियम के अधीन किसी अवधि के लिए संदाय कर के बदले में प्रशमन के रूप में, उत्पादन क्षमता से सम्बन्धित एकमुश्त राशि या कारबार के विस्तार किसी अन्य के उपयुक्त पैमाने, या कारबार की सकल प्राप्तियों या क्रय या विक्रय के सकल आवर्त या इस प्रकार के अन्य उपाय इससे किसी कटौती सहित या के बिना, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी तथा ऐसी एकमुश्त राशि ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तथा राज्य सरकार व्यवहारियों की ऐसी श्रेणी के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, पंजीकरण, लेखों के रख रखाव, विवरणियां को दायर करने की सरल पद्धित विहित करेगी जो ऐसे प्रशमन की अविध के दौरान लागू रहेगी।

कर के बदले में एकमुश्त राशि का संदाय।

- (2) कोई भी व्यवहारी जिसके मामले में, उपधारा (1) के अधीन प्रशमन लागू हैं, उस द्वारा माल के विक्रय के लिए कर बीजक जारी नहीं किया जाएगा तथा कोई भी व्यवहारी जिसको माल ऐसे व्यवहारी द्वारा विक्रय किया जाता है उसका विक्रय किए गए ऐसे माल के सम्बन्ध में निवेश कर के किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
- (3) कोई भी व्यवहारी जिसके मामले में उपघारा (1) के अधीन प्रशमन किया जाता है तथा लागू है यथाविहित ऐसे निर्वन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन निर्धारण प्राधिकारी को विहित रीति में विहित ब्यौरे अन्तर्विष्ट करते हुए कोई आवेदन देते हुए ऐसे प्रशमन का विकल्प दे सकता है तथा यदि आवेदन नियमानुसार है, तो ऐसा प्रशमन यथाविहित आवेदन देने के बाद ऐसी अवधि की समाप्ति पर प्रमावहीन हो जायेगा।
- 10. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संदेय कर. शास्ति या ब्याज की राशि तथा देय प्रतिदाय को राशि निकटतम रूप में पूर्णांकित कर दी जाएगी तथा इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे या इससे अधिक को एक रुपया कर दिया जाएगा तथा पचास पैसे से कम है उसको अवगणित कर दिया जाएगा।

कर पूर्णांकित करना।

- (2) यदि उपघारा (1) में यथा उपबंधित पूर्णांकित के बाद, उसको किसी निर्धारिती या प्रत्यर्पणीय द्वारा संदाय राशि, जैसी मी स्थिति हो, दस रुपए से कम है तो वह अवगणित कर दी जाएगी।
- (3) इस धारा की कोई बात, किसी व्यवहारी द्वारा माल के किसी क्रय या विक्रय के संबंध में कर के रूप में उसके द्वारा किसी राशि के संग्रहण के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होगी।

#### अध्याय III

#### व्यवहारियों का पंजीकरण

पंजीकरण।

11. (1) घारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर देने का दायी प्रत्येक व्यवहारी, वह या तो 1973 के अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र घारित करता है या जिसका उक्त अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन नियत दिन तक लम्बित था, यथाविहित, ऐसी अविध के मीतर ऐसे प्ररूप तथा रीति में, अपने कारबार के ऐसे ब्यौरे, निर्धारण प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा ऐसी सूचना की प्राप्ति के बाद ऐसा प्राधिकारी ऐसी जांच करते हुए, जो वह आवश्यक समझे, उसके सहीपन के बारे में यदि सन्तुष्टि हो जाती है, इस अधिनियम के अधीन उसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो नियत दिन से विधिभान्य होगा, अन्यथा, यह प्रमावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद पंजीकरण करने से इंकार करने का आदेश पारित करेगा:

परन्तु सूचना प्रस्तुत करने के लिए विहित अवधि के दौरान तथा उस समय तक जब उस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है, 1973 के अधिनियम के अधीन जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र, सिवाए जब पंजीकरण करने से इंकार किया जाता है इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा।

- (2) कर देने का दायी प्रत्येक व्यवहारी, जिस पर उपधारा (1) लागू नहीं होती है, तथा कोई व्यवहारी, जो छूट प्राप्त माल में अनन्य रूप से संव्यवहार नहीं करता है किसी बात के होते हुए भी, वह धारा 3 के अधीन कर देने का दायी नहीं है, निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर ऐसी फीस के मुगतान पर, जो पांच सौ रुपए से अधिक न हो, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा जो विहित किया जाए.।
- (3) यदि विहित प्राधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि आवेदक कोई सद्मावी व्यवहारी है और उसके द्वारा पंजीकरण के लिए किया गया आवेदन नियमानुसार है तो वह उसे घारा 12 के उपबंधों के अध्यधीन विहित प्ररूप में एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र देगा तथा ऐसा पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी तिथि से विधिमान्य होगा, जो विहित की जाए।
- (4) कोई व्यवहारी जिसको पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट तिथि से जो उसको प्रदान किए पंजीकरण प्रमाण पत्र की तिथि से बाद का न हो, कर के लिए दायी होगा तथा वह उस समय तक कर के लिए दायी बना रहेगा जब तक कि उस द्वारा धारण किया गया पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द इस बात के होते हुए नहीं हो जाता कि घारा 3 की उपघारा (6) के अधीन भुगतान के लिए उसका दायित्व समाप्त हो गया है।

- (5) निर्धारण प्राधिकारी को समय-समय पर धारा 13 के अधीन उसे दी गई सूचना पर आदेश द्वारा किसी पंजीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन कर सकता है, तथा यदि कारबार बन्द हो जाता है तो, उसे रद्द भी कर सकता है तथा प्रमाण-पत्र में ऐसा संशोधन या रद्दकरण ऐसी तिथि से, प्रमावी होगा जो विहित्त की जाएं।
  - (6) जब---
    - (क) कोई कारबार जिसके संबंध में प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, बन्द कर दिया गया है: या
    - (ख) घारा 3 की उपघारा (6) के निर्बन्धनों में किसी व्यवहारी का कर भुगतान का दायित्व नहीं रहता,

निर्धारण प्राधिकारी प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर देगा तथा रद्दकरण यथाविहित ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद लागू होगा।

- (7) किसी जिले का भारसाधक कोई कराधायक प्राधिकारी जो उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, विहित रीति में, किसी व्यवहारी को जारी किया पंजीकरण प्रमाण-पत्र यथाविहित ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए रद्द करेगा—
  - (क) इस अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन कर के परिहार का दोषी टहराये जाने पर :
  - (ख) पंजीकरण प्रमाण-पत्र दुरुपयोग के लिए ;
  - (ग) किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए :

परन्तु किसी व्यवहारी पर प्रतिकृल प्रमाव डालने वाला कोई भी आदेश इस उपघारा के अधीन उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

- 12. (1) जहां ऐसे प्राधिकारी को, जिसको, धारा 11 के अधीन कोई आवेदन किया गया है. संदेय कर की उचित क्सूली के लिए या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किन्हीं प्ररूपों की उचित अभिरक्षा तथा उपयोग के लिए, ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है जो राज्य सरकार के प्राधिकारी के अधीन मुद्रित किए गए हैं या उपयोग से पहले इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं. वहां वह लिखित आदेश द्वारा तथा उसमें अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त के रूप में यह अपेक्षा कर सकता है कि व्यवहारी विहित रीति में और ऐसे समय के मीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, ऐसी प्रतिमूति देगा. जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जाए।
- (2) जहां निर्धारण प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन मुगतानयोग्य कर की उचित वसूली के लिए या उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूपों की उचित अभिरक्षा तथा उपयोग के लिए, ऐसा करना आवश्यक प्रतीत होता है, वहां वह ऐसा प्रमाण-पत्र प्रवृत रहने के दौरान किसी भी समय

व्यवहारियों के कतिपय धर्गों से प्रतिभृति। लिखित आदेश द्वारा और उसमें अमिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, पूर्वोक्त प्रयोजनों में सं समी या किन्हीं के लिए, उस व्यवहारी से, जिसे प्रमाण पत्र दिया गया है, ऐसे समय के मीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और विहित रीति में, ऐसी प्रतिमृति या, यदि व्यवहारी ने इस उपधारा या उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई प्रतिमृति पहले ही दे दी हो, तो ऐसी अतिरिक्त प्रतिभृति जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, देने की अपेक्षा जर सकता है।

- (3) कोई भी व्यवहारी, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उनमें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाए किसी प्रतिभूति को देने के लिए अपेक्षित नहीं होगा तथा प्रतिभूति की राशि, जो उपरोक्त उपधाराओं में से किसी के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा दी जाने के लिए अपेक्षा की जाए या ऐसी प्रतिभूति की राशि और उस अतिरिक्त प्रतिभृति की राशि का योग, जो उपधारा (2) के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा दी जानी अपेक्षित की जाए, उस वर्ष के लिए, जिसमें ऐसी प्रतिभूति, जैसी भी स्थिति हो, या अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाती है, व्यवहारी द्वारा ऐसे प्राधिकारी के प्राक्कलन के अनुसार संदेय कर से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी;
- (4) जहां किसी व्यवहारी द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दी गई प्रतिभूति प्रति भू-बंधपत्र के रूप में है और प्रतिभू दिवालिया हो जाता है या अन्यथा असमर्थ हो जाना है, या मर जाता है या प्रतिभू नहीं रह जाता, तो व्यवहारी, उपरोक्त घटनाओं में से किसी के होने के तीस दिन के भीतर, पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी घटना होने के नब्बे दिन के भीतर बंधपत्र की राशि के लिए नया प्रतिभू बं पत्र देगा या अन्य प्रतिभूति, विहित रीति में देगा।
- (5) निर्धारण प्राधिकारी आदेश द्वारा तथा सही तथा पर्याप्त कारण के लिए किसी व्यवहारी द्वारा दी गई पूर्ण प्रतिभू को या उसके किसी भाग को निम्नलिखित के अधीन जब्त कर सकता है—
  - (क) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी द्वारा संदेय कोई राशि वसूल करने के लिए : या
  - (ख) यदि यह पाया जाता है कि व्यवहारी ने उपधारा (1) मे निर्दिष्ट प्ररूपों में से किसी का दुरुपयोग किया है या वह उन्हें उचित अभिरक्षा में रखने में असफल रहा है या विहित रूप में उनके उपयोग या उनके आत्मसमर्पण करने के संबंध में सूचना देने में असफल हो रहा है :

परन्तु किसी ध्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना इस जयधारा के अधीन कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(b) जहां उपधारा (5) के अधीन किसी आदेश के कारण किसी व्यवहारी द्वारा दी गई प्रतिभृति अर्थ्याप्त हो जाती है तो वहां यह ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित्त की जाए, कमो पूरी करेगा;

- (7) यदि कोई व्यवहारी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश का, अथवा उपधारा (4) या उपधारा (6) के उपबन्धों का, अनुपालन करने में असफल रहता है. तो विहित प्राधिकारी, व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् कोई आदेश कर सकता है कि—
  - (क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्ररूप उसे तब तक जारी या अधिप्रमाणित नहीं किए जाएंगे, जब तक व्यवहारी ने, जैसी भी स्थिति हो,, ऐसे आदेशों या उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है; या
  - (ख) पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति का या यदि व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन पहले ही पंजीकृत है तो उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द किए जाने, जैसी भी स्थिति हो, तथा पंजीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति की दशा में, व्यवहारी धारा 16 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह पंजीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है।
  - 13. यदि कोई व्यवहारी, जिसको धारा 14 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू होते हैं—
    - (क) अपने कारबार का विक्रय करता है, अन्तरण करता है या अन्यथा व्ययन करता है या बन्द करता है :

कारबार इत्यादि के परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना।

- (ख) अपने कारबार के स्थान (स्थानों) का विक्रय करता है या अन्तरण करता है या अन्यथा का व्ययन करता है या बन्द करता है या कारबार का कोई नया स्थान (नों) को खोलता है :
- (ग) व्यापारिक या विनिर्मित या कारबार या विनिर्माण में प्रयुक्त माल में परिवर्तन सहित अपने कारबार का नाम, गठन या स्वरूप परिवर्तन करता है; या
- (घ) किसी प्राधिकृत अभिकर्ता की नियुक्ति करता है, वह निर्धारण प्राधिकारी को विहित समय के भीतर तद्नुसार सूचित करेगा और यदि ऐसे व्यवहारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका विधिक प्रतिनिधि उक्त प्राधिकारी को उसी रीति में सुचित करेगा:

परन्तु यदि कोई व्यवहारी या उसका विधिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, अन्य व्यक्ति पर कर भुगतान के दायित्व के अन्तरण को प्रमावित कर रहे पूर्वगामी उपबन्ध के अधीन यथा अपेक्षित परिवर्तन की सूचना देने में असफल रहता है, तब, परिवर्तन के होते हुए भी, कोई कर, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति परिवर्तन होने के बाद, भुगतान के लिए दायी हो गया है, ऐसे रूप में वसूल किया जाएगा मानो परिवर्तन हुआ ही नहीं है:

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक की कोई बात कर के अपने दायित्व के परिवर्तन के परिणामस्वरूप अंतरिती या उत्तरवर्ती व्यवहारी को उन्मुक्त करेगी।

#### अध्याय IV

## विवरणियां भरना, कर का निर्धारण तथा संग्रहण, वापसी

विवरणियों का प्रस्तुतीकरण तथा कर का संदाय।

- 14. (1) इस अधिनियम के अधीन मुगतानयोग्य कर, एतद्पश्चात् **उपब**न्धित रीति में तथा ऐसे अन्तरालों पर मुगतान किया जाएगा।
- (2) निम्नलिखित व्यवहारियों या व्यवहारियों के वर्ग या वर्गी चाहे वे कर के भुगतान के लिए दायी हों या न हों, अर्थातु :---
  - (क) व्यवहारियों के ऐसे वर्ग या वर्गों द्वारा, जो विहित किए जाएं :
  - (ख) ऐसा व्यवहारी, जिससे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में विहित प्ररूप में तामील किए गए नोटिस द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाए :
  - (ग) कोई व्यवहारी जो पंजीकरण प्रमाण-पत्र को देने के लिए आवेदन करता है किन्तु उसके आवेदन-पत्र पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ; तथा
  - (घ) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी,

सांख्यकीय प्रयोजनों सहित ऐसे अन्तरालों पर, ऐसी विवरणियां, ऐसे व्यक्तियों द्वारा सत्यापित ऐसी तिथियों तक ऐसे प्राधिकारी को देगा जो विहित किया जाए तथा विभिन्न विवरणियां, व्यवहारियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए विहित की जाएंगी, तथा यदि ऐसी विवरणियों के अनुसार देय कर उपधारा (3) या उपधारा (4) जैसी भी स्थिति हो, के अधीन मुगतान किए गए कर से अधिक है, वे विवरणियां प्रस्तुत करने से पहले उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित बकाए का भुगतान विहित रीति में करेंगे।

(3) प्रत्येक व्यवहारी जिसका, इस अधिनियम, 1973 के अधिनियम तथा केन्द्रीय अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए कुल दायित्व, उस द्वारा भरी गई विवरणियों के अनुसार पिछले वर्ष या उसके भाग के लिए एक लाख रुपए के बराबर या से अधिक या ऐसी अन्य राशि है. जो विहित की जाए, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार पूर्व मास के लिए उस द्वारा भुगतानयोग्य कर की, उस द्वारा संगणित की गई पूर्ण राशि प्रत्येक मास के पन्द्रहवें दिन को या पहले विहित रीति में देगा:

परन्तु यदि वह उस समय तक ठीक-ठीक अपने कर दायित्व को परिमाणित करने में समर्थ नहीं है, तो वह अंतिम वर्ष में अपने कर दायित्व के मासिक औसत के बराबर राशि का भुगतान (अथवा ऐसी लघुत्तर अवधि जिसके लिए वह उस वर्ष में कर भुगतान का दायी हो गया हो) अनन्तिम कर के रूप में करेगा तथा वह बकाया, यदि कोई हो, मास के पच्चीसवें दिन को या उससे पूर्व भुगतान करेगा तथा अधिक, यदि कोई हो, तो वह उसे, अपने भावी कर दायित्व में समायोजित कर सकता है।

(4) प्रत्येक व्यवहारी जिसको उपधारा (3) लागू नहीं होती, इस अधिनियम तथा तत्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में, उस द्वारा संगणित तिमाही के लिए उस द्वारा भुगतानयोग्य कर की पूर्ण राशि का, विहित रीति में, प्रत्येक तिमाही के, ठीक आगामी मास में, भुगतान करेगा।

- (5) यदि किसी व्यवहारी को अपने द्वारा प्रस्तुत की गई किसी विवरणी में, किसी लोप या अन्य भूल का पता चलता है जिसे वह विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व सम्यक् तत्परता के बरतने के बाद सुघार नहीं सका हो, तो वह, अपने द्वारा आगामी अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विहित तिथि से पूर्व किसी भी समय कोई पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि पुनरीक्षित विवरणी में दर्शाई गई देय कर की राशि मूल विवरणी में दर्शाई गई राशि से अधिक है तो उसके साथ, किसी लोप या मूल के कारण उस अवधि के लिए असंदत्त रह गई राशि प्रति मास डेढ प्रतिशत की दर पर उस पर संगणित साघारण ब्याज सहित अतिरिक्त राशि विहित रीति में सरकारी राजकोष में मुगतान को दर्शाने वाली रसीद संलग्न होगी!
- (6) यदि कोई व्यवहारी, उपघारा (3), (4) तथा (5) द्वारा यथा अपेक्षित कर का भुगतान करने में असफल रहता है, तो वह, अपने द्वारा देय कर के अतिरिक्त. यदि भुगतान, कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अन्तिम तिथि से नब्बे दिन के भीतर किया जाता है तो प्रति मास डेढ़ प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज के मुगतान का दायी होगा किन्तु यदि चूक उसके बाद भी जारी रहती है, तो वह कर के भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अन्तिम तिथि से उस तिथि तक जिसको यह भुगतान करता है, पूर्ण अविध के लिए प्रतिमास तीन प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज के भुगतान का दायी होगा।
- 15. (1) किसी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणियां विहित रीति में सम्यक् रूप से स्वीकृत की जाएंगी तथा जहां किसी निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में सभी विवरणियां दायर की जा चुकी हैं तथा तात्विक ब्यौरों में पूर्ण हैं, तो व्यवहारी उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया समझा जायेगा:

पंजीकृत व्यवहारी का निर्धारण।

परन्तु जहां तात्विक ब्यौरों में विवरिणयां पूर्ण नहीं हैं, तो व्यवहारी को उनको पूर्ण करने का अवसर दिया जाएगा।

- व्याख्या— तात्विक ब्यौरों में कोई विवरणी पूर्ण है यदि उसमे प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्तर्विष्ट कोई सूचना वैधानिक सूचियों, दस्तावेजों सहित गणितीय रूप से सही है तथा विवरणी के अनुसार देय कर के भुगतान का सबूत व्यवहारी द्वारा पूर्ण रूप से तथा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है।
- (2) नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार, धारा 14 की उपघारा (2) के अधीन विवरणियां दायर करने के लिए अपेक्षित व्यवहारी के सम्बन्ध में संवीक्षा के मामले के चयन के लिए बनाए, निर्धारण प्राधिकारी, प्रत्येक चयनित मामले के सम्बन्ध में, सम्बद्ध व्यवहारी को ऐसे नोटिस की तामील विहित रीति में करेगा, जिसमें व्यवहारी से यह अपेक्षा की गई हो कि वह उसमें नोटिस में विनिर्दिष्ट तिथि को और स्थान पर या तो स्वयं उपस्थित हो या कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करें या करवाए जिस पर ऐसा व्यवहारी निर्धारण अधीन अवधि (जिसे, इसमें, इसके बाद, इस धारा में निर्धारण अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), के सम्बन्ध में उस द्वारा दायर की गई विवरणियों के समर्थन में निर्धर करता हो तामील करेगा:

परन्तु पूर्वगामी उपबन्ध में निर्दिष्ट किसी नोटिस के अन्तर्गत निर्धारण अविध एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा ऐसा नोटिस, एक वर्ष की समाप्ति से निर्धारण अविध से संबंधित अन्तिम विवरणी दायर करने के लिए विहित अन्तिम तिथि से पूर्व या वास्तविक तिथि जब निर्धारण अविधि से संबंधित कोई अन्तिम विवरणी दायर की गई है, जो भी बाद में हो, व्यवहारी को तामील किया जाएगा।

(3) नोटिस में विनिर्दिष्ट दिन को या उसके पश्चात् यथा-सम्भव शीघ, निर्धारण प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य की जो व्यवहारी प्रस्तुत करे तथा ऐसे अन्य साक्ष्य की, जो वह विनिर्दिष्ट प्रश्नो पर अपेक्षा करे, सुनवाई के पश्चात उसकी ओर देय कर की राशि निर्धारित करेगा:

परन्तु इस उपघारा के अधीन कोई आदेश, उस वर्ष, जिससे निर्धारण सम्बन्धित है, के समापन से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद, पारित नहीं किया जाएगा!

- (4) यदि ऐसा कोई व्यवहारी, जिसने किसी अवधि के बारे में विवरणियां प्रस्तुत की हों, उपधारा (2) अथवा उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी नोटिस के निवन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी वर्ष, जिससे ऐसी विवरणी(यां) सम्बन्धित हैं. के समापन से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार उसकी और देय कर की राशि का निर्धारण करेगा।
- (5) यदि कोई व्यवहारी विहित तिथि से किसी अविध के बारे में दिवरणी(यां) प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, वर्ष जिससे ऐसी विवरणी(यां) सम्बन्धित हैं, के समापन से तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अक्सर देने के पश्चात्, उसकी ओर देय कर की राशि का, यदि कोई हो, अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए यह मान लेगा कि निर्धारण अविध के लिए उसका कराधेय आवर्त उसी प्रकार का है जैसा कि अन्तिम वर्ष की तत्संबंधी अविध के लिए है तथा निवेश कर शून्य है:

परन्तु यदि विवरणी(याँ) अभ्यंतर में दायर कर दी जाती है (हैं) तो निर्धारण प्राधिकारी उस/उन पर विचार कर सकता है।

- (6) निर्धारण प्राधिकारी इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए पूर्व नोटिस देने के बाद ऐसे वर्ग या वर्गों के किसी व्यवहारी के कारबार के किसी या सभी स्थान (नों) का, जो विहित किए जाएं, दौरा कर सकता है तथा सभी कारबार क्रिया-कलापों, संक्रियाओ, लेखों, अभिलेखों, दस्तावेजों तथा कार्यवाही से सुसंगत अन्य वस्तुओं का निरीक्षण तथा परीक्षण ऐसे व्यक्तियों की सहायता से कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे तथा व्यवहारी, ऐसे निरीक्षण तथा परीक्षण करने के लिए ऐसी उत्तनी अविध तक सभी आवश्यक सहायता देगा जितनी ऐसा प्राधिकारी आवश्यक समझे।
- (7) इस धारा के अधीन किया गया कोई निर्धारण इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति के प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना होगा।
- टिप्पण-- इस धारा के अधीन समय-परिसीमा संगणित करने के प्रयोजन के लिए किसी वर्ष के किसी भाग से सम्बन्धित निर्धारण उस वर्ष से सम्बन्धित समझा जाएगा।

16. यदि किसी ऐसी जानकारी पर, जो निर्धारण प्राधिकारी के कब्जे में आ गई है, निर्धारण प्राधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि कोई व्यवहारी किसी अविध के बारे में कर देने का दायी हो गया हो, किन्तु पंजीकरण के लिए आवेदन करने में असफल हो गया है, तो वह ऐसी अविध के समापन के आगामी तीन वर्ष की समाप्ति से पूर्व, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, ऐसी अविध और सभी पश्चात्वर्ती अविधयों के बारे में उससे देय कर की राशि का अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण करेगा और उसे और निदेश करेगा कि ऐसे निर्धारण के फलस्वरूप देय पाई गई कर की राशि के बराबर कोई राशि शास्ति के रूप में मुगतान करे।

कर के लिए दायी किसी अपंजीकृत व्यवहारी का निर्धारण।

व्याख्यां. — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यवहारी पंजीकरण के लिए आवेदन करने में असफल समझा जाएगा, यदि वह पंजीकरण के लिए कोई अपूर्ण आवेदन दायर करता है या पंजीकरण के लिए किए गए आवेदन में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उसको दिए गए किसी निदेश का इसके द्वारा दिए गए विनिर्दिष्ट समय के मीतर अनुपालन करने में असफल रहता है जिसके परिणामस्वरूप उसका आवेदन फाइल हो गया है।

कर का पुन: निर्घारण।

17. यदि निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी निश्चित जानकारी के परिणामस्वरूप जो उसके कब्जे में आ गई है उसे पता चलता है कि किसी वर्ष में किसी व्यवहारी के कारबार का आवर्त निर्धारणाधीन हो गया है या वह निर्धारण से छूट गया है या निवेश कर या वापसी अधिक अनुझात हो गई है, तो वह उस वर्ष की समाप्ति के आगामी पांच वर्ष की समाप्ति से पूर्व या जब उस वर्ष का निर्धारण अन्तिम हो गया है की आगामी तिथि के दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, विहित्त रीति में, किसी व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के बाद, उस वर्ष के लिए जिसके लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावित किया गया है व्यवहारी के कर दायित्व को पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण प्राधिकारी, यदि व्यवहारी पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसे जारी किए गए नोटिस के निबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उस अपनी सर्वोत्तम विवेकबृद्धि से पुनर्निर्धारण की शक्ति होगी।

18. (1) घारा 15, 16 तथा 17 में अन्तर्विष्ट परिसीमा काल से सम्बन्धित उपबन्धों के होते हुए भी निर्धारण या पुनर्निर्धारण, जैसी भी स्थिति हो, किया जा सकता है—

- (i) किसी न्यायालय द्वारा या इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश के परिणामस्वरूप, या को कार्यान्वित करने के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेश की प्रति की प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर:
- (ii) किसी वर्ष के समापन के आगामी पांच वर्ष की समाप्ति से पूर्व, जिसमें धारा 29 के अधीन जब्त की गई कोई बही, लेखा, पंजी या दस्तावेज, से सम्बन्धित, परन्तु कार्यवाहियां धारा 29 की उपधारा (4) के तीसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट अविध की समाप्ति के बाद, नहीं बढ़ाई जाती है।
- (2) जहां किसी अवधि के लिए अन्तिम आदेश पारित होने के स्थमन सहित किसी व्यवहारी से सम्बन्धित निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियां किसी न्यायालय या इस अधिनयम के अधीन किसी प्राधिकारी, के आदेश द्वारा स्थगित रही हैं, वहां ऐसी अवधि धारा 15, धारा 16 या धारा 17, जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए परिसीमाकाल संगणना करते समय छोड़ दी जाएगी!

कतिपय मामलो में निर्वारण या पुनर्निर्धारण के पूरे होने के लिए परिसीमाकाल का लागू न होना! लेखन मूलों की परिशुद्धि! 19. कोई कराधायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, किसी भी मामले में उसके द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रति के प्रदाय की तिथि से दो वर्ष की किसी अवधि के मीतर, किसी भी समय, मामले के अभिलेख में प्रकट किसी लेखन या गणितीय भूल की परिशृद्धि कर सकता है:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश, उससे प्रतिकृल प्रमावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

अपसी।

- 20. (1) यदि कोई व्यक्ति उद्ग्रहणीय कर से अधिक कर देने के लिए तात्पर्यित कोई राशि प्रमारित करता है, अधिक राशि की वापसी को अनुज्ञात करने वाला कोई आदेश, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी न्यायालय द्वारा, उस के पक्ष में तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जिन व्यक्तियों से ऐसी राशि प्रमारित की थी उनको वापस नहीं कर देता तथा जहां किसी वैट व्यवहारी से प्रमारित की है, तो निवेश कर सम्यक् रूप से समायोजित कर दिया जाएगा।
- (2) किसी वैट व्यवहारी को अनुङ्गेय निवेश कर की कोई वापसी निम्नलिखित के सिवाए नहीं होगी---
  - (क) माल से सम्बन्धित निवेश कर के सम्बन्ध में जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के सिलसिले में बेचा गया है या विनिर्माण में उपयोग किया गया है तथा विनिर्मित माल जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर पूर्णरूप में माल के निर्यात के सिलसिले में बेचा गया है: तथा
  - (ख) माल से सम्बन्धित निवेश कर के सम्बन्ध में जो राज्य में या अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में बेचा गया है या विनिर्माण में उपयोग किया गया है तथा राज्य में या अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में विनिर्मित माल बेचा गया है, निवेश कर तथा विक्रयों पर संगणित किए गए कर के बीच कर की दर में अन्तर के कारण माल के विक्रय पर संगणित किए गए केन्द्रीय विक्रय कर सहित कर से अधिक ऐसे निवेश कर की केवल ऐसी सीमा तक,

तथा माल के विक्रय या क्रय, जैसी भी स्थिति हो, पर उद्गृहीत केन्द्रीय विक्रय कर सहित कर उससे घटाने के बाद बकाया निवेश कर, भविष्य कर दायित्व के साथ समायोजन के लिए लाया जाएगा।

- (3) कोई वैट व्यवहारी किसी निर्धारण प्राधिकारी को विहित रीति में, विहित दस्तावेजों सिहत, विहित व्यौरे अन्तर्विष्ट करते हुए आवेदन करके वापसी प्राप्त कर सकता है जो वह आवेदन के परीक्षण के बाद व्यवहारी को अस्थाई रूप से वापसी अनुज्ञात करेगा।
- (4) जहां कोई निर्धारण प्राधिकारी किसी व्यवहारी के निर्धारण पर पाता है कि इस अधिनियम के अधीन उसको निर्धारित अथवा अधिरोपित कर, ब्याज या शास्ति की अधिकता में किसी राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो यह अधिक राशि की वापसी को अनुज्ञात करेगा या उसे भविष्य कर दायित्व के साथ समायोजन के लिए उसे लाएगा, जैसी भी स्थिति हो।

- (5) किसी न्यायालय, अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के परिणास्वरूप किसी व्यक्ति को वापसी योग्य कोई राशि, विहित प्राधिकारी को विहित रीति में विहित दस्तावेज सहित विहित ब्यौरे अन्तर्विष्ट करते हुए किए गए किसी आवेदन पर उसको वापस की जाएगी।
- (6) किसी व्यक्ति को इस घारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन वापसी योग्य राशि विहित प्राधिकारी को विहित रीति में अनुमोदन के अधीन रहते हुए होगी जो प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिखित आदेश पारित करते हुए वापसी की राशि को बदल सकता है या आदेश दे सकता है कि कोई वापसी देय नहीं है।
- (7) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को कोई वापसी दी जाने से पूर्व, इस अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किसी अविध के लिए उसकी तरफ देय किसी राशि के साथ यह प्रथमत: समायोजित किया जाएगा तथा बकाया, यदि कोई हो, उसे केवल वापस किया जाएगा।
- (8) किसी व्यक्ति को अन्ततः देय पाई गई कोई राशि जिसका उसने इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप भुगतान कर-दिया था, भुगतान की तिथि से उस तिथि तक जब उसे वापसी दी जाती है की अविध के लिए प्रतिमास एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज सहित उसको वापस होगी।
- (9) कोई राशि जो उपघारा (8) के भीतर नहीं आती है उपघारा (5) के अधीन किसी आवेदन के करने की तिथि से साठ दिन की अविध के बाद वापस की जाती है तो यह आवेदन करने की तिथि से उस तिथि तक जब वापसी की जाती है की अविध के लिए प्रतिमास एक प्रतिशत की दर पर साघारण ब्याज सहित होगी।
- (10) उपघारा (4) के अधीन किसी व्यवहारी को देय कोई राशि किन्तु यह वापसी अनुझात वाले आदेश के फारित करने की तिथि से साठ दिन के भीतर उसको वापस नहीं की जाती है तो यह वापसी अनुझात करने वाले आदेश के पारित करने की तिथि से उस तिथि तक जब वापसी की जाती है की अविध के लिए प्रतिमास एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज सहित होगी।
- (11) जहां उपघारा (9) या उपघारा (10) के अधीन देय ब्याज की संगणना के प्रयोजनों के लिए छोड़ दी जाने वाली किसी अवधि के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, चूंकि प्रश्नगत अवधि के लिए वहां देरी, वापसी के हकदार निर्धारिती की चूक के कारण हो गई है, तो ऐसा प्रश्न. निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, आयुक्त द्वारा लिखित किसी आदेश द्वारा अवधारित होगा।
- 21. (1) जहां वापसी कराने वाला कोई आदेश आगे की कार्यवाहियों की विषय वस्तु है तथा ऐसी कार्यवाहियों की सफलता में हितबद्ध कराधायक प्राधिकारी की राय है कि वापसी की मन्जूरी, ऐसी कार्यवाहियों की सफलता की दशा में वसूली पर प्रतिकूल प्रमाव पड़ने की सम्भावना है, वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए, वापसी रोक सकता है तथा यदि ऐसा प्राधिकारी जो आयुक्त की पदवी से नीचे का है, वापसी के लिए आवेदन के तीस दिन के भीतर, आदेश के लिए मामला आयुक्त को निर्दिष्ट करेगा।

वापसी रोकने की शक्ति।

(2) यदि ए उधारा (1) के अधीन आयुक्त को कोई निर्देश समय पर किया गया है, तो वह या तो वापसी रोक देने का कोई आदेश पारित कर सकता है या निदेश कर सकता है कि ऐसी ही राशि की नकद प्रतिभृति के सिवाए प्रतिभृति देने पर वापसी की जाए या वापसी रोकने से इन्कार कर सकता है :

परन्तु यदि वापसी रोकने का कोई आदेश, आयुक्त को निर्देश करने के नब्बे दिन के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता है, तो वापसी तत्काल दी जाएगी।

#### अध्याय V

## कर की वसुली

मांग नोटिस तथा कर इत्यादि का भूगतानः।

- 22. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी निर्धारित कर तथा अधिरोपित शास्ति की राशि. इस प्रयोजन के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी विहित प्ररूप में मांग नोटिस के तामील की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर विहित रीति में व्यवहारी द्वारा भूगतान की जाएगी।
- (2) कोई कराधायक प्राधिकारी जो किसी निर्धारिती से इस अधिनियम के अधीन किन्हीं देयों की वसूली के लिए अपेक्षित है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि निर्धारिती भुगतान के लिए उसको अनुज्ञात समय के मीतर उसकी तरफ देय पूर्ण राशि भूगतान करने के लिए असमर्थ है तो, यह जिले के प्रभारी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा ऐसे देयों के भूगतान की तिथि को बढ़ा सकता है या घारा 23 के उपबन्धों के अधीन ब्याज के भूगतान के अधीन रहते हुए पर्याप्त प्रतिभूति या बैंक प्रतिभू के विरुद्ध किस्तों द्वारा उसका भुगतान करने 👵 लिए उसे अनुझात कर सकता है।
- (3) आयुक्त या इस निमित्त लिखित में उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, उसको किए गए किसी आवेदन पर, उपधारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश का या इस उपधारा के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश का रूपान्तरण कर सकता है।
- (4) घारा 33 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपघारा (2) या उपघारा (3) के अधीन पारित कोई आदेश अपील योग्य नहीं होगा।

कर या शास्ति, भूगतान् करने में अस्भावतः पर ब्याजः ।

23. (1) यदि धारा 22 के अधीन जारी किसी मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट या इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा जमा की जाने वाली निर्दिष्ट कोई राशि, चाहे वह कर के रूप में है या शास्ति के रूप में या दोनों के रूप में है. नोटिस की तामील की या आदेश की प्रति के प्रदाय की, जैसी भी स्थिति हो, तिथि सं तीस दिन की किसी अवधि के भीतर निर्धारिती को भूगतान नहीं की जाती है, यदि भुगतान नब्बे दिन के भीतर किया जाता है, तब वह, उसकी ओर देय राशि के अतिरिक्त ऐसी राशि पर पति भास डेढ प्रतिशत पर, किन्तु यदि व्यतिक्रम तत्पश्चात् भी होता रहता है, तो समय पर राशि के भूगतान के लिए अन्तिम तिथि से उस तिथि तक जिसको वह भूगतान करता है, की अवधि के लिए प्रति मास तीन प्रतिशत पर, साधारण ब्याज भूगतान करने का दायी होगा :

परन्तु जहां किसी कर या शास्ति की वसूली उच्च न्यायालय द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थिगित कर दी जाती है, वहां ऐसे कर या शास्ति की राशि, राशि की वसूली के स्थागन की निरन्तर अवधि के लिए अन्ततः देय पाई गई राशि पर प्रति मास डेढ प्रतिशत पर साधारण ब्याज सहित वसूली योग्य होगी।

- (2) इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय ब्याज, भुगतान न की गई या देरी से भुगतान पर कर या शास्ति की राशि जिस पर ऐसा ब्याज प्रभारित किया जाता है, से अधिक नहीं होगी।
- (3) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज की संगणना के प्रयोजन के लिए, प्रतिमास ब्याज की दर का अर्थ होगा प्रति तीस दिन की अवधि की दर तथा किसी लधुतर अवधि के लिए ब्याज की संगणना अनुपातिक रूप में की जाएगी तथा जहां देय राशि जिस पर ब्याज, भुगतानयोग्य है, भागों में भुगतान किया जाता है, ब्याज प्रत्येक भाग के लिए पृथक रूप से संगणित किया जाएगा।

उदाहरण: — प्रथम जून, 2003 तक कर के रूप में भुगतानयोग्य 15,000 रुपए निम्नितिखित रूप में भुगतान किए जाते हैं: 28 मई, 2003 को 5,000 रुपए, 10 अगस्त, 2003 को 3,646 रुपए, 15 अक्तू धर, 2003 को 2,348 रुपए तथा 20 दिसम्बर, 2003 को 4,006 रुपए, देर से किए गए भुगतान पर भुगतानयोग्य ब्याज, नीचे दर्शाए अनुसार 1,256 रुपए में (पूर्णांकित करके) होगा :—

भुगतान राशि	विना ब्याज भुगतान के लिए अन्तिम तिथि	भुगतान की वास्तविक तिथि	दिनों की संख्या में देरी	देरी से भुगतान पर भुगतानयोग्य ब्याज
5,000	01-06-03	28 -05 -03	शून्य	शून्य
3,646	01-06-03	10-08 03	70	127.61
2,348	01-06-03	15-10-03	136	319.33
4,006	01-06-03	20-12-03	202	809.21
			कुल :	1,256.15

24. (1) राज्य सरकार, कर की प्रमावी वसूली को ध्यान में रखते हुए, संविदाकारों या व्यवहारियों के किसी अन्य वर्ग या वर्गों के सम्बन्ध में अपेक्षा कर सकती है कि सम्पत्ति के अन्तरण वाले राज्य में माल में किसी संकर्म संविदा के निष्पादन के लिए उनको किसी मूल्यवान प्रतिफल का मुगतान करने वाला कोई व्यक्ति चाहे राज्य में माल के रूप में या किसी अन्य रूप में या माल के विक्रय के लिए हो, जैसी भी स्थिति हो, चाहे नकदी, समायोजन, लेखे में जमा, देयों की वसूली या किसी अन्य रीति, द्वारा मुगतान करते समय, उससे अग्रिम में कर कटौती करेगा, जो किसी भी रीति में मुगतान की गई राशि को, ऐसी दर जो दस प्रतिशत से अधिक न हो, जो राज्य सरकार, राजपन्न में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, के साथ गुणा करते हुए, संगीत किया जाएगा तथा विमिन्न संकर्म संविदाकारों या व्यवहारियों की विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिए विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा

कतिपय मामलो में स्रोत पर कर कटौती सम्बन्धी विशेष उपदन्धी सकती हैं, तथा वह ऐसा व्यक्ति किए गए भुगतान के तथा, उनसे अग्रिम में कटौती किए गए कर के, वर्ष की समाप्ति जब भुगतान किए गए थे, से पांच वर्ष की अविधि के लिए अमिलेख रखेगा तथा ऐसे अमिलेख इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जब ऐसा अपेक्षित हो, विहित प्राधिकारी के सम्भुख प्रस्तुत करेगा।

- (2) उपधार। (1) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां राशि अथवा राशियों का पूर्णयोग, किसी व्यवहारी को किसी व्यक्ति द्वारा किसी वर्ष के दौरान एक लाख रुपए नहीं होता है या एक लाख रुपए से अधिक न होने की सम्भावना है या ऐसी अन्य राशि, जो विहित की जाए, मुगतान की गई है या भुगतान की जानी संभावित है।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अगिम में कर कटौती के लिए अपेक्षित है, यथा विहित ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी रीति में, ऐसी तिथियों को, ऐसे अन्तरालों पर, ऐरी विवरणियां प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकार को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी विवरणियों के अनुसार कटौती किए गए कर का भुगतान करेगा।
- (4) उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, मुगतानकर्ता को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कटौती किए गए कर तथा भुगतान का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (5) उपधारा (3) के अनुसरण में राज्य सरकार को भुगतान किया गया कोई कर. इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा भुगतानयोग्य कर सिंदत उपधारा (4) के अधीन उसको जारी किए गए प्रमाण-पत्र के प्राधिकार पर, भुगतानकर्ता द्वारा समायोजन योग्य होगा तथा निर्धारण प्राधिकारी, उसे ऐसे प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर, भुगतान के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् ऐसे समायोजन का लाम अनुज्ञात करेगा।
- (6) कोई व्यक्ति, उपघारा (1) के उपबन्धों द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित पूर्ण कर या उसके किसी भाग को कटौती करने में असफल रहता है, या उपघारा (3) द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित, पूर्ण कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहता है तब, जब वह ऐसा करने में असफल रहता है, उपघारा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, वर्ष की समाप्ति के पांच वर्ष के मीतर किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद. कर की राशि जिसे वह उपरोक्त अनुसार कटौती या भुगतान करने में असफल रहा है के बराबर की राशि शास्ति द्वारा मुगतान करने के उसे निदेश कर सकता है।

आक**स्पिक व्यापारी** से स**बंधित विशेष** उपबन्ध।

- 25. (1) घारा 11, घारा 15 तथा घारा 28 में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी. कोई आकस्मिक व्यापारी—
  - (क) राज्य में कारबार प्रारंभ करने से कम से कम तीन दिन पूर्व निर्धारण प्राधिकारी को अपने कारबार के ऐसे ब्यौरे, ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जो विहित किए जाएं, सूचित करेगा:
  - (ख) नकद में प्रतिभूति जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, जमा करवाएगा जो सात दिन या ऐसी कम अवधि जिसके लिए आकस्मिक व्यापारी कारबार संचालित कर रहा है, के लिए कर भुगतान के अनुमानित दायित्व से अधिक नहीं होगी;

- (ग) पूर्ववर्ती दिवस के दौरान किए गए विक्रय पर प्रतिदिन कर भुगतान करेगा ;
- (घ) राज्य में अपने कारबार के समाप्ति के तुरंत बाद निर्धारण प्राधिकारी को, विहित प्ररूप तथा रीति में कारबार की विवरणी प्रस्तुत करेगा ; तथा
- (ङ) अपने द्वारा माल के विक्रग के लिए कोई कर बीजक जारी नहीं करेगा तथा कोई भी व्यवहारी जिसे ऐसे व्यवहारी द्वारा कोई माल बेचा गया है, ऐसे माल के विक्रय के संबंध में निवेश कर के किसी दावे का हकदार नहीं होगा।
- (2) निर्घारण प्राधिकारी, उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसको दी गई सूचना के सत्यापन के बाद, तथा उस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिमृति प्राप्त करने के बाद, आकस्मिक व्यापारी को अस्थाई पंजीकरण संख्या आबंटित करेगा।
- (3) निर्धारण प्राधिकारी, आकस्मिक व्यापारी को अस्थाई पंजीकरण संख्या आबंदित करने के बाद. राज्य में विक्रय के लिए माल लाने तथा बिना विक्रय रह गए माल को ले जाने के लिए घारा 31 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा के अनुसार उपयोग के लिए प्ररूप उसकी सही अपेक्षा के अनुसार सीमित संख्या में, उसको जारी करेगा। आकस्मिक व्यापारी, उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट विवरणी के सहित उपयोग किए गए प्ररूपों का पूर्ण लेखा देगा तथा अप्रयुक्त प्ररूपों को अम्यर्पित करेगा।
- (4) निर्धारण प्राधिकारी, उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन आकस्मिक व्यापारी द्वारा इसको दी गई विवरणी, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्ररूपों तथा जारी किए विक्रय बीजकों सहित उस द्वारा रखे गए लेखों के परीक्षण के बाद, उस दिन को जब विवरणी प्राप्त की जाती है अथवा बाद में यथा संभव शीघ्र कर के लिए उसका निर्धारण करेगा तथा उसकी ओर देय किसी कर को समायोजित करने के बाद उसको प्रतिभृति की बकाया राशि वापस कर देगा।
- 28. इस अधिनियम के अधीन देय कोई राशि जिसमें दायर की गई विवरणी के अनुसार माना गया देय कर भी शामिल है जो भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद, असंदत्त रह गया है, चूककर्ता की सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होगा तथा उससे इस प्रकार वसूलीयोग्य होगा मानो ये भू-राजस्व के बकाया हों।
- 27. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कर या अन्य देय के भुगतान का दायी कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन, उसके विरुद्ध लम्बित किन्हीं कार्यधाहियों की अवधि के दौरान उससे सम्बन्धित किसी अचल सम्पत्ति का प्रमार या हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में करता है, ऐसा प्रमार तथा हस्तान्तरण, उक्त कार्यवाहियों के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्ति द्वारा मुगतानयोग्य किसी कर या अन्य देयों के संबंध में किसी दावे के विरुद्ध तब तक अमान्य होगा जब तक कि वह यह सिद्ध नहीं करता कि ऐसा प्रमार या हस्तान्तरण किसी ऐसे कर या अन्य देयों के प्रवंधन के आशय से नहीं था।

इस अधिनियम के अधीन देय राशि भू-राजस्व के बकायों के रूप में यसुलीयोग्य!

प्रवंचित राजस्व का हस्तांतरण अमान्य।

#### अध्याय VI

# लेखों का रखा जाना, कारबार परिसरों का निरीक्षण, सर्वेक्षण संव्यवहार में माल की जांच पड़ताल, निकासी तथा अप्रेषण अभिकर्ताओं द्वारा सूचना का दिया जाना।

लले का रशास्त्रधाः।

- 28. (1) धारा 1 1 की उगधारा (2) के अधीन विनरिणयां प्रस्तुत करने के लिए दायी प्रत्येक्ष व्यवहारी, अपने कारवार का सत्य तथा उवित लेखा रखेगा। तथा यदि निर्धारण प्राधिकारी विचार करता है कि ऐसा लेखा, उस जपधारा म निर्दिष्ट विधरिणया की जिवत जाव पड़ताल करने के लिए उसकी समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त कप से स्पष्ट तथा सुवोधगम्य नहीं है, तो वह लिखित में नीटिस द्वारा ऐसे व्यवहारी से, ऐस लेखे रखने की, जो वह लिखित में, ऐसी किसी वात के होते हुए भी जो कर के उधित निर्धारण करने के विचार से विहित करें, अपेक्षा कर सकता है।
- (2) धारा 14 की अपधार। (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यवहारी निम्नालिखित करंगा. ...
  - क) उस द्वारा कियं गये माल के प्रत्येक विक्रय क सबंध में—
    - किसी व्यवहारी को:
    - (ii) किसी अन्य व्यक्ति को उधार पर:
    - (मं) किसी अन्य व्यक्ति को नकद पर, जहां माल की पिक्रय कीमत एक सौ रुपये से अधिक या ऐसी अन्य सीश जो पाच सी रुपये से अनिविक है जो आवश्यक रूप से, विहित की जाए अन्यथा ऐसे व्यक्ति द्वारा माग पर;

क्रेसा को, जहां वह एक वेट व्यवहारी हैं, जिसको उस द्वारा पुनः विक्रय के लिए या विक्रय के लिए माल के विनिर्माण या प्रशरकरण में उस द्वारा उपयोग के लिए माल बेचा जाता है कर बीजक, अन्यथा कोई परचन/अन्य विक्रय बीजक जारी करेंगाः —

- (3) विशिष्ट या अमिनिश्चिन माल की दथा म समय पर विक्रम की संविद्य की जाती है; तथा
- (आ) अमिनिश्चित न हो या भावी भाल की दशा में, विक्रय की सर्विदा के लिए उनके विनियोग के समय पर,

विहित व्यौरे दर्शातं हुए :

परन् यदि विक्रय संविदा में अपेक्षा की जाती है कि माल की समय अविद्या में सुपूर्वणी की जाए, तो वह माल के प्रेषण के समय विहित ब्यौरे दर्शाते हुए एक परिदान पत्र जारी करेगा. प्रत्येक समय ऐसा प्रेषण किया जाता है, तथा जब माल का प्रेषण पूरा हो जाता है अथदा मास बीच में ही समाप्त हो जाता है, तो वह मास अथवा उसके भाग के दौरान जैसी भी स्थिति जो बेचे गए माल के सबच में विहित ब्यौरे दर्शाते हुए समेकित कर बीजक या परवृत/अन्य विक्रय बीजक. जैसी भी स्थिति हो, जारी करेगा;

- (ख) विहित रीति में खण्ड (क) के भीतर न आने वाले सभी विक्रय लेखों को बनाए रखेगा;
- (ग) विक्रय से अन्यथा माल के प्रत्येक प्रेषण के सम्बन्ध में, विहित ब्यौरे दर्शाते हुए प्रेषण के समय एक परिदान पत्र जारी करेगा; तथा
- (घ) जब विक्रय किया गया था तथा जहां इस अधिनियम के अधीन, कुछ कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने तक लम्बित हैं, वर्ष की समाप्ति से आगामी आठ वर्षों की अवधि के लिए खण्ड (क) या (ग) के अधीन जारी प्रत्येक बीजक या परिदान पत्र की कार्बन प्रति सुरक्षित रखेगा।
- (3) कोई वैट व्यवहारी जो कर बीजक पर दूसरे वैट व्यवहारी द्वारा उसको बेचे गए किसी माल को वापिस करता है, विहित ब्योरे दर्शाते हुए परिदान एवं नामे पत्र माल की वापसी के समय विक्रेता वैट व्यवहारी को जारी करेगा तथा माल के संबंध में उस द्वारा प्राप्त किये गये निवेश कर को प्रतिवर्तित करेगा।
- 29. (1) कोई कराधायक प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी भी व्यवहारी को उसके कारबार से संबंधित कोई बही, दस्तावेज या लेखा उसके रामक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है तथा उसका निरीक्षण. परीक्षण कर सकता है तथा उसकी नकल कर सकता है तथा ऐसे व्यवहारी से उसके कारबार से संबंधित ऐसी पूछताछ जो आवश्यक हो, कर सकता है।

बहियो, दस्तावेजो तथा लेखो को प्रस्तुत करना तथा निरीक्षण करना।

- (2) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी 🦠
  - (क) अपने कारबार के दिन प्रतिदिन के लेखे रखेगा:
  - (ख) अपनी लेखा बहियों की एक सूची रखेगा, अपने पंजीकरण प्रमाण पश्न सिंहत प्रदर्शित करेगा तथा ऐसी सूची की एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा;
  - (ग) निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष, अपने कारबार की लेखा बहियां यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, विहित रीति में अधिप्रमाणन के लिए प्रस्तुत करेगा:
  - (ध) अपने कारबार के स्थान पर अपनी लेखा बहियां तब तक रखेगा जब तक वहां से निरीक्षण के लिए किसी पदधारी द्वारा, किसी शासकीय अभिकरण द्वारा या लेखा परीक्षक द्वारा या किसी अन्य कारण से जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सतोबजनक समझे जाए, हटाई न जाएं;
  - (अ) अपनी लेखा बहिया, वर्ष जिससे ऐसी बहिया संबंधित हैं, की समाप्ति के बाद आठ वर्षों की अवधि के लिए, तथा जहा इस अधिनियम के अधीन कुछ कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने तक लम्बित हैं, सुरक्षित रखेगा।
- (3) उपधारा (2) के उपबंध यथा वश्यक परिवर्तनो सहित ऐसे प्रत्येक व्यवहारी को लागू होगे, जो धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए दायी है।

- (4) यदि अपचारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त जाधार है कि कोई व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर दा अन्य देयों के दायित्व के अमत्वचन का प्रयत्न कर रहा है और इसके दायित्व के किसी अन्धेषण के प्रयोजन के लिए आक्श्यक काइ बात. किसी बही, उन्हें, पजी अश्ववा दरतावज म पाइ जा सकती है, तो अधिकारी ऐसी बही. जन्म एजी दंग्तावज का जा आवश्यव है। अभिगृहीत कर सकता है। बही लेखा पजी या स्तावेज अभिगृहीत करने बाला अधिकारी एसक लिए तत्काल एंट रसीद देगा तथा---
  - (a) बही, लेखा, पंजी या दरलावंज जो अभिग्रहण के समय उपयोग में ताया जा रहा था के मामले में अभिग्रहण की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, तथा
  - (ख) किसी अन्य मामल में, अमिग्रहण की तिथि से एक सो अस्सी दिनों की अविधि के मीतर

परीक्षण के बाद या उसम से ऐसी प्रतितिपिया अथवा उद्धरण लेने क वाद, जो आवश्यक समझे, व्यवहारी या उस व्यक्ति को लीटा देगा, जिसकी अभिरक्षा से यह अमिगृहीत किया गया था, परन्तु व्यवहारी अवश्य पृयोक्त व्यक्ति उसे लोटाई गई बही, लेखा, पजी अथवा दस्तावेज के लिए लिखित में रसीद देगा। अधिकारी, बही, लेखा, पजी अथवा दस्तावेज लौटाने से पूर्व उस पर एक या एक से अधिक स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा अपनी प्राधिकारिक मुद्रा लगाएगा, और ऐसी दशा में व्यवहारी या पूर्वोक्त व्यक्ति से अपने द्वारा दी गई रसीद में उन स्थानों की संस्था उल्लिखित करने की अपक्षा करेगा जहा प्रत्येक बही। लेखे, पजी अथवा दस्तावेज पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर किए गए हो। आर मुद्रा लगाई गई हो

परन्तु अभिगृहीत बही, लेखा पंजी अथवा दस्तावेज, यदि ऐसा करना अपेक्षित हो. ता दीर्घतर अवधि के लिए रखे जा सकते हैं .

परन्तु यह और कि यदि अमिगृहीत वहीं, लेखा, पंजी अथवा दस्तावेज, आयुक्त से मित्र किसी कराधायक अधिकारी द्वारा खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख), जैसी भी स्थिति हो। में विनिर्दिष्ट, अविव से अधिक के लिए रखा जाता है, तो ऐसा करने के लिए कारण लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे आर विनिर्दिष्ट अविध अथवा बढ़ाई गई अविदे, जैसी भी स्थिति हो, की समाध्य से पूर्व नकत प्राधिकारी द्वारा आयुक्ता का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा

परन्तु यह ओर कि अभिगृहीत सामग्री क परीक्षण के परिणामस्वरूप की गई कार्यवाहिया. अभिगृहण की विधि से एक वर्ष की सभाप्ति से पूर्व समाप्त हो जाएगी, सिवाए इसके आयुवत के लिखित अनुमादन से कार्यवाहिया एक और वर्ष के लिए जारी रह सकती है।

(5) उपधारा (2) अथवा उपधारा (3) तथा उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों की सहायता से, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी कार्यालय, दुकान, गोदाम या व्यवहारी के कारबार के किसी अन्य स्थान में या किसी निर्माण, निवासगृह अथवा स्थान या परिवहन के साधन, मालवाहन या वाहन जहां ऐसे अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए कारण है कि व्यवहारी अपने कारबार से संबंधित कोई बही, लेखा, पजी, दस्तावेज, माल अथवा कोई वस्तु रखता है या तत्समय रख रहा है, प्रवेश तथा तलाशी कर सकता है

परम्बं पूर्वोक्त अधिकारी किसी परिसर में प्रवेश करने अथवा तलाशी करने से पूर्व ऐसं प्रवेश तथा तलाशी करने के लिए कारणों का लिखित में अभिलिखित करेगा तथा आयक्त या एसे अन्य अधिकारी की जो उप आबकारी तथा कराधान आयक्त की पदवी से नीच का न ही लिस आयुक्त इस प्रयोजन के लिए, लिखित में प्राधिकृत कर, स्वीकृति प्राप्त करेगा

परन्तु यह और कि किसी निवासगृह में तलाशी के लिए कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा

- (i) सूर्यास्त क बाद तथा सुर्योदय से पूर्व:
- (ii) आवकारी तथा कराधान अधिकारी की पदवी से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा;
- (iii) अपायुवत अथवा अपमण्डल अधिकारी (नागरिक) की, जिसकी अधिकारिता के मीतर ऐसा निवासगृह स्थित है स्वीकृति प्राप्त किए बिना।
- (6) जगशारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति मं, निम्नलिखित शक्ति शामिल होगी,—
  - (i) जहा ऐसे परिसरों में या के बारे कोई व्यक्ति उसके व्यक्तित्व की किसी बात को छुणने का युक्तियुक्त संदेह है जिसके लिए तलाशी की जानी है, उस व्यक्ति की तलाशी लेना तथा यदि ऐसा व्यक्ति महिला है तो तलाशी यथा तथ्य शालीनता के साथ दूसरी महिला द्वारा ली जाएगी,
  - (ii) िकसी सन्दूक, गोलक अथवा पात्र को, जिसमें कोई बही, लेखा, पंजी, दस्तावेज, विक्रय आगम, माल या कोई वस्तु जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसगत है खोलने तथा तलाशी लेना शामिल किया जा सकता है;
  - (iii) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई नकदी तथा भाल सहित किसी वस्तु के विवरण या सूची बनाना:
  - (IV) उपनिहिती या परिवाहक सहित उसके कारबार से सर्वधित किसी व्यवहारी या िकसी अन्य व्यक्ति के कथन अमिलिखित करना तथा ऐसे कथन, प्रमावित व्यक्ति का सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दने के पश्चात् कर के उसके दायित्व के अवधारण के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाएंगे:
  - (v) माल के स्वामित्व तथा कारबार के सामान्य सिलसिले में बनाए गए लेखे की बहियों में उनकी प्रविधि के सबूत के साथ उसमें विनिर्दिष्ट तिथि के तथा स्थान पर इसके समक्ष उपस्थित होने की माल के स्वामी से अपेक्षा करते हुए माल के वर्णन, मात्रा तथा अनुमानित मूल्य सिहत ऐसी कार्रवाही के परिणामस्वरूप घटना का संक्षिप्त वर्णन अन्तर्विष्ट करते हुए स्थान या निर्माण, जहां से माल का कब्जा लिया गया है, के सहजदृश्य भाग पर नोटिस विपकाने के बाद किसी अदावाकृत माल का कब्जा लेने तथा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए या सुरक्षित अभिरक्षा को हटाने के लिए अन्य व्यक्ति को सौपना तथा ऐसे नोटिस की एक प्रति स्थान या निर्माण के अधिभोगी को भी तामील की जाएगी:

परन्तु यदि ऐसे माल के स्वामित्व का कोई दावा ऐसे नोटिस के बीस दिन के मीतर ऐसे अधिकारी के समक्ष नहीं किया जाता है, तो अधिकारी माल को सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय या विहित रीति में उनका अन्यथा निपटान कर सकता है, तथा विक्रय आगम या माल के निपटान द्वारा प्राप्त की गई राशि, राज्य सरकारी खजाने में जमा करवा सकता है:

परन्तु यह और कि यदि भाल विनश्वर प्रकृति का है था शीघतथा और प्रकृत्या क्षयशील है या ऐसे रूप में हो सकता है, यदि रखा जाए तो उनके मूल्य में कमी हो सकती है या जब उन्हें अभिरक्षा में रखने का खर्च उनके मूल्य से अधिक हो जाने की समावना हो, तो अधिकारी तुरन्त ऐसे माल को बेच देगा या अन्यथा विहित रीति में उनका व्ययन कर सकता है।

व्याख्या. इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "अधिभोगी" में शामिल हैं, स्थान या निर्माण में अधिभोग या नियंत्रण रखने वाला कोई स्वामी, मैनेजर, कोई अन्य व्यक्ति।

(7) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी किसी कार्यालय, दुकान, गोदाम या कारबार के किसी अन्य स्थान या किसी निर्माण या स्थान या मालवाहन या जो तत्समय के व्यवहारी जिस पर धारा 14 की उपधारा (2) के उपबन्ध लागू है के नियन्त्रणाधीन है किन्तु जिसका लेखा-जोखा उसकी या मालवाहन या याहन के मारसाधक व्यक्ति की अपनी बहियों, लेखों, पंजियों तथा अन्य दस्तावेजों में नहीं है, अधिकारी ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात माल के मृत्य के तीस प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, माल के मृत्य को माल के विक्रय पर लागू कर की तीन गुणा दर के साथ गुणा करते हुए संगणित शास्ति उस पर अधिरोपित कर सकता है तथा उसे, लेखा की अपनी बहियों में माल के लिए लेखा-जोखा करने के लिए निदेश कर सकता है

परन्तु जहां लेखे में लिया गया माल कम कीमत का है, शास्ति बाजार मूल्य तथा मूल्य, जिस पर माल के विक्रय पर लागू कर की दर के तीन गुणा सहित के लिए लेखे में लिए एए माल, के बीच के अन्तर को गुणा करते हुए सर्गामत की जाएगी।

कारबार के स्थान का सर्वेक्षण।

- 30. (1) कराधायक प्राधिकारी, कर के लिए दायी किसी अपजीकृत व्यवहारी या किसी व्यवहारी के कारवार की अनुमानित सीमा की पहचान करने के लिए या इस अधिनियम के अधीन इसके या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष दिये गये या प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए या कोई आकड़ा संगृक्षीत करने या बाजार सर्वेक्षण संचालित करने जो इस अधिनियम के अधीन कर प्रशासन के लिए उपयोगी हो सकता है, के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अन्य प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए—
  - (क) अपनी अधिकारिता क्षेत्र के मीतर कारबार क किसी स्थान: या
  - (ख) व्यवहारी, जिराको ऐसा प्राधिकार दिया गया है अथवा जैसी भी स्थिति हो इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण का प्रमाण पत्र देने मे सक्षम है, के कारबार के किसी स्थान.

का दौरा कर सकता है यह ऐसा स्थान मुख्य स्थान हो या ऐसे कारबार का न हो तथा किसी स्वामी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति जो ऐसे कारबार को चलाने के लिए उस समय तथा स्थान पर, किसी रीति में, उपस्थित हो रहा हो या सहायता कर रहा हो, से अपेक्षा कर सकता है कि वै---

- (i) इसको लेखों की ऐसी बहियां या अन्य दस्तावेज जो वह अपेक्षा करे तथा जो ऐस स्थान पर उपलब्ध हो, निरीक्षण की आवश्यक सुविधा के लिए दे:
- (ii) इसको माल के भण्डार माल के विक्रय आगम, नकद या वस्तु जो उसमे पाई आए, जाच पडताल या सत्यापन की आवश्यक सुविधा के लिए दे; तथा
- (iii) ऐसी सूचना जो किसी मामले के बारे में अपेक्षा करें, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही, आकला संग्रहण या बाजार सर्वेक्षण से सुसगत हो है।
- व्याख्या. -हरम धारा क प्रयोजनों के लिए कोई स्थान जहां कोई कारबार चलाया जाता है. म कोई अन्य स्थान चाहे उस पर कोई कारबार चलाया जाता है या नहीं, जिस पर कोई यविल कारबार चला रहा है कथन करता है कि उसके कारबार से सम्बन्धित लेखे की उसकी कोई बही या अन्य दस्तावेजों या माल में उसके स्टाक का कोई मांग या कोई चस्तु रखी गई है. भी शामिल होगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कारबार के किसी स्थान का निरीक्षण करने वाला कराधायक प्राधिकारी, केवल उन घटों के दौरान जिनमें ऐसा स्थान कारबार के संचालन के लिए खुला रहता है, तथा किसी अन्य स्थान के मामले में, केवल सूर्य उदय होने के बाद तथा सूर्य अस्त होने से पूर्व ऐसा कर सकता है!
  - (3) इस धारा के अधीन कार्य कर रहा कोई कराधायक प्राधिकारी—
    - (i) यदि यह ऐसा करना आवश्यक समझे, इसके द्वारा निरीक्षित की गई लेखा बीहेयों या अन्य दस्तावेजों पर, पहचान के विहन अंकित कर सकता है तथा उससे उद्धरण या प्रतिया बना सकता है या बनवा सकता है.
    - (i) इसके द्वारा जाच पजताल किए गए या जत्यापित किए गए माल के किसी पण्डार भाल के विक्रय आगमो, नकद या वस्तु की सुची बना सकता है, तथा
    - (iii) किसी व्यक्ति का कथन जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसगत हो सकता है। रिकार्ड कर सकता है।
- (4) इस धारा क अधीन कार्य करने वाला काई कराधायक प्राधिकारी, लेखा बहियां या अन्य दस्तावेजों से उद्धरण या प्रतिया लेने के प्रयोजन के सिवाए, स्थान से, जिसमें उसने प्रवेश किया है, किन्हीं लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या कोई नकदी, माल के भण्डार या अन्य वस्तु, हटाएमा नहीं अथवा इटवाएमा नहीं।
- (5) जहां. किसी व्यवहारी द्वारा, अपने कारबार की स्थापित करने या चलाने के लिए उपगत खर्च के स्वरूप तथा मायमान को, जो कारबार की सीमा के निर्धारण के लिए सुसंगत हो,

ध्यान में रखने हुए, कराधायक प्राधिकारी की राग है कि नुष करना आवश्यक या समीचीन है, वह व्यवहारी से ऐसी सूचना जो वह किसी मानल के भार में अपेक्षा करें जो उठ अविनियम के अधीन किसी कार्यवाही से सुसमत हो, देने की अपेक्षा कर सकता व तथा निर्धारिती था किसी अन्य व्यक्ति के फथनों का अमिलिखित कर सकता है तथा कोई ऐसे कथन इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सक्ष्म में प्रमुक्त किया जा सकता है।

जाद बीकिया सा पुल्क द्वारी को स्थापना भाग अभिवद्गम भागल का भिरोडण

- 31. (1) यदि राज्य में किसी स्थान या स्थानों पर कर के अपवचन को निवारित करने या जराकी जाव पड़ताल करने की दृष्टि से, राज्य सरकार, एसा करना आवश्यक समझती है, तो वह राजपत्र में, अविस्ववना द्वारा किसी ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो अविस्विधत किए जाए, किसी जाव चौकी की स्थापना के लिए या किसी शुक्क द्वार के परिनिर्माण के लिए अथवा दोनों के लिए निदेश कर सकती है।
- (2) माल का स्वामी या मारसाधक व्यक्ति और जब माल का यहन किसी मालवाहन द्वारा किया जाता है जो मालवाहन का चालक या भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, अपने साथ, मालवाहन अभिलख फैरापत्र, या लग बुक के साथ विक्रय दी तक या कर बीजक या परिदान पत्र जैसी भी स्थिति हो, रखेगा तथा उस माल के तथा उसके द्वारा या मालवाहन में ले जाया जा रहा है, तारे म जो व्यापार के प्रयोजन के लिए हं, विहित प्राधिकारी से पाज विहित प्रक्ष में, विहित क्योरे को अन्तर्विष्ट करने वाली घाषणा करेगा जो विहित व्यक्तियों द्वारा सम्यक कप से भरी तथा हस्ताक्षरित की जाएगी तथा उसे जाच-चौकी या शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी या घारा 55 की जगमार। (1) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति के, जो सहायक अधकारी तथा कराधान अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो या ऐसे अधिकारी के समक्ष परतृत करेगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र म अधिसूचना द्वारा किसी स्थान पर मालवाहन की जाव पड़ताल करने के लिए नियुक्त करें।
- (3) जब उपधारा (2) म निर्दिष्ट इस निमित्त किसी अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो माल का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति प्रत्येक जाव-बोकी या शुल्क द्वार या किसी अन्य रणान पर एकेमा और मालवाहन का वालक या कोई अन्य भारमाधक व्यक्ति राज्य की सीमाओं में प्रवेश करत समय या उनस बाहर निकलते समय मालवाहन का राक्रमा, तथा तब तक वहीं रोंक रहेगा जब तक युक्तिसुवत रूप से आवश्यक हो। आर जाय खीकी या भुल्क द्वार क भारसाधक अधिकारी या पणा पूर्णिका अधिकारी का, उसके द्वारा उहन किए गए या मालवाहन म रख हुए माल का परीक्षण करने देगा और यदि आवश्यक हो तो पंकेत या पंकेंजों का ताजकर खोलने देगा और वहन किए गए माल से अम्बन्धित सभी एसे अभित्रेखों का उसे निरीक्षण करने देगा जो माल के ऐसे स्वामी या भारसाधक व्यक्ति या गलवाहन के बालक या अन्य भारमण्यक व्यक्ति के कब्जे म हो और जिन्हें व्यानक या गारसाधक व्यक्ति ऐसी अन्य जानकारी भी प्रस्तुन करेगा जभी पूर्वाका प्रधिकारी द्वारा अपिकात की जए, पूर्वोक्त यदि वह आवश्यक समझता हो भालवाहन की और भालवाहन के वालक या मालवाहन के था मालक का भारत के भारत्यक अन्य व्यक्ति की भी तलाणी ले पकता है।
- (4) मारु या मालबाइन का ज्यामी था भारसावक व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश करते हुए था छोड़ते हुए जाव जोकी या शुल्क द्वार के भारसावक अधिकारी को उपधारा (2) में यथा निविष्ट भान की रसीव वस्तावेज या उल द्वारा या ऐसे बाइन, जेसी भी स्थिति हो, में लें जाए जा रहे माल के ऐसे प्राधिकारी से प्राध्त किए गए ऐसे प्रकाय में ऐसी रीति में जो विहित की जाए. ऐसे

ब्यौरे अन्तर्विष्ट करते हुए घोषणा की एक प्रति प्रस्तुत करेगा तथा उपचारा (2) मे यथा वर्णित किसी अन्य अधिकारी के समक्ष जाच चौकी या शुल्क द्वार के भारसायक अधिकारी द्वारा सम्यक् घर से सत्यापित तथा उसको वर्णिस की भई उद्धत माल की रसीद, दस्तावेज था घोषणा की प्रति देगा.

परन्तु नहा माल का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति या राज्य के बाहर किसी स्थान को जाने वाले मालवाइन का बालक या भारसाधक अन्य व्यक्ति राज्य में से होकर गुजरता है. वहा ऐसा स्वामी या माल का भारसाधक व्यक्ति या ऐसे वाहन का धालक या भारसाधक अन्य व्यक्ति राज्य में उसके प्रवेश की जाच-चौंकी या शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी को विहित प्ररूप में एक घोषणा दो प्रतियों में विहित तित में देगा और उसकी सम्यक रूप में सत्यापित एक प्रति ऐसे अधिकारी से ले लेगा तथा वह राज्य से बाहर अपने निकलने के स्थान पर उक्त प्रति, जांच-चौंकी या शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी को बोंचीस घटों या ऐसा अन्य समय. जो विहित किया जाए, तथा जाच-बोंकी या शुल्क द्वार से विभिन्न निश्चत प्रवेश तथा निकासी के लिए विहित किए जाने वाले विभिन्न समयों पर देगा जिसके असफल रहने पर, अधिरोपित की जाने वाली. यदि वह जांच वाकी या प्रवेश शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी द्वारा की गई उक्त घोषणा की प्रति देने में असफल रहता है, उपधारा (8) में यथा उपबन्धित संगणित राशि के, तथा यदि वह जांच चौंकी या निकासी के शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी द्वारा दी गई उक्त प्रति समय पर देने में असफल रहता है सो दो हजार रुपये की शास्ति के भुगतान का दायी होगा

परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति तब तक अधिरापित नहीं की जाएगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहां द दिया गया है :

परन्तु यह और कि जहां माल का स्वामी या मारसाधक व्यक्ति या राज्य में किसी अन्य स्थान से राज्य में किसी स्थान के लिए जाने वाले मालवाहन का चालक या अन्य व्यक्ति किसी अन्य राज्य में से गुजरता है वहां वह राज्य से उसके निकासी की जाव-चौकी या शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी को, विहित प्रण्य में डोहरी प्रतियों में एक घोषणा देगा और उसकी उचित रूप से सत्यापित एक प्रति उससे लेगा तथा राज्य में उसके प्रवेश की जाव-चौकी या शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी को, चार घण्टा के भीतर या ऐसे अन्य समय पर जो विहित किया जाए देगा तथा जांच चौकी या शुल्क द्वार से राज्य में से बाहर जाने तथा उसके जाने की जांच-चौकी या शुल्क द्वार से निकासी तथा प्रवेश के विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न समयकाल विहित किए जा सकते हैं, जिसके असफल रहने पर अधिरोपित की जाने वाली, यदि वह जाच-चौकी या निकासी के शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी द्वारा की गई घोषणा की प्रति देने में असफल रहता, अपधारा (अ) में यथा उपचिधित सगिणत राशि के, तथा यदि वह, जाच-चौकी या प्रवेश शुल्क द्वार के भारसाधक अधिकारी द्वारा दिए समय पर उक्त प्रति देने में असफल रहता है, तो दो हजार रुपये की, किसी शास्ति का मुगतान करने के लिये दायी होगा:

परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति तब तक अिशापित नहीं की जाएगी, जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं वे दिया गया हो।

- (5) आयुक्त, किसी व्यवधारी या व्यवहारियों के वर्ग या वर्गों को व्यक्तिगत रूप से निर्देश जारी कर सकता है कि वह उपधारा (2) में निर्देश दस्तावेज, उपधारा (1) के अधीन जाच-चौंकी की स्थापना या शुक्क द्वार के निर्माण के अभाव में, ऐसे व्यवहारी ( यो ) को भेजे गए या द्वारा मेंजे गए माल के ऐसे वर्ग या चर्गों को, जो निर्देशों में वर्णित हैं के सम्बन्ध में, ऐसे कार्यालय पर, ऐसे अधिकारी जो सहायक आवकारी तथा कराधान अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो को प्रस्तुत करे तथा जब ऐसे निर्देश जारी किए जाते हैं तो माल ले जाने वाला व्यक्ति, उक्त अधिकारी द्वारा सम्यक् कप से सत्यापित तथा उसे वापस किए गए, उक्त दस्तावेज उपधारा (2) में यथा वर्णित ऐसे अन्य अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। इस उपधारा के अधीन जारी किए गए निर्देश जब तक लागू रहेंगे मानो उपान्तरित या वापस नहीं किए गए थे तथा जब उपान्तरित किए जाते हैं इस प्रकार लागू रहेंगे मानो ये उपान्तरित हो गए है।
- (6) पदि जांच बाँकी या शुन्क द्वार का भारसायक अधिकारी या उपधारा (2) में यथा प्राणित अन्य अधिकारी के पास सदेह करने के लिए कारण है कि वहन किए जा रहें माल, उपचारा (2) या उपधारा (4) नेमी भी स्थित हो. में यथा वर्णित समुचित और वास्तविक दस्तावेंजों की परिध में नहीं आते. या मालवहन करने वाला व्यक्ति कर के मुगतान का अपवचन करने का प्रयत्न कर रहा है. तो वह कारण आमिलिखत करते हुए तथा उक्त व्यक्ति को सूनने के बाद माल को व्यतारने और निरुद्ध रखने का आदेश कर सकता है और उसका वहन किए आने वाले माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि या माल के स्वामी की ओर से मालवाहन के चालक या मारसाधक अन्य व्यक्ति को कोई प्रतिमृति उसकी समाधानप्रद क्ष्प में दे देने पर ही या यदि माल का स्वामी इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यवहारी है, उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकतम राशि के लिए, विहित प्रक्ष्म तथा रीति में, कोई स्वीय बन्ध पत्र. जो उपधारा (8) के अधीन उससे प्रमार्य हो, अनुझात करेगा

परन्तु माल निरुद्ध करने वाला अधिकारी, यदि वह माल के स्वरूप तथा मालवहन और अन्य सुसगत बातों का व्यान रखते हुए, उचित समझता है तो उस माल को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को सीप सकता है, जो ऐसे अधिकारी द्वारा उसके खर्चों का भुगतान, ऐसे निवन्धनो तथा धर्तों, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए करेगा। ऐसा व्यक्ति जिस माल सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सीपा जाता है। माल निरुद्ध करने वाले अधिकारी की लिखित अनुझा के बिना कि उनमे से किसी को भी नहीं सीपेगा अन्यथा उससे माल का मृत्य मुनराजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा:

परन्तु यह आर कि जह। किसी माल को निरुद्ध किया जाता ह, वहां माल निरुद्ध करने वाले अविकारी द्वारा. जिसके भारसाधक अधिकारी को तुरन्त और किसी भी दशा में माल के निरोध के चौबीस धण्टे के मीतर रिपोर्ट की जाएगी, जहां माल निरुद्ध किया गया हो, वहां जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, चौबीस धण्टे से अधिक की किसी भी अवधि के लिए गाल निरुद्ध करने के लिए जिले के भारसाधक अधिकारी से अनुझा मांगी जाएगी और यदि इस मांग की प्रतिकृत सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो भाल निरुद्ध करने वाला अधिकारी यह धारणा बना सकता है कि उसकी प्रस्थापना रवीकृत कर ली गई है।

टिप्पण — जहां उपधारा (2) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई घोषणा सम्यक् रूप से की जाती है तथा हस्ताक्षरित की जाती है या उपधारा (5) में निर्दिष्ट दस्तावेज सम्यक् रूप से सत्यापित किए जाते हैं, जैसी भी स्थिति हो, उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के सम्मुख प्रस्तृत नहीं की गई है (हैं), तो ऐसे अधिकारी के पास संदेह करने का पर्याप्त कारण है कि गालवाहन करने वाला व्यक्ति कर के भुगतान का अपवचन करने का प्रयत्न कर रहा है।

- (7) जब कोई माल उपघारा (6) के अधीन निरुद्ध कर लिया जाता है तब माल निरुद्ध करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को, यदि वह उपस्थित है, या यदि माल का स्वामी उपस्थित नहीं है, तो उसके प्रतिनिधि को, या मालवाहन के चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति को, जिसमें इस प्रकार निरुद्ध माल का वर्णन और मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए रसीद देगा और ऐसे व्यक्ति से उसकी अभिरवीकृति लेगा या यदि ऐसा व्यक्ति अभिरवीकृति देने से इन्कार करता है, तो इन्कार करने का तथ्य अभिलिखित करेगा और जिले के भारसाधक अधिकारी को जहां माल निरुद्ध किए जाते है, तुरन्त रिपोर्ट करेगा।
- (8) माल निरुद्ध करने वाला अधिकारी. माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि या माल-वाहन के चालक या अन्य मारसाधक व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को. यदि कोई हो, अमिलिखित करेगा । यदि, जांच, जिसमें सव्यवहार के स्वरूप में कोई जांच शामिल है जो माल के सचालन के कारण हुई है, के बाद, ऐसा अधिकारी पाता है कि कर अपवंचन का प्रयत्न किया गया है, तो वह आदेश द्वारा, माल के स्वामी पर तथा यदि स्वामी उपलब्ध नहीं है या उसकी पहचान माल के मारसाधक व्यक्ति या मालवाहन के चालक या भारसाधक व्यक्ति द्वारा प्रकट नहीं की जाती है, जिसमें मालवहन किए जा रहे हैं, तो माल या मालवाहन के भारसाधक व्यक्ति या चालक, ऐसे व्यक्ति को माल का स्वामी समझते हुए, माल के मूल्य के तीस प्रतिशत के अधिकतम के अधीन रहते हुए उनके विक्रय पर, लागू कर की तीन गुणा दर के साथ गुणा करते हुए, सर्गाणत शास्ति अधिराधित करेगा, तथा उसे शास्ति के अतिरिक्त में, माल के मूल्य की उनके विक्रय पर लागू कर की दर के साथ गुणा करते हुए संगणित अग्रिम कर जमा करवाने के लिए निदेश देगा जो ऐसे माल के क्रय या विक्रय या उससे विनिर्मित माल के विक्रय जैसी मी स्थिति हो, पर उपगत कर के दायित्व के साथ समायोज्य करेगा तथा यदि वह अन्यथा पाता है, तो वह माल के छोड़ने के आदेश करेगा:

परन्तु जहां अपराध केवल माल के न्यून मुल्यांकन द्वारा कर अपवधन के प्रयत्न से सम्बन्धित है, शास्ति उनके बाजार मूल्य तथा उनके विक्रय पर लागू कर की दर से तीन गुणा सहित उनके सचालन के साथ दस्तावेजों में दर्शाए मूल्य के बीच के अन्तर को गुणा करते हुए, संगणित की जाएगी:

परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी तथा कोई भी अग्रिम कर जमा किए जाने के लिए तब तक अपेक्षित नहीं होगा जब तक माल का स्वामी या उसका प्रतिनिधि या माल का भारसाधक व्यक्ति या मालवाहक या चालक को, जैसी भी स्थिति हो, सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि यदि इस उप-धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति इस अधिनियम के अधीन या न्यायालय द्वारा किसी कार्यवाही में अपास्त कर दी जाती है, अग्रिम कर तथा शास्ति दोनों की राशि उस व्यक्ति को, जिसने उसका भुगतान किया है, वापस कर दी जाएगी। (9) माल के स्वामी की दशा में, उपधारा (8) के अधीन अधिरोपित सास्ति तथा मुगतान योग्य अग्रिम कर का भुगतान, उसको उस उपधारा के अधीन पारित आदेश की प्रति देने की तिथि से तीस दिन के मीतर नहीं करता है, तो निरुद्ध रखा गया माल, शास्ति तथा अग्रिम कर की वसूली के लिए विहित रीति में सार्वजनिक नीलामी द्वारा या व्ययन से अन्यथा बेचे जाने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि यदि उपधारा (8) के अधीन शास्ति के अधिरोपण का आदेश अभ्यतर काल में अपील या अन्य कार्यवाही में अपास्त या उपान्तरित कर दिया जाता है, तो माल निरुद्ध रखने या शास्ति अधिरोपित करने वाला अधिकारी, ऐसी अपील या अन्य कार्यवाहियों में, जैसी भी स्थिति हो, आदेश को कार्यान्वित करने के लिए परिणामिक आदेश भी पारित करेगा।

- (10) यदि निरुद्ध माल विनश्वर प्रकृति का है या शीम्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या ऐसे रूप में हो सकता है, यदि रखा जाए तो उनके मूल्य में कमी हो सकती है या उनको अभिरक्षा में रखने का खर्च उनके मूल्य से भी अधिक हो जाने की संमावना है, तब यथास्थिति, जांच-चौकी या शुल्क द्वार का भारसाधक अधिकारी या उपधारा (2) के अधीन सशक्त कोई अन्य अधिकारी ऐसे माल को तुरन्त बेच देगा या उसका अन्यथा व्ययन कर देगा और ऐसे माल के विक्रय आगमों से या ऐसे माल के विक्रय से भिन्न व्ययन से प्राप्त राशि सरकारी राजकांव में जमा कर देगा।
- (11) जहां निरुद्ध भाल का इस घारा के अधीन विक्रय या अन्यथा व्ययन किया जाता है वहां उसका स्वामी उसके निरोध या व्ययन में उपगत किए गए खर्च और अन्य आनुषंगिक प्रभार देने का दायी होगा।
- (12) यदि इसमें, इसके पूर्व दिये गयं उपबन्धों के अधीन बेंग्ने गए किसी माल के विक्रय आगमों से या माल के विक्रय से मिन्न किसी माल के व्ययन पर प्राप्त राशि, ऐसे माल के सम्बन्ध में अधिरोपित शास्ति से तथा मुगतान योग्य अग्निम कर से अधिक है, तो उपधारा (11) में निर्दिष्ट खर्च और आनुष्यिक प्रमार घटाने के बाद ऐसी अधिक राशि माल के स्वामी को ऐसे अधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी, जिसने विक्रय या अन्यथा माल का व्ययन किया था।
- (13) किसी डाकघर से मिन्न माल के परिवहन के प्रत्येक स्टेशन, बस-अड़े या माल धढ़ाने या उतारने के किसी अन्य स्टेशन या स्थान पर, जिसमें कोई स्थान या गोदाम जहां माल का मण्डार किया जाता है शामिल हैं, किसी कराधायक अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान के मास्साथक व्यक्ति से जिसमें ऐसे स्थान पर, जहां माल चढ़ाए जाते हैं या किसी मालवाहन में चढ़ाए जा रहे हैं या उससे उतारे जा रहे हैं, शामिल हैं, जब ऐसी अपेक्षा की जाए, तब मालवाहन का चालक या मारसाधक अन्य व्यक्ति, वहन किए गए, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए या उतारे गए, परेषित, सुगुर्दगी या परिवहन के लिए प्राप्त माल से सम्बद्ध विहित रीति में उसके द्वारा रखी जाने वाली गरिवहन रसीदें और अन्य सभी दस्तावंज और लेखा बहियां जांच के लिए प्रस्तुत करेगा तथा कराधायक अधिकारी परिवहन के लिए वहन किए गए, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए, उतारे गए या परेषित किए गए या परिवहन किए गए या प्राप्त किए गए माल के संबंध में ऐसी परिवहन रसीदें और अन्य दस्तावेज और लेखा-बहियों के जांच के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के किसी पैकेज को तोडने या परिसरों में प्रवेश

करने या तलाशी लेने की शक्ति प्राप्त होगी। यदि कराधायक अधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि अन्वेषण अथवा सत्यापन के प्रयोजनों के लिए यह आवश्यक है, तो ऐसा प्राधिकारी जांच के लिए उसके सम्मख या ऐसे परिसरों में उसके द्वारा पाई गई परिवहन रसीदें, दस्तावेज या लेखा बहियां अभिगृहीत कर सकता है तथा इनके लिए तुरन्त रसीद देगा तथा उन्हें साठ दिन की अवधि के भीतर जांच के बाद या अन्वेषण या सत्यापन परा होने पर उस व्यक्ति को लौटा देगा जिसकी अमिरक्षा में से वे अभिगृहीत की थी, तथा जहां उनका साठ दिन की पूर्वोक्त अवधि से अधिक के लिए रखा जान! अपेक्षित हो तो उनको इस प्रकार रखने दाला आयुक्त से मिन्न प्राधिकारी लिखित में कारण अमिलिखित करेगा तथा ऐसा करने के लिए आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

- (14) यथा विहित ऐसी शर्तों के अनुसरण के सिवाए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन अधिरोपित कर का कोई अपवंचन नहीं है---
  - (क) किसी मालवाहन का कोई भी चालक या भारसाधक व्यक्ति या माल के वदाने या उतारने के स्थान का कोई भारसाधक व्यक्ति व्यक्तिगत उपमोग के लिए निजी सामान या माल से मिन्न माल के परिवहन के लिए किसी माल का कोई प्रेषण स्वीकार नहीं करेगा या ऐसे माल के प्रेषण का परिदान नहीं करेगा:
  - (ख) कोई भी व्यवहारी या कोई भी व्यक्ति, जिसमे शामिल है, किसी व्यवहारी की और से कार्य करने वाला कोई मालवाइन, या माल के परिवहन के किसी स्थान. इस अडडे या किसी अन्य स्टेशन या माज के चढ़ाने, या उतारने का कोई स्थान, एयरपोर्ट या किसी अन्य स्थान से, ऊपर निर्दिष्ट माल का कोई प्रेषण चाहे वह उसी प्रकार का हो या अन्यथा का परिदान नहीं लेगा या परिवहन नहीं करेगा।

### व्याख्या. -- इस धारा के प्रयोजन के लिए---

- (1) जहां कोई माल किसी मालवाहन के भारसाधक व्यक्ति या पारेषण के लिए माल के चढ़ाने या उतारने के किसी स्थान के भारसाधक किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, माल का संचलन, इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे परिदान के समय पर प्रारम्भ तथा उस समय समाप्त हुआ समझा जाएगा जब ऐसे व्यक्ति से परिदान लिया जाता है; तथा
- (2) माल का निरुद्ध कर रहे अधिकारी में शामिल है ऐसा अधिकारी जो ऐसे माल को निरुद्ध करने के लिए सक्षम है।
- 32. (1) राज्य के मीतर प्रत्येक निकासी अमिकर्ता, अग्रेषण अमिकर्ता या बुकिंग अमिकर्ता निकासी तथा या दलाल जो अपने कारबार के अनुक्रम में किसी व्यवहारी की ओर से माल के सम्बन्ध में हक दस्तावेजों को प्रयोग करता है तथा अपने कारबार का स्थान रखता है, अपने कारबार के स्थान के बारे में ऐसे प्राधिकारी को. ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में. जो विहित किया जाए, जानकारी देगा।

अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा जानकारी का दिया जामान

(2) प्रत्येक ऐसा अभिकर्ता या व्यक्ति उस द्वारा प्रयोग माल के सम्बन्ध में हक दस्तावेज़ों के नियमित खाते रखेगा। यह ऐसे दस्तावेजों से सम्बन्धित ब्यौरे तथा जानकारी तथा ऐसे लेखे तथा दस्तावेज कराधायक प्राधिकारी के सम्मुख, जब ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, भेजेगा तथा प्रस्तुत करेगा!

- (3) प्रत्येक ऐसा अभिकर्ता या व्यक्ति यदि नियमो द्वारा अथवा के अधीन इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं, अपने कारबार के सम्बन्ध में ऐसी विवरणिया, ऐसे प्रकृष ने, ऐसे अन्तरालों पर, ऐसी रीति में, ऐसी तिथियो द्वारा, ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, प्रस्तृत करेगा?
  - व्याख्या.— "निकासी अमिकर्ता, अग्रेषण अमिकर्ता, बुकिंग अमिकर्ता या दलाल" में शामिल है, कोई व्यक्ति, जो फीस, पारितोषिक, कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मृत्यवान प्रतिफल के लिए या अन्यथा किसी व्यवहारी के लिए या उसकी और से किसी रेलवे स्टेशन, बुकिंग अमिकरण, माल परिवहन कम्पनी कार्यालय या माल चढाने या उतारने के किसी अन्य स्थान पर माल के प्रेषणों की निकासी करने, अग्रेषण करने या बुक करने या परिदान लेने के लिए अपनी सेवाए देता है अथवा सौदे और संविदाए करता है और निम्मन करता है।

#### अध्याय VII

### अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन तथा प्रतिनिर्देश

- 33. (1) किसी मृत आदेश द्वारा अपने आपको व्यथित समझने वाला कोई निर्धारिती अपील कर सकता है तथा उक्त अपील निम्नलिखित को होगी—
  - (क), यदि आदेश किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त आवकारी एवं कराधान आयुक्त से नीचे की पदवी का हो, तो संयुक्त आवकारी एवं कराधान आयुक्त को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिराचना द्वारा, नियुक्त करे.
  - (ख) यदि आदेश किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो सयुक्त आवकारी एवं कराधान आयुक्त से नीचे की पदवी का न हो, तो आयुक्त को या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त करे;
  - (ग) यदि आदेश आयुक्त द्वारा किया जाता है, तो अधिकरण को !
  - टिप्पण—किसी भूल आदेश से अभिप्राय है, किसी अपील पर या पुनरीक्षण पर पारित किसी आदेश के सिवाए इस अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश!
- (2) अधिकरण से मिन्न किसी पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया कोई आदेश किसी भी पक्ष द्वारा आगे अधिकरण को अपीलयंग्य होगा।

न्योलि -

### HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 4, 2003 (ASAR, 13, 1925 SAKA)

- (3) अपील प्राधिकारी. किसी अपील में किसी लेखा, पजी, अभिलेख या दस्तावेज को किसी भी पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साध्य में तब तक प्राप्त नहीं करेगा, जब तक वह, अभिलिखित कारणों के लिए यह नहीं समझता है कि ऐसा लेखा, पजी, अभिलेख या दस्तावंज सही है और यह कि उसके नीवे के प्राधिकारी के सम्भूख उसे प्रस्तुत करने या उसे रिकार्ड पर लाने में विफलता, पक्षकार जो उसे प्रस्तुत कर रहा है के नियन्त्रण से पर कारणों से थी।
- (4) अपील पर अधिकरण द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश, धारा 35 तथा धारा 36 के उपवन्धों के अधीन रहते हुए. अन्तिम होगा।
- (5) किसी निर्धारिती द्वारा किसी अपील प्राधिकारी को दायर की गई कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि यह अपीलाधीन आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर दायर नहीं की जाती और जकत आदेश के परिणामस्वरूप अपीलाशी द्वारा मान ली गई देय कर तथा व्याज की सांश का उस व्यक्ति द्वारा मुगतान नहीं कर दिया गया है।
- (6) अधिनयम के अधीन किसा प्राधिकारी द्वारा अधिकरण को दायर की गई कोई मी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि उपधारा (2) के अधीन अपीलायीन आदश की तिथि से एक सौ अस्सी दिन की अविध के भीतर नहीं की गई है।
- (7) किसी अपील को दायर करने के लिए उपधारा (5) या (6) में विनिर्दिष्ट अविध, किसी आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में जिसकी प्रति समुचित प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दी जानी है, अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत अमिकर्ता को आदेश की प्रति देने की तिथि से प्रारम्म होगी तथा इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पारित किसी अन्य आदेश के विरुद्ध किसी अपील की दशा में आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगे समय को उक्त अविध सगणना में से निकाल दिया जाएगा!
- (8) धारा 57 की उपधारा (15) के अधीन अधिकरण द्वारा बनाए यए विनियमों के अधीन रहते हुए और अधिकरण से मिन्न किसी अपील प्राधिकारी के सम्बन्ध में यथाविहित प्रक्रिया के ऐसं नियमों के अधीन रहते हुए, अपील प्राधिकारी, अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह न्यायोधित तथा समुधित समझे इसक अन्तर्धत इस अधिनियम के अधीन कर था शास्ति या ब्याज या सभी की राशि म वृद्धि करने वाला कोई आदेश भी है किन्तू किसी मी मामल म यह अपीलाधीन आदेश के परिणामस्वक्तप अपीलाधी के विरुद्ध राशि की वसूली नहीं रोकेगा।
- 34. (1) आयुक्त, स्वप्रेरणा से, किसी कराधायक प्राधिकारी के सम्मुख लिखेत पड़े या के द्वारा निपटान किए गए मामले की किसी कार्यवाही की वैधता या स्वामित्व के या उसमें किया गया कोई आदेश जो राज्य के हिता के प्रतिकृत है के अभिलेख को अपनी सतुष्टि के प्रयोजनों के लिए मगवा सकता है:

परन्तु किसी कराधायक प्राधिकारी द्वारा पारित कोई भी आदेश किसी विषय पर पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा जो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पर या किसी अन्य कार्यवाही में किसी अपील प्राधिकारी, या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, पैसी भी स्थिति हो, के सम्मुख लम्बित है या द्वारा निर्धारित कर दिया गया है: प्नरीक्षण।

परन्तु यह ओर कि कोई भी आदेश निर्धारिती को ऐसे आदेश की प्रति को देने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा, सिवाए जहां आदेश, विधि में भूतलक्षी परिवर्तन के परिणामस्वरूप या किसी समक्रप मामले में अधिकरण के किसी निर्णण के आधार पर या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के आधार पर पुनरीक्षित किया जाता है।

(2) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसं अपवादों, शर्तों तथा निर्वन्धनों के अधीन रहते हुए उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तिया किसी ऐसे अधिकारी को जो उप आवकारी तथा कराधान आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो प्रदत्त कर सकती है तथा जहां कोई अधिकारी निरासकों ऐसी शक्तिया प्रदत्त की गई हैं इस धारा के अधीन कोई अधिन अप्युक्त द्वारा पारित करता है, ता ऐसा आवेश उपधारा (1) के अधीन आयुक्त द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा।

पुनकिलाक न ।

- 35. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी सहित कोई व्यक्ति जो स्वयं को अधिकरण के किसी आवेश द्वारा व्यक्षित समझता है और जो, किसी ऐसी नई तथा महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य का पता चलने पर, जो सम्यक् तत्परता बरतने के बावजूद भी उसको जात नहीं था अथवा उस समय, जबके ऐसा आवेश किया गया था, उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकता था, कोई मूल या विधि या तथ्यों की गलती कारण, राज्य के या अपने विरुद्ध किये गए आदेश का पुनर्विलोकन कराना चाहता है यह, अधिकरण को ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है।
- (2) पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, उस आदेश की तिथि से, जिसका पुनर्विलोकन किया जाना इच्छित है, एक वर्ष के भीतर विहित रीति में किया जाएगा और जहां आवेदन किसी निर्धारिती वारा किया जाना है वहां पावेदन के साथ गांध सा उगम से गनशिक ऐसी फ्रीस बी होगी जो विहित की 'सए'!
- (3) अधिकरण स्वेच्छा स सम्बद्ध पक्षकारों को नाटिस देने के पश्चात् अपने द्वारा किए गए किसी आदेश की किसी ऐसी गलती या विधि या तथ्यों की भूल के कारण आदेश की तिथि से आठ वर्ष की समारित से पूर्व पुनर्विलोकन कर सकता है।

तस्य न्यायालयः के सम्मल के कथन । 36. (1) अधिकरण द्वारा धारा 33 % धारा 35 के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी व्यवहारी के कर देने के दायित्व को प्रभावित करने वाले किसी आदेश के पारित होने के साठ दिन के मीतर. ऐसा व्यवहारी या आयुक्त. लिखित आवेदन द्वारा, उस दशा में जिसमें आवेदन व्यवहारी द्वारा किया गया है, पांच सो रुपये की फीस संहत, ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले विधि के किसी प्रश्न को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करने की अधिकरण में अपेक्षा कर सकता है:

परम्तु साठ दिन की अवधि संगणित करने के प्रयोजनों के लिए, आदेश की प्रति प्राप्त करन में वातीत की गई अवधि निकाल दी जाएगी।

- (2) यदि, अभिलिखित कारणों के लिए, अधिकरण ऐसा निर्देश करने से इन्कार करता है, तो आवेदन ऐसी इन्कारी से नब्बे दिन के भीतर या तो ....
  - (**क**) अपना आवेदन वापस ले सकता है (तथा यदि वह ऐसा करता है, तो मुगतान की गई फीस काम्स कर दी जाएगी); या
  - ऐसी इन्कारी के विरुद्ध उच्च न्यागानय को आवेदन कर सकता (EF) है।
- (3) यदि, उपघारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आवेदन प्रान्त होने पर, उच्च न्यायालय की अधिकरण के विनिश्चय के सहीपन की सर्ताष्टि नहीं होती है तो वह अञ्करण से. मामले का कथन करने की तथा इसे निर्दिष्ट करने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसे मांग पत्र न्ही प्राप्ति पर अधिकरण मामले को तदनसार कथित तथा निर्दिष्ट करेगा।
- (4) यदि उच्च न्यायालय की यह संतुष्टि नहीं होती है कि इस वारा के अधीन निर्दिष्ट किसी मामले के कथन, एतदद्वारा उत्पन्न प्रश्न को अवधारित करन में इसे समर्थ बनाने के तिये पर्याप्त हैं, तो वह मामला अधिकरण को उसमे ऐसे परिवर्धन या इसमे परिवर्तन करने के लिए, जैसा न्यायालय इस निमित्त निदेश करे. पुनः निर्दिष्ट कर सकता है।
- (5) उच्च न्यायालय, ऐसे किसी मामले की स्नवाई पर, उसके द्वारा उठाए गए विधि के प्रश्न विनिष्ट्ययं करेगा, और उस पर अपना निर्णय देगा, जिसमे वे आधार होगे, जिन पर ऐसा विनिश्चय आधारित है और ऐसे निर्णय की एक प्रति, जिस पर न्यायालय की मुद्रा तथा रिजरट्रार के हस्ताक्षर होंगे, अधिकरण को मेजेगा और अधिकरण, तदनुसार मामले को निपटाएगा।
- (6) जहां इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय को कोई निर्देश किया जाता है, वहां खर्चे, न्यायालय के विवेकानसार होगे।
- (i) अधिकरण के उस आदश के अनुसार दय कर की सांश, यदि कोई हो, का संदाय, जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, ऐसे आवेदन का या उसके परिणामस्वरूप किये गये किसी निर्देश का निपटान लम्बित रहने के दौरान, रोका नहीं आएगा, किन्तु, यदि ऐसे निर्देश के परिणामरवरूप ऐसी राशि कम कर दी जाती है तो आधिक्य कर मूगतान धारा 20 के उपबंधों के अनुसार वापस कर दिया जाएगा।

#### अध्याय VIII

### अपराध तथा शास्तियां

धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त किसी अपराधी का अन्यका 37. अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी या किन्हीं अपराधों के अन्तेषण के प्रयोजन के लिए, ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी जो किसी सङ्रोय अपराध के अन्धेषण के लिए किसी पुलिस थाने के किसी भारसाधक अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2), द्वारा प्रदत्त

सर्ग तस्य रखन तथा सनी विज्ञाणिया प्रासुत करन में असफलता। 38. यदि किसी व्यवहारी ने अपने विक्रय, क्रथ राज्य म आयात, राज्य के बाहर निर्यात या माल के भण्डार छिपाने की दृष्टि से मिश्श या गलत लेखा या दस्तावेज रखा है या उसके सम्बन्ध में किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया है या इस अधिनियम था उसक अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई ऐसा लेखा, विवरणी, दस्तावेज था जानकारी प्रस्तुत की है अधवा दी है जो किसी तात्विक विशिष्टि में मिश्या या गलत है, तो ऐसा प्राधिकारी, ऐसे व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दंने क पश्चात् उसको, कर के अतिरियत जिसके लिए निर्धारित किया गया है या निर्धारित किए जाने के लिए दायी है, शास्ति के रूप में भुगतान करने का निर्देश कर सकता है. कर की राशि के तीन गुणा राशि का अपवचन हो गया होता यदि ऐसा लेखा, विवरणी, दस्तावेज या जानकारी, जैसी भी स्थिति हो सत्य तथा सही रूप में स्वीकार की गई होती।

कतियय मामली में कर कि लड़हार के विकटा पतिषक्ष।

- 39. (1) कोई भी व्यक्ति, जो पजीकृत व्यवहारी नहीं है या अन्यथा कर सग्रहण के लिए प्राधिकृत नहीं है, कर के ऊप म किसी राशि को राज्य म उशके प्रभावित माल के किसी विक्रय के सबय में सग्रहण नहीं करणा और कोई भी पंजीकृत व्यवहारी इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार के सिवाए काई ऐसा सग्रहण नहीं करेगा।
- (2) यांदे कोई व्यक्ति जणवारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के उल्लंघन में कर के ऊप में जानबूझ कर किसी राशि का संग्रहण करता है तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देन के बाद उसे किसी कर के अतिरिक्त, जिसका वह दायी हो, इस प्रकार सगृहीत कर की राशि के बराबर कोई राशि, शास्ति के रूप में मुगतान करने के लिए निदेश कर सकता है।

अन्य अपराधः

- 40. (1) कोई मी व्यक्ति, जो इस अधिनयम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्ही उपबन्धों का या उनके अधीन किए गए या दिए गए किसी आदेश या निर्देश का उल्लंधन करता है या उसका अनुपालन करने में असफल रहता है, यदि ऐसे उल्लंधन या असफलता के लिए इस अधिनियम के अधीन किमी भी अन्य शास्ति या ब्याज का उद्ग्रहण का उपबन्ध नहीं किया गया है, तो वहा ऐसी राशि जो दो हजार रुपये से अनिधक तथा एक बजार रुपये से कम न हो की किसी शास्ति के अधिरोपण का दायी होगा और जहां विधि के अनुपालन का कोई आदेश या निर्देश अपराधी को जारी करने के बाद भी ऐसा उल्लंधन या असफलता चालू रहती है तो यह उल्लंधना या असफलता के चालू रहने तक प्रतिदिन एक सी रुपये की शास्ति के लिए भी दायी होगा।
- (2) कोई कराधायक प्राधिकारी, सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तिथुक्त अवसर देने के बाद, उपधारा (1) मे वर्णित शास्ति अधिरोपित कर सकता है!

नास्टि अधिरापण के लिए परिलीमाः 41. घारा 7 की उपयारा (5), धारा 16, घारा 38 तथा धारा 39 के अधीन कांई शास्ति, दो वर्ष की समाप्ति के बाद आगामी तिथि को जब कर का निर्धारण, अविधे जिसके दौरान अपराध किया था, अतिम हो जाता है, किसी कराधायक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यवहारी पर, अधिरोपित नहीं की जाएगी।

#### अध्याय IX

### कतिएय मामलों में विशेष दायित्व

42. (1) जहां कोई सकर्म संविदाकार, कोई उप सविदाकार नियुक्त करता है जो बाहे पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में संकर्म संविदाकार निषादित करता है तो संविदाकार तथा उप-संविदाकार दोनों संयुक्ततः तथा पृथकतः माल में सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में कर मुगतान के लिए दायी होगे चाहे उप-संविदाकार द्वारा, संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्वितित माल के रूप में या किसी अन्य रूप में हो।

व्यवहारियों क कतिएवं वर्ग का संयुक्त, संया पृशक दायित्वं।

- (2) यदि संविद्याकार निर्धारण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार यह साबित करता है कि उप-संविद्याकार द्वारा संकर्म संविद्या के निष्पादन में अन्तर्वित्तत माल के विक्रय पर उप-संविद्याकार द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया है तथा ऐसे कर का निर्धारण अन्तिम हो गया है तो सविद्याकार ऐसे माल के विक्रय पर कर भुगतान के लिए दायी नहीं होगा किन्तु वह निर्वेश कर, यदि कोई हो, यदि उप-संविद्याकार द्वारा माल के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है, दावे का हकदार होगा।
- (3)' जहां कोई अभिकर्ता किसी स्वामी की ओर से किसी माल का क्रय था विक्रय करता है, ऐसा अभिकर्ता तथा स्वामी, दोनो संयुक्त: या पृथकत, अभिकर्ता द्वारा माल के क्रय या विक्रय के सम्बन्ध में कर भूगतान के लिए दायी होगे।
- (4) यदि स्वामी जिसकी ओर से अमिकर्ता ने माल का क्रय या विक्रय किया है, निर्धारण प्राधिकारी की सतुष्टि के अनुसार यह साबित कर देता है कि अमिकर्ता द्वारा ऐसे माल पर कर का मुगतान कर दिया गया है तथा ऐसे कर का निर्धारण अन्तिम हो गया है, तब, स्वामी ऐसे माल पर कर मुगतान के लिए दायी नहीं होगा किन्तु वह निर्धश कर, यदि कोई हो, यदि अमिकर्ता द्वारा माल के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं किया गया है, उसके दावे का हकदार होगा।
- 43. (1) जहां कोई व्यवहारी अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब, फर्म या अन्य व्यक्तियों का सगम है. और ऐसा कुटुम्ब, फर्म या सगम, विमक्त. विघटित या विच्छिन्न जैसी भी स्थिति हो जाता है :----
  - (क) ऐसे कुटुम्ब, फर्म या व्यक्तियों के सगम द्वारा ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छेद की तिथि तक की अविधि के लिए इस अधिनियम के अधीन संदेय कर ऐसे निर्धारित किया जा सकता है, मानो ऐसा कोई भी विभाजन, विघटन या विच्छेद हुआ ही नहीं था तथा इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तद्नुसार लागू होंगे, और
  - (ख) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे विभाजन, विघटन या विव्हेद के समय किसी अविभवत हिन्दू कुटुम्ब या व्यक्तियों के सगम का सदस्य या फर्म का भागीदार था. ऐसे विभाजन, विघटन या विच्छेद के होते हुए भी ऐसे कुटुम्ब, फर्म या व्यक्तियों के सगम द्वारा इस अधिनयम क अधीन संदेय कर.

विभयस हिन्दू कुटुम्ब, विगटित फर्म, आर्टि क: कर व: सम्बन्ध में दायित्व। जिसके अन्तर्गत हैं, ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, देने का पृथकत और संयुक्तत. दायी होगा, चाहे निर्धारण ऐसे विभाजन, विधटन या विच्छेद से पहले या बाद में किया जाता है।

- (2) अहां. किसी अविमक्त हिन्दू कुटुम्ब के विमाजन या किसी फर्म के विघटन या किसी व्यक्तियों के संगम के विघटन से मिन्न किन्हीं कारणों के लिए, किसी व्यवहारी का पजीकरण प्रमाण-एत्र इस अधिनियम के अधीन रदद कर दिया जाता है, वहां पजीकरण प्रमाण-एत्र के रदद किये जाने की तिथि तक की अवींच के लिए ऐसे व्यवहारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन सदेय कर ऐसे व्यवहारी पर ऐसे निर्धारित किया जा सकता है, मानो ऐसा रददकरण हुआ ही नहीं था और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे।
- (3) यदि व्यवहारी द्वारा चलाया गया कारबार उसकी मृत्यु के बाद बन्द हो जाता है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि, मृतक की सम्यदा में से उस सीमा तक भुगतान करने के दायी होंगे जिस तक सम्पदा इस अधिनियम के अधीन व्यवहारी से देय कर, ब्याज या शास्ति के मददे दायित्व को पूरा करने के लिए समर्थ हैं, चाहे ऐसा कर, ब्याज या शास्ति उसकी मृत्यु से पहले निर्धारित किया गया है किन्तु भुगतान किए बिना रह गया हो, या उसकी मृत्यु के बाद निर्धारित किया गया है।

का**रबार** का अन्तरण i

- 44. जहां पंजीकृत या कर दने का दायी कोई व्यवहारी---
  - (क) मर जाता है अथवा
  - (ख) अपने पूर्ण कारबार या भाग का अन्तरण करता है या अन्यथा व्ययन करता है , अथवा
  - (ग) अपने कारबार के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करता है.

जिसके फलस्वरूप वह कारबार या उसके माग में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्तरवर्ती हो जाता है और कारबार में ऐसा उत्तराधिकारी या तो उसके पुराने नाम में या किसी अन्य नाम में कारबार चलाता है, तो ऐसा उत्तराधिकारी इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए. इस प्रकार पजीकृत हुआ और सदैव पजीकृत रहा समझा जाएगा, मानो ऐसे व्यवहारी का पजीकरण प्रमाण-पत्र उसके उत्तराधिकारी को प्रारम्भिक रूप में ही दिया गया था : और वह ऐसे व्यवहारी के दायित्वों के निर्वहन के लिए दायी होगा। उत्तराधिकारी, निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करने पर तद्नुसार पजीकरण प्रमाण-पत्र संशोधित कराने का हकदार होगा।

- अनुसूती छ में विनिर्देश्वर माल क सबाद में कर भुगतान के तिए नक्षिता।
- 45. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में अन्तिविष्ट किसी बात के प्रतिकृत होते हुए भी अनुसूची छ में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय अथवा क्रय पर कर, विक्रय या क्रय कीमत. अधिकतम परचून मूल्य विक्रय था क्रय की दरों पर तथा प्रक्रम पर या ऐसे माल का अकित मृत्य तथा मात्रा पर तथा उक्त अनुसूची में ऐसे माल के सामने वर्णित परिस्थितियों के अधीन उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा।
- (2) उपधारा (1) में यथा उपविधा के सिवाए, इस अधिनियम के अधीन कोई भी कर अनुसूची छ में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय या क्रय घर, उद्गृहीत तथा समृहीत नहीं किया जाएगा।

#### अध्याय X

### कार्यवाहियां तथा शक्तियां

46. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी कराधायक प्राधिकारी तथा किसी अपील प्राधिकारी को, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी वाद का विचारण करते समय, वही शक्तियां प्राप्त होगी, जो सिविल प्रक्रियां संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5), के अधीन न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् . —

शपथ पर साक्ष्य लेने की शर्वित।

- (क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसका परीक्षण करना ;
- (ख) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए विवश करना और जनको परिबद्ध या निरुद्ध करना ;
- (ग) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;
- (घ) शपथ-पत्रो द्वारा तथ्यो के सबूत की अपेक्षा करना या स्वीकार करना ;
- (ड) ऐसी अन्य शक्तिया, जो विहित की जाए,

तथा किसी करावायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45), की धारा 193 तथा घारा 228 के अर्थों के भीतर तथा घारा 199 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

47. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी कराधायक प्राधिकारी को यह अवधारित करने की शक्ति प्राप्त होगी कि व्यवहारी कौन है :

गह अवपारित करने यो र्शावंस कि यागद्यारी कीन है।

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने से पूर्व सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

48. इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कराधायक प्राधिकारी किसी व्यवहारी या व्यक्ति जिसके अन्तर्गत हैं कोई व्यापार, निर्माण या वाणिज्य सर्वालित कर रही बैंककारी कम्पनी, बीमा कम्पनी, विद्युत प्रदाय तथा वितरण कम्पनी, शीघ सेवा कम्पनी, डाक घर, रेलवे, कोई सरकारी निगम, या कोई सरकारी अभिकरण या निकाय,या उनका कोई अधिकारी भी शामिल है, से इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से सुसंगत था कर प्रशासन के लिए उपयोगी कोई सुचना, डाटा या आकड़े प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है!

किसी व्यक्ति था कम्पनी से जानकारी भागने की शक्ति।

49. (1) जहां कोई करांधायक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, विश्वास का कारण रखता है कि कोई माल बाहें मण्डार में था संख्वहार में हैं. इसके समक्ष प्रस्तुत किये गये किसी दरतावेज या लेखा बही में अमूल्यांकित है, तो यह आयुक्त या ऐसे अधिकारी, जिसे आयुक्त लिखित में, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करें, के पूर्व अनुमोदन से. दरतावेज या लेखा बहीं में दर्शाई गई कीमत में 10 प्रतिशत्मवृद्धि करते हुये माल के सम्बन्ध में स्वामी द्वारा उपगत माड़ा तथा अन्य खर्थ, यदि कोई हो जमा करके ऐसे माल के क्रय का प्रस्ताव दे सकता है।

अमूर्याकित माल को क्रय करने की पंकित।

(2) यदि माल का स्वामी प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो वह प्रस्ताव करने वाले अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी तिथि तथा समय पर) माल का परिदान करेगा तथा माल के परिदान के दस दिन के भीतर अन्य खर्चों सहित प्रस्तावित कीमत का भूगतान करेगा किन्तु यदि वह प्रस्ताव को अस्वीकार करता है या प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद विनिर्दिष्ट तिथि तथा समय पर तथा विनिर्दिष्ट स्थान पर माल परिदान करने में असफल रहता है, तो यह निश्वायक सबत होगा कि खामी ने माल अमुल्यांकित किया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन क्रय किया गया माल विहित रीति में सार्वजनिक नीलामी द्वारा यथा सम्भव शीघ्र बेच दिया जाएग किन्तु यदि माल विनश्वर प्रकृति का है या शीधतया और प्रकृत्या क्षयशील है या ऐसे रूप में हो सकता है, यदि रखा जाए तो उनके भूल्य में कमी हो सकती है या जब उन्हें रखने का खर्च उनके मूल्य से अधिक हो जाने की सम्मावना है, तब, ऐसा माल तुरन्त बेच दिया जाएगा या अन्यशा विहित रीति में व्ययन कर दिया जाएगा तथा माल के विक्रय आगमो या माल के व्ययन द्वारा प्राप्त की गई राशि सरकारी खजाने में जमा कर दी जाएगी!

कार्यवाहिया अन्तरित करने की सकिए

- (1) कोई कराधायक प्राधिकारी जो उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त की पदवी या ऐसी अन्य पदवी जो विहित की जाए, के नीचे का न हो, ऐसी रौति में तथा ऐसे निबन्धनो उथा शर्तों के अधीन रहते हुए, स्वप्रेरणा से या इस निमित्त उसको आवेदन किए जाने पर. लिखित आदेश द्वारा किसी मामले या कार्यवाहियों या कार्यवाहियों की किसी श्रेणी को, अपने पास से, उसके अधीन कार्य कर रहे किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकता है तथा वह इसी प्रकार किसी ऐसे मामले को (जिसके अंतर्गत इस धारा के अधीन पहले से अंतरित कोई मामला भी है) किसी ऐसे अधिकारी से दूस अधिकारी को या स्वयं को अन्तरित कर सकता है।
- (२) जहां कोई कार्यवाही या कार्यवाहियों की श्रेणी अथवा कोई मामला उपधारा (1) के अधीन अन्तरित किया जाता है, वहां वह अधिकारी, जिसको ऐसी कार्यवाही या कार्यवाहियों की श्रेणी अथवा मामला अन्तरित किया जाता है. उसका निपटान करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा, मानों वह उक्त अधिकारी द्वारा ऐसे े धिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं को ध्यान में लाए बिना उसके समक्ष आरम्भ किया गया था तथा ऐसा अंतरण, के अन्तरण से पूर्व पहले ही जारी किए गए किसी नोटिस को पुन: जारी करने के लिए आवश्यक नहीं होगा और वह अधिकारी. जिसको कार्यवाही या कार्यवाहियों की श्रेणी या मामला अंतरित किया जाता है. स्विविवेकानुसार, उसकी उस प्रक्रम से चालू कर सकता है, जहां से यह अधिकारी द्वारा छोड़ दिया गया था. जिससे मामला अंतरित किया गया था।

शक्तियो का प्रत्यायो जन्म !

- (1) ऐसे निर्बन्धनो तथा शर्तों के अधीन रहते हुये, जो विहित की जाए, आयुक्त लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन किसी कराधायक प्राधिकारी को पुनरीक्षण की शक्तियों के सिवाए अपनी किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है।
- (2) ऐसे निर्बन्धनो तथा शतों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कोई भी कराधायक प्राधिकारी लिखित आदेश हारा. उस पर प्रदत्त अपनी किन्हीं शक्तियों को अपने से निम्न पदवी वाले किसी अन्य कराधायक प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।
- (1) कोई निर्धारिती या व्यवहारी, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपरिथत होने का हकदार है, अथवा जिससे उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। इस निमित्त लिखित रूप में अपने द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति जो उसका नारोदार हो अथवा निर्धारिती का पूर्णकालिक कर्मचारी हो. अथवा किसी वकील या कर परामर्शदाता

प्राधिकत अभिकता के मध्यम सं उपराजात होन के लिए निर्धारिती को अनुद्धात कपना

के माध्यम से, जो उपघारा (3) या उपचारा (4) द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं है, उपस्थित हो सकता है।

- (2) इस धारा में, "कर परामर्शदाता" से अभिप्राय है---
  - (i) कांई ऐसा व्यक्ति, जो मई, 1953,के 10वे दिन से पूर्व किसी निर्धारिती के किसी कर्मचारी या नातेदार की हैसियत से मिन्न हैसियत से उस निर्धारिती की ओर से पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1941, या पंजाब साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1948, के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के सम्बन्ध में किन्हीं निर्धारण प्राधिकारियों के या अन्य विक्रय कर प्राधिकारियों के समझ उपस्थित हुआ हो ; या
  - (ii) हरियाणा आबकारी तथा कराधान विमाग का कोई सेवा-निवृत्त राजपत्रित अधिकारी जिसने 1973 के अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन किसी कराधायक प्राधिकारी या किसी अपील प्राधिकारी के रूप में उपरोक्त हैसियतों में से एक या अधिक में कम से कम पांच वर्ष की अविध के लिए कार्य किया है तथा उसकी सेवा-निवृत्ति की तिथि को कम से कह दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो : या
  - (iii) कोई व्यक्ति जिसने केन्द्रीय प्रत्यक्त कर बोर्ड द्वारा मान्यता पाप्त काई जेन्द्रा शास्त्र परीक्षा उत्तीर्ण की है, अथवा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि हास निर्मामत किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वाणिज्य, विधि, अर्थशास्त्र या बैंककारी मे जिसके अन्तर्गत लेखा-परीक्षा मी है, जपाधि धारण करता है।
- (3) कोई मी व्यक्ति, जो सरकारी सेवा से पद्च्युत किया गया है, उपचारा (1) के अधीन किसी व्यवहारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऑर्डत नहीं होगा।
- (4) यदि कोई व्यवसायी या अन्य व्यक्ति, जो किसी निर्धारिती जा प्रतिनिधित्व करता है, आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी के रामक्ष किसी भी कार्यक्षाही में अवधार का दोषी पाया जाता है, तो आयुक्त यह निर्दिष्ट कर ाकता है कि वह उपधारा (1) के अधीन किसी व्यवहारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्हित होगा :

परन्तु किसी व्यक्ति कं सम्बन्ध में ऐसा कोई भी निर्देश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता!

(5) कोई मी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस घारा के अधीन कोई निर्देश किया जाता है उसको इसकी संसूचना के साठ दिन के मीतर ऐसे निर्देश के विरुद्ध अधिकरण को अपील कर सकता है। विदर्शियो आदि का गोपनीय होना।

- 53. (1) इस अधिनियम के अनुसार किए गए किसी कथन में, प्रस्तुत की गई किसी विवरणी में अथवा प्रस्तुत किए गए किन्हीं लेखों या दस्तावेजों में, अथवा किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से मित्र इस अधिनियम के अधीन किन्ही कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साह्य के किसी अमिलेख में. दी गई सभी विशिष्टियां, उपधारा (3) में यथा उपबन्धित के रिावाए, गोपनीय समझी जाएंगी और मारतीय साह्य अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम 1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, यथापूर्वीक्त के सिवाए, ऐसा कोई कथन, विवरणी, लेखा-दस्तावेज अथवा अमिलेख या उसका कोई माग अपने समक्ष प्रस्तुत करने की या उसके बारे में साह्य देने की अपेक्षा राज्य सरकार के किसी अधिकारी से करने का हकदार नहीं होगा।
- (2) उपधारा (3) में यथा उपबन्धित के सिवाए. यदि राज्य सरकार का कोई अधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों में से किसी को प्रकट करता है, तो वह कारावास से, जो छह मास तक हो सकता है. या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।
- (3) इस धारा की कोई भी बात, ऐसे कथन, विवरणी, लेखो, दस्तावेजो अथवा साक्ष्य के बारे में, इस अधिनियम के अथवा भारतीय दंड सहिता, 1860 (1860 का अधिनियम 45). के अधीन किसी अन्वेषण या अभियोजन के प्रयोजनों के लिए अथवा लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिये या भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के पदधारियों के विभागीय उपयोग के लिए या किसी व्यक्ति, जो ऐसे संव्यवहारी का कोई पक्षकार है, द्वारा किसी कारबार संव्यवहारी के सम्बन्ध में जाव के प्रयोजन के लिए धारा (1) में निर्दिष्ट विशिष्टियों में से किसी के प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी।

कतिययः कार्यवाहियो का वर्जन।

- 54. (1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन, किसी अपील प्राधिकारी या किसी कराधायक प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्धारण या पारित किया गया कोई भी आदेश, किसी भी सिविल न्यायालय में पश्चगत नहीं किया जाएगा और धाराए 33-34, 35, 36 तथा धारा 52 की उपधारा (5) तथा धारा 56 की उपधारा (5) में यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी ऐसे निर्धारण या आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील या आवेदन नहीं हो सकेगा।
- (2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में दिए गए किसी निधारण या शुरू की गई किसी कार्यवाही या की गई कार्रवाई, या की जाने वाली किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में, कोई भी न्यादेश, किसी राज्य के उच्च न्यायालय या भारत के उच्चतम न्यायालय से मिन्न, किसी न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।

#### अध्याय XI

#### कराधायक प्राधिकारी तथा अधिकरण

आयुक्त तथा अन्य अधिकारियो की नियुक्ति। 55. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आयुक्त तथा उतने अतिरिक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्तों, सयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्तों, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्तों, सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों, आबकारी तथा कराधान अधिकारियों, सहायक आबकारी तथा कराधान अधिकारियों, कराधान निरीक्षकों तथा ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझें, उसकी सहायतार्थ नियुक्त कर सकती है तथा आयुक्त को उतने कराधान निरीक्षकों तथा अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझें, उसकी सहायतार्थ नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है।

(2) आयवत को सम्पूर्ण राज्य में अधिकारिता प्राप्त होगी तथा वह इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदान की गई सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा इस पर अधिरोपित सभी कर्तव्यों का पालन करेगा; तथा उपधारा (1) के अधीन | नियुक्त अन्य अधिकारी अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में, इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो उन्हें प्रदान की जाएं तथा समय समय पर ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो तन्हें सौंपे जाएं।

(1) कर प्रशासन तथा संग्रहण के प्रयोजन के लिए राज्य को, ऐसे जिले, जो विहित कर प्रशासन। किए जाएं, समाविष्ट करते हुए ऐसे क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। प्रत्येक जिला आगे परिमण्डलों में विभक्त किया जा सकता है। क्षेत्र, जिला या परिमण्डल के ऐसे अधिकारी, जो विहित किए जाए. मुखिया होगे।

(2) राज्य सरकार या आयुक्त, समय समय पर, सभी ऐसे व्यक्तियों को, जो इस अधिनियम के प्रशासन के नियोजन में हैं, ऐसे आदेश, अनुदेश तथा निदेश जारी कर सकते हैं. जो ऐसे प्रशासन के तिए राज्य सरकार या आयुक्त उचित समझे तथा सभी ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार तथा आयुक्त के ऐसे आदेशो, अनुदेशो तथा निदेशों का अनुपालन तथा अनुसरण करेंगे :

परन्तु कोई भी ऐसे आदेश, अनुदेश या निर्देश जारी नहीं किए जाएंगे, ताकि किसी अपील प्राधिकारी के उसके अपीलीय कृत्यों के प्रयोग में, उसके विवेक में बाधा न डालें।

- (3) राज्य सरकार, यदि वह रेसा करना, यह आवश्यक तथा समीचीन समझे, कर के उद्ग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण में एकरूपता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए या किसी सन्देह को दूर करने के लिए, स्वप्रेरणा सं या किसी व्यवहारी या व्यवहारियों के किसी निकाय द्वारा विहित फीस के गुगतान पर, विहित प्ररूप तथा रीति में, इसे दिये गये किसी आवदन पर, कर के उदग्रहण, निर्धारण तथा सग्रहण, ये सम्धन्धित कोई प्रश्न, स्पष्ट करते हुए कोई आदेश जारी कर सकती है तथा अपील प्राधिकारी के सिवाए, इस अधिनियम के प्रजासन में नियोजित सभी व्यक्ति तथा उसके द्वारा प्रमावित सभी व्यवहारी ऐसे आदेश का अनुपालन तथा अनुसरण करेंगे!
- (4) उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश "वैट आदेश" शीर्ष के अधीन वैक्साईट डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कोम पर अपलोडिंग के साथ-साथ प्रचरित किया जाएगा।
- (5) यदि कोई व्यक्ति उपचारा (4) के अधीन प्रचारित किसी आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो वह किसी भी समय अधिकरण को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है तथा इस प्रयोजन के लिए आदेश, इस अधिनियम के अधीन पारित किया गया आदेश समझा जाएगा .

परन्तु जहां, अधिकरण को, ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है वहां यह पूर्ण सदस्य अधिकरण हारा सुनी तथा निर्णीत की जाएगी।

(6) अधिकरण, राज्य सरकार को नोटिस देने के बाद, उपघारा (5) के अधीन इसके समक्ष की गई अपील के आदेश के कार्यान्वयन का स्थगन कर सकती है तथा जहां कोई स्थगन कर दिया गया है वहां अपील स्थगन आदेश की तिथि से साट दिन की अवधि के मीतर सुनी तथा निर्णीत की जाएगी।

- (7) इस अधिनियम के अधीन उद्गृहणीय कोई कर, जो उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी तथा उपधारा (4) के अधीन प्रचारित किये गये कोई आदेश या, अधिकरण द्वारा अपील पर पारित किसी आदेश, या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कोई विधि, जो आदेश या विधि बाद मे परिवर्तित हो जाती है, के कारण पूर्णत: या अंशत: संगृहीत किया गया सिद्ध नहीं होता है, भगतानयोग्य नहीं होगा।
- (8) इस अधिनियम के अधीन किसी राशि पर उद्गृहीत ब्याज जो अधिकरण के किसी आदेश या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा या घोषित किसी विधि के परिणामस्वरूप किसी निर्धारिती को वापस किया गया है, यदि ऐसा आदेश या विधि बाद मे परिवर्तित हो जाती है, तो भुगतानथोग्य नहीं होगा।
- 57. (1) राज्य सरकार, अध्यक्ष सहित तीन या अधिक विषम संख्या के सदस्यों को शामिल करते हुए, हरियाणा कर अधिकरण के नाम से झात अधिकरण का गठन कर सकती है, जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिकरण को सौंपे गए अथवा प्रदान किए गए ऐसे कृत्यों का प्रातन करने तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करें।
- (2) अधिकरण के कृत्य दो या दो से अधिक सदस्यों वाले बैंच में उपस्थित सदस्यों द्वारा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा अवधारित किये जाएं, निर्वेहन किये जाएंगे,
- (3) यदि बैच के सदस्यों का किसी मामले पर मतमेद हो जाता है, यदि वहा बहुभत हो, तो निर्णय बहुमत का होगा, किन्तु यदि. सदस्य बराबर रूप में विभाजित हो जाते हैं तो वे विन्दु अथवा बिन्दुओं जिन पर उनका मतमेद है, को स्पष्ट करेंगे और मामला पूर्ण सदस्य अधिकरण द्वारा सुना जाएगा तथा, ऐसे बिन्दु अथवा बिन्दुओं का अधिकरण के सदस्यों के बहुमत के अनुसार निर्णय किया जाएगा।
- (4) अधिकरण का निर्णय, किसी समरूप मामले में इस अधिनियम के अधीन सभी कराघेयक तथा अपील प्राधिकारियों पर आबद्धकर होगा। प्राधिकरण कोई उच्चतर मैच (सदस्यों की अधिक संख्या में गठित) का निर्णय निम्न बैंच पर आबद्धकर होगा किन्तु सभी सदस्यों सं गठित बैंच बहुमत से, विधि के किसी बिन्दु पर अधिकरण के किसी पूर्व निर्णय को रह कर सकत। है।
- (5) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचन। द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।
- (6) कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष की हैसियत में अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि यह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारतीय प्रशासनिक सेवा में वित्तायुक्त की पदवी का कोई अधिकारी नहीं है या न रहा हो या कम से कम तीन वर्ष के लिए अधिकरण का सदस्य न रहा हो।
- (7) कोई व्यक्ति अधिकरण के सदस्य (प्रध्यक्ष से मित्र) के ऋप में नियुक्ति के लिए तब तक थोग्य नहीं होगा। जब तक यह निम्निलिखित नहीं है या नहीं रह युका है....
  - (क) जिला न्यायाधीश:
  - (ख) कोई अतिरिक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त की हैरियंत में कार्य किय। हो या इस अविनियम या 1973 के अधिनियम के अधीन किसी अपीन

्यधेकरण (

प्राधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी के रूप में जिसने कम से कम सात वर्ष के लिए काम किया हो; या

(ग) किसी उच्च न्यायालय या इस अधिनियम या 1973 के अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण के समक्ष मामलों का कम से कम दस वर्ष के लिए प्रतिनिधित्व करने याला कोई वकील, कोई चार्टर्ड अकाऊंटैन्ट या कोई राज्य प्रतिनिधि:

परन्तु अधिकरण के सभी सदस्य एक प्रवर्ग से नियुक्त नहीं किए जाएंगे।

- (8) अध्यक्ष से मिन्न अधिकरण का कोई सदस्य, उस तिथि से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है. जो भी बाद मे हो, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा अध्यक्ष, उस तिथि से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है या जब तक वह 68 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है, जो भी पहले हो, किन्तु, कोई भी सदस्य, 68 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, पद पर बना नहीं रहेगा।
- (9) अधिकरण का कोई सदस्य, किसी जांच जिसमे ऐसे सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप सूचित कर दिए गये हों तथा आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तिन्दुक्त अवसर दिया गया हो के बाद दुर्व्यवहार या अक्षमता के संवृत के आधार के सिवाए, उसके पद से हटाया नहीं जाएगा।

### (10) अधिकरण का कोई सदस्य अपात होगा-

- (क) राज्य सरकार के अधीन, या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम के अधीन आग नियोजन के लिए: तथा
- (ख) वह अपना पद त्याग करने या अपनी अवधि पूरी करने के बाद, कम से कम पांच वर्ष के लिए अधिकरण के सम्मुख उपस्थित होने के लिए, कार्य करने के लिए या वकालत करने के लिए।
- (11) राज्य में तत्समय के लिए सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के पुन: नियोजन से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई सेवा-निवृत्त व्यक्ति जो अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, ऐसे वेलन तथा मनों का हकदार होगा तथा सेवः की ऐसी अन्य शतों द्वारा शासित होगा, जो विहित की जाए।
- (12) अधिकरण का कोई सदस्य, किसी भी समय, शब्य सरकार को सम्बोधित करते हुए हस्ताक्षर सहित लेख हारा अपना पद त्याग सकता है, किन्तु उसका त्यागपत्र, ऐसी तिथि से. जिसको यह स्वीकार विध्या जाता है, प्रमावी होगा।
- (13) अधिकरण की सटस्थता की कोई रिक्ति, राज्य सरकार द्वारा. यथासाध्य शीवता से भरी जाएगी।
- (14) अधिकरण कां, ऐसी शतों तथा परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो विहित की आएंगी, लागते पंचाट करने की शक्ति होगी तथा ऐसी लागतो की राशि. उस व्यक्ति से, जिसको उसके भुगतान करने के आदेश दिए गये है, शु-राजस्व के बकाया के रूप में क्सुली योग्य होगी।

- (15) अधिकरण, राज्य अरकार के पूर्व अनुमोदन से, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने तथा अपना काम निपटाने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से सुसगत विनियम बनाएगा।
- (16) उपधारा (15) के अधीन बनाए गए सभी विनियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

धातिपृति ।

- 58. (1) भारा 55 की उपधारा (1) या दारा 57 की उपवारा (1) के अधीन नियुक्त सभी व्यक्ति भारतीय वण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45), की धारा 21 के अर्थों के भीतर लोक सेयक समझे जाएंगे।
- (2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद. अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेगी।

### अध्याय XII

### नियम बनाने, अनुसूचियां संशोधित करने तथा निरसन तथा व्यावृत्ति की शक्ति

अनुस्चियः सर्चोधित करने की सक्ति।

- 59. (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, ऐसा करने के अपने आश्य का दस दिन से अन्यून का युक्तियुक्त नोटिस, "विधिक नोटिस" शीर्ष के अधीन वैबसाईट उब्ल्यू उब्ल्यू उब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर उक्त नोटिस अपलोडिंग द्वारा, देने के बाद, किन्हीं या सभी अनुसूचियों में, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, परिवर्धन, लोग या अन्यथा सशोधित कर सकती है तथा अनुसूचियां तदनुसार संशोधित समझी जाएंगी।
- (2) किसी अनुसूबी का कोई संशोधन, जब तक अधिसूबना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, राजपत्र में, अधिसूचना के प्रकाशन से आधामी मास के प्रथम दिन से, प्रभावी होगा।

नियम डनान की कटिन। 60. (1) राज्य सरकार उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए तथा पूर्व प्रकाशन की शर्रों के अधीन रहते हुए, ''विविक नोटिस'' शीर्ष के अधीन वैबसाईट उब्ल्यू डब्ल्यू इव्ल्यू डब्ल्यू इव्ल्यू इव्ल्यू इव्ल्यू इव्ल्

परन्तु पूर्व प्रकाशन की शर्त तब लागू नहीं होगी जब इस अधिनियम के अधीन नियम पहली बार बनाए जाते हैं।

- (2) विशषतः और पूर्वगमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रमाद उन्ते बिना ऐसे नियम सभी विषयों या ान में से किन्हीं के लिए उपबन्ध कर सकते हैं. जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन विहित्त किए जाने के लिए या नियमों द्वारा अपबन्धित किए जाने के लिए अपेक्षित हैं।
- (3) इस अधिनियम के अधीन नियम पहली हार बनाए जाने के बाद जब तक आविस्त्रचना म अन्वथा विनिर्दिष्ट न हो. नियमों में कोई संशोधन राजपत्र में अधिन्युचना के प्रकाशन से आगामी मास के प्रथम दिन से प्रभावी होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनागा गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के बाद यशाशीध विधानमण्डल के सम्मुख जब वह सन्त्र में हो रखा जाएगा तथा सन्न जिसमें ऐसे रखा गया हो या तीक बाद के सन्त्र की समाप्ति से पूर्व यदि विधानमण्डल सहमत हो जाता है कि नियम या तो जपान्तरित किया जाए या निष्प्रमाव कर दिया जाए तो. नियम यथास्थिति ऐसे उपान्तरित रूप से प्रमावी होगा या निष्प्रमावी हो जाएगा, तथापि इस प्रकार कि कोई उपान्तरण या निष्प्रमावन नस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकल प्रमाव नहीं डालेगा।

61. (1) हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 (1973 का 20), इसके द्वारा, निर्रासत किया जाता है।

निरसन तथा क्यार्चाले !

- (2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,~-
  - (क) उक्त अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी को किया गया या दिया गया कोई आवेदन, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहिया जो इस अधिनयम के प्रारम्भ के समय लिचत है, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को अन्तरित कर दी जाएंगी और उसके द्वारा निपटायी जाएंगी, जिसे इस अधिनियम के अधीन ऐसे आवेदन, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता प्राप्त होती, यदि यह उस तिथि को प्रवृत होता, जिसको ऐसा आवेदन, अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यक हियां की गई थीं.
  - (ख) उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर या अन्य देशों के गुगतान के लिये इस अधिनियम के प्रारम्य से पूर्व किसी दिन को नकदी जमा, बैंक प्रत्यामूति, व्यक्तिगत बन्ध पत्र, प्रतिभूति बन्ध पत्र के रूप में या किसी अन्य रूप में प्रस्तुत की गई कोई प्रतिभूति लागू रहेगी तथा इस अधिनियम के अधीन किसी कर या अन्य देशों के मुगतान के लिए इस अधिनियम के प्रारम्म के बाद मी लागू रहेगी तथा इस प्रशेजन के लिए यह अधिनियम उस दिन को लागू हुआ समझा जाएगा जिसको ऐसी प्रतिमृति प्रस्तुत की गई थी;
  - (ग) उक्त अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन लागू प्रश्रंप वि.क. 38 में घोषणा नियत दिन के बाद भी लागू रहेगी तथा उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये यह नियत दिन से पूर्व उपयोग में लाई जा रही थी, तब तक यथावश्यक परिवर्तनों सहित उपयोग में लाई जाएगी जब तक कि राज्य सरकार, अधिसूचना हारा ऐसी तिथि जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए. के बाद इसके उपयोग के समापन के लिए निदेश न करें
  - (घ) उक्त अधिनियम की धारा 13 ख तथा धारा 25 क तथा इसके अधीन बनाए गए नियमां (जिन्हें, इसमे, इसके बाद " विद्यमान नियमों " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के उपबन्ध औद्योगिक इकाईयों को कर रियायत

सम्बन्धी निम्नलिखित अपवादों, निर्बन्धमो तथा शर्तों के अधीन रहते हुए लागु रहेंगे, अर्थात् :—

- (i) कर के भुगतान से छूट का लाम प्राप्त कर रही कोई औद्योगिक इकाई विहित रीति में शेष अविध के लिए तथा लाम की शेष सीमा तक या ऐसी अविध के लिए तथा लाम की ऐसी सीमा, जो विहित की जाए, कर भुगतान के अस्थगन को परिवर्तित कर सकती है किन्तु जहां कोई औद्योगिक इकाई ऐसा करने का विकल्प नहीं देती है तो इसे कर के भुगतान से छूट नियत दिन को या से समाप्त हो जाएंगी तथा आगे,—
  - (I) यह किसी स्तर तक उत्पादन बनाए रखने के लिए दायी होगी ताकि इसक। वार्षिक आवर्त छूट की अविध के दौरान शौसतन पार्षिक आवर्त से कम न पड़ती हो; तथा
  - (II) यह अपने द्वास उत्पादित किसी भाल को राज्य से बाहर, आगामी पांच वर्ष की किसी अवधि या ऐसी कम अवधि के लिए निर्यात नहीं करेगी जिसके लिए इसने कर के मुगतान से छूट का लाभ प्राप्त किया है तथा यदि वह ऐसा करने में असफल रहती है, तो वह कर के मुगतान से प्राप्त की गई छूट की राशि में से ऐसी असफलता से पूर्व उसके द्वारा भुगतान किए गए कर को निकालने के बाद, विहित्त रीति में, कर की राशि जिसके सम्बन्ध में उसने भुगतान से छूट प्राप्त की है, राज्य सरकार का भुगतान के लिए दायी होगा।
- (ii) पूंजी सहायकी का लाभ प्राप्त कर रही कोई आँछोंगिक इकाई, शेष अवधि तथा शेष विस्तार के लाभ के लिए कर के आस्थान के भुगतान विहित रीति में परिवर्तन कर सकती हैं. किन्तु जहा कोई औद्योगिक इकाई ऐसा करने के लिए विकल्प नहीं देती है तो पूंजी सहायकी का लाभ इस नियत दिन को तथा के प्रमाय से बन्द हो जाएगा;
- (iii) पूर्वगामी उपवन्धों के अधीन या अन्यथा से परिवर्तन द्वारा कर के भुगतान का आस्थ्यमन लाम प्राप्त कर रही ओद्धोरिक इकाई, कर आस्थ्यमन का भुगतान करने के बदले में पांच वर्ष बाद, विवर्राणयों सांहत आस्थ्यमन कर की राशि के आये का भुगतान कर सकती है तथा इस रीग्त में भुगतान करने पर, विवर्राणयों क अनुसार देश कर पूर्ण क्या में भुगतान किया गया समझा जाएगा: तथा

(iv) प्रत्येक अन्य मामले में आरथगन कर विहित रीति में ब्याज रहित ऋण में परिवर्तित हो जाएगा।

व्याख्याः —इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "कर" मे शामिल है 1973 के अधिनियम तथा केन्द्रीय अधिनियम के अधीन कर।

62. निरसित अधिनियम में दिए गए विधि के किसी उपबंध में किसी अधिकारी प्राधिकारी या अधिकरण के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, धारा 61 में दिए गए उपबंधी को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये, तत्त्थानी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अधिकरण के प्रति निर्देश लगाया जाएगा और यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा तत्त्थानी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अधिकरण कौन है तो इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय प्रन्तिम होगा।

निरसित अधिन्यमः मे अधिकारियो तथा प्राधिकारियो के प्राट निर्देशों का अर्थान्यस्त

63. यदि इस अधिनियम की धारा 61 के उपनयों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपनन्ध कर सकती है या ऐसे निदेश दें सकती है जो किंउनाइयां दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो। कतिनङ्गा (१ करनाः

# अनुसूची क

[देखिए धारा 7 की उपधारा (1) का खण्ड (क) का उप-खण्ड (i)]

क् <b>म</b> संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	3
1	सोना, चांदी, अन्य मूल्यवान धातुएं, मूल्यवान रत्न	1 प्रतिशत
2 ,	सोना, बांदी, अन्य मूल्यवान धातुओ, मूल्यवान रत्नो के बने हुए गहनों सहित वस्तुएं	1 प्रतिशत
3	विमानन टरवाइन ईंधन, पैट्रोल, पैसोहोल	२० प्रतिशत
•	हाई स्पीय जीजल, सुपर लाइट बीजल आयल, लाइट बीजल आयल	12 प्रतिशत
5.	प्रजाब आबकारी अधिनियम, 1914 ( 1914 का 1 ), में यथा परिभाषित मदिरा	20 प्रतिशत

### अनुसूची ख

# [देखिए धारा 2 की उपधारा (1) का खण्ड (त) ]

- ताजा फल तथा सब्जियां ।
- 2 पान पत्ते !
- 3 गन्ना।
- ताजा दूध, पास्तुरीकृत दूध, दही तथा छाछ।
- 5. ताजा मांस, मछली, खुर मांस, कुक्कट तथा अंडे।
- पशुधन।
- 7 वृक्ष तथा बालवृक्ष।
- 8 जल जब बन्द पात्रों में बेचा जाए के सिवाए।
- 9 सामान्य नमक, जब ब्राङ नाम के अधीन परचून पैक में बेचा जाए के सिवाए।
- 10. रोहूं, धान, चावल तथा औ से भित्र अनाज।
- भ्रष्ट प्राप्त अनाजों का आटा ।
- 12. प्राकृतिक फूल।
- हस्त संचालित या पशु द्वारा खीवे जाने वाले कृषि उपकरण।
- ठेले तथा पशु द्वारा खीचे जाने वाले वाहन।
- 15. कार्बनिक खाद।
- 16. चारा अर्थात् घास. घास-फूस ( धान घास-फूस के सिवाए) तथा सूखी घास।
- 17. अपग व्यक्तियों के लिए सहायता।
- 18. पुस्तकें तथा पत्रिकाएं।
- 19. तिखने वाली स्लेट (पत्थर की बनी ) तथा स्लेट पैन्सिल ।
- 20 मिट्टी के बर्तन किन्तु चीनी के बर्तन इसमे शामिल नहीं हैं।
- 21. मधुमक्खी पेटिकाएं, शहद सुपरज, मधुमक्खी-पेटिका यन्त्र, घूम्रपान नकाब तथा हैलमेट, पोषक।
- 22. चरखा।
- 23 हाथ से कता हुआ सूत तथा हथ-करघा वस्त्र!
- 24 राष्ट्रीय ध्वज तथा गाभी टोपी।
- 25 हाथ से बनाये गये संगीतात्मक उपकरण।
- 26 विद्युत ऊर्जा या बिजली के अन्य रूप।
- 27 मानवरक्त प्लाविका सहित मानव रक्त।
- 28 वीर्य।
- 29. गर्भ निरोधक ।
- 30 काच की चुड़िया, बिन्दी तथा सिन्द्र।
- 31. मदिरा के सिवाए, एल-4/एल-5 या एल-12 ग अनुश्चप्तिधारी द्वारा जब बेची जाए!

### अनुसूची ग

[देखिए धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) का उप खण्ड (iii)]

- हस्त संचालित या पशु द्वारा खीवे जाने वाले क सिवाए कृषि उपकरण!
- 2 कृषि ट्रेक्टर तथा ट्रेलर फसल काटने की कम्बाइनज!
- 3 फत्वारा सिंचाई तथा टपकन सिचाई प्रणाली तथा उसके सघटक, भाग तथा उपकरण!
- 4. पाच हार्स पावर तथा इससे ऊपर के सामान्यतः प्रकार के कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वालें मोनो ब्लाक या सवमसिबल पम्प सेट्स ।
- 5 बीज :
- कार्बनिक खाद क सिवाए उर्वस्क।
- पौधा संरक्षण के लिए नाशक जीवमार तथा वीडीसाईडज!
- अस्थिचूर्ण, पिसी हुई अस्थिया, अस्थि नसें तथा जली हुई अस्थिया।
- पशु आहार तथा कुक्कट आहार तथा जलघर चारा तथा चारा अनुपूरक, सान्द्र / योगात्मक ।
- 10 खली तथा डी-खली तथा डी आयल चावल चोकर भी शामिल है।
- म भूसी तथा सभी अत्रों के चोकर तथा दालें तथा धान भूसी तथा धास-फूस?
- 12 ৰ চা
- 13 \$151
- 14 सामान्य नमक जब छाउँ नाम के उधीन परचून पेक में बेबा जाए।
- **१५ मुंड तथा शक्ट**ी
- १६ रंगडी, मजक, महासा, मिसरी । मिसरी या कीजा) गो.नी मन्त्राचा, मन्याया, मुरमुरा ।
- 17 मेंहू आटा इसमें शामिल है मेंदा तथा सूजी, धायल आटा, बना आटा, बसन, जो घाट, जौ आटा तथा साटू मेंहू था जो का दिलया, गौर, गौर आटा, गौर गिरी, राजमा लोबिया, रोगी सागू (साबुदाना)!
- 18 सुखा, भुना या फुला अनाज, सुखा चना तथा भुनी मूगफली सिवाय जब ये माल बन्द डिब्बों में बेबा जाए।
- 19 सीया भोजन ।
- 20 बन्द लिब्बों में बेबी जाने वाली सिब्जिया तथा इस प्रकार की सूखी सिब्जिया जो उपयोग से पूर्व प्रकाई जानी अधिक्षत हो।
- 21 चन्द िको में वेशा जाने वाला इस प्रकार का मास जो नगरीय से पूर्व प्रकाया जाना अपेक्षित है, इसमें शामिल है मुर्गी का भास तथा जलचर आहार।

### HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 4, 2003 (ASAR. 13, 1925 SAKA)

- 22. दूध पाऊडर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर (यू एच टी) दूध।
- 23 वनस्पति तेल, चाहे खाद्य या अखाद्य हो।
- 24. वनस्पति घी।
- 25. मसाले तथा मसाला चाहे सम्पूर्ण, चूर्णित या मिश्रित हो।
- 26. सुपारी!
- 27. घरेलू ऐलूमिनियम बर्तन।
- 28. ईन्धन, ब्रादा, काठकोयला तथा ईन्धन इष्टिकाएं तथा बायोमास से बने केक्स।
- 29 दियासलाईयां।
- 30 बीडी पत्ते।
- 31. कचा सूत।
- 32. कचा रेशम।
- 33 कच्ची ऊन तथा ऊन टोप।
- 34. रेशे तथा रेशा रद्दी।
- 35. सभी प्रकार का सूत (सूती सूत के सिवाय ), बूनाई ऊन सूत रददी तथा धागे।
- 36. बने बनाए वस्त्र तथा होजरी।
- 37. खेल माल, परिधानों तथा जूतों को छोड़कर।
- 38. प्लास्टिक, जूता।
- 39. बगीचा छाता के सिवाए छाता।
- 40. कम्प्यूटर साफटवेयर, हार्डवेयर तथा कम्प्यूटर बाहा (पैरीफरलज)।
- 41. ( भूवना प्रौद्योगिकी उत्पाद जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए।
- 42. दूरसंचार उपकरण जिसमें टेलीकाम केबिल शामिल है।
- 43. लौहमिश्र-धातुएं।
- 44. अलोह घातुएँ, मिश्र घातुएं तथा उसके निष्कासन।
- 45. अमूर्त तथा अप्रत्यक्ष माल।
- 46. जड़ी-बूटी, छाल, सूखा पौघा, सूखी जड़ तथा सूखे फूल, साघारणतः जडी-बूटी के रूप में जानी जाती है किन्तु इसमें बन्द डिब्बों में बेचा जाने वाला आयुर्वैदिक सम्पाक शामिल नहीं है।

- 47. अगरवती तथा भूपवती।
- 48. नीवार∃
- 49 हैंड पम्पस तथा उनके भाग ।
- 50 लोहा तथा इरपात से भिन्न किसी सामग्री से बनी पाइपें तथा ट्यूबें!
- 51 भवनों के निर्माण में प्रयोग होने वाली ईंटों के प्रकार।
- 52 बांस ।
- 53. नवीकरणीय ऊर्जा, यन्त्र तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा यन्त्र।
- 54 साइकिल, साइकिल-रिक्शा तथा उनके भाग जिसमें उनके टायर तथा ट्यूबें शामिल हैं।
- 55 सिलाई मशीने ।
- 56 पानी पर चलने वाले जहाज तथा जलयान।
- 57. कागज तथा अखबारी कागज।
- 58. अभ्यास पुस्तिकाएं।
- 59. लेखन उपकरण।
- 60. पुस्तको तथा पत्रिकाओं के सिवाए मुद्रित सामग्री।
- 61. मुद्रण स्याही।

टिप्पण - इस अनुसूची में प्रविष्टियां घोषित माल के अनर्वजन के साधारण अपवाद के अध्यधीन हैं।

## - HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 4, 2003 (ASAR. 13, 1925 SAKA)

# अनुसूची घ

# ंदेखिए धारा 7 की उपधारा (2) का खण्ड (क) ]

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर	
1	2	3	
1	विमानन टरबाइन ईंधन	20 प्रतिशत	
2	पेट्रोल, गैसोहोल	12 प्रतिशत	
3.	हाई स्पीड डीजल, सुपर लाइट डीजल आयल, लाइट डीजल आयल	12 प्रतिशत	
4.	धान	4 प्रतिशत	

# अनुसूची ङ

# [देखिए धारा 8 की उपधारा (1) ]

क्रम संख्या	माल का विवरण	परिस्थितियां जिसमें निवेश कर शून्य होगा
1	2	3
1	पैट्रोलियम आधारित ईंधन तथा प्राकृतिक गैस	जब पुनः बेचा जाता है के सिवाए।
2.	पूंजी माल	(i) जब मुख्यतः छूट गाप्त माल के विनिर्माण में या दूर-संचार नेटवर्क में, या खनन या विद्युत ऊर्जा या शक्ति के अन्य रूप के उत्पादन तथा वितरण के उपयोग में किया जाना आश्वित है, या
		(ii) जब पंजीकरण प्रमाण पत्र के रद्दकरण की तिथि से ग्रास ब्लाक का भाग रूप है।
3.	धान	(i) जब भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में बेचा जाता है; या
		(ii) जब चावल के विनिर्माण में उपयोग किया जाए जो भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में बेचा जाता है!
4.	चावल	जब भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में बेचा जाता है।
5.	क्रम संख्या । तथा 2 पर वर्णित माल के सिवाए सभी माल	<ul><li>(i) जब दूर सचार नेटवर्क में, खनन में, या विद्युत या शक्ति के अन्य रूप के उत्पादन तथा वित्तरण में उपयोग किया जाए;</li></ul>
		<ul><li>(ii) जब राज्य के बाहर निर्यात किया जाता है या बिक्री से भिन्न निपटान किया जाता है ,</li></ul>
		(iii) जब छूट प्राप्त माल को विनिर्माण या पैकिंग में उपयोग किया जाता है के सिवाए जब ऐसा माल भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में बेचा जाता है;

1	2	3	
		(iv) जब कराधेय माल के विनिर्माण या पैकिंग में उपयोग किया जाता है जो राज्य के बाहर निर्यात किया जाता है या बिक्री से भिन्न निपटान किया जाता है,	
		<ul> <li>(v) पजीकरण प्रमाण-पत्र के रद्दकरण की तिथि से जब भण्डार में रखा जाता है चाहे क्रय रूप में या विनिर्मित में या प्रसंस्कृत रूप में है।</li> </ul>	

िय्यण 1 – इस अनुसूची में अभिव्यन्ति "पजीकरण प्रमाण पत्र के रददकरण की तिथि से" से अभिप्राय है, पंजीकरण प्रमाण पत्र के रददकरण के प्रभाव की तिथि से।

टिप्पण 2 – कम सख्या 3 तथा 4 के सामने प्रविधियों के सबध में धान तथा उससे विनिर्मित चावल केन्द्रीय अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए किसी एकल वस्तु के रूप में मानी जाएगी।

# अनुसूची च

[देखिए धारा 3 की उपधारा (3) का प्रथम परन्तुक ]

1 धान।

# अनुसूची प

# [देखिए धारा 45 की उपषारा (1) ]

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर तथा उद्ग्रहण का आधार	उदग्रहण का प्रक्रम तथा परिस्थितियां जिनके अधीन कर उदगृहीत है
1		2	3 4
1.		लाटरी टिकट के अंकित मूल्य का बीस प्रतिशत	इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी किसी व्यवहारी द्वार प्रथम विक्रय ।

आर० एस० मदान, सचिव, हरियाणा सरकार, विधायी विभाग।

36203-L.R.-H.G.P., Chd.